



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**

**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2024 की प्रतिवेदन संख्या 13**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन**

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2024 की प्रतिवेदन संख्या 13

_____ को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखा गया

विषय-सूची

सामग्री	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य तथ्य	iii-xi
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-36
i. प्रत्यक्ष कर	1
ii. संगठनात्मक संरचना	2
iii. संघ सरकार के संसाधन	3-4
iv. प्रत्यक्ष कर - प्रवृत्ति और संरचना	4-9
v. प्रतिदाय की प्रवृत्ति	10-12
vi. पैन के आवंटन की प्रवृत्ति, आयकर विवरणी को फाइल करना और करदाताओं की सकल कुल आय	12-23
vii. प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट	23-24
viii. कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	24-26
ix. कर ऋण - असंग्रहित मांग	26-28
x. वाद प्रबंधन	28-30
xi. कर अपवंचन	31
xii. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	31-32
xiii. कर प्रशासन प्रक्रिया	33-36
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	37-61
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का प्राधिकरण	37
ii. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा	37-41
iii. निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार और व्यापक अनियमितताएं	41-51
iv. लेखापरीक्षा प्रस्तुति और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	51-54
v. लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के मामलों पर संशोधन	54-58
vi. लेखापरीक्षा के मामलों पर वसूली	58-59
vii. समय-बाधित मामले	59-60

सामग्री		पृष्ठ
viii.	अभिलेख प्रस्तुत न करना	60-61
अध्याय III: निगम कर		63-112
i.	परिचय	63
ii.	निर्धारण की गुणवत्ता	64-73
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था	73-91
iv.	त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	91-107
v.	कर/ब्याज का अधिभार	107-112
vi.	सिफारिशें	112
अध्याय IV: आयकर		113-145
i.	परिचय	113-114
ii.	निर्धारण की गुणवत्ता	114-123
iii.	कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था	123-133
iv.	चूक के कारण निर्धारण से बची आय	134-141
v.	कर/ब्याज का अधिभार	141-144
vi.	सिफारिशें	144-145
परिशिष्ट		147-157
संक्षिप्त रूप		159-160

प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिए परीक्षण लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए थे और साथ ही जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके थे; जहां कहीं आवश्यक हो, 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य तथ्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से आयकर अधिनियम, 1961 और संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के प्रावधानों के अनुपालन जैसा कि प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था से संबंधित सभी पहलुओं पर लागू होता है, पर चर्चा करता है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संयोजित किया गया है, जिनमें से मुख्य तथ्यों का वर्णन नीचे किया गया है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्त वर्ष 2021-22 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों ₹ 14,12,422 करोड़ की राशि में वित्त वर्ष 2020-21 (₹ 9,47,174 करोड़) की तुलना में 49.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष कर ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.0 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व किया। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 52.1 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 46.7 प्रतिशत थी।

जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई थी, वित्त वर्ष 2021-22 (₹ 2,23,596 करोड़) के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय में 13.8 प्रतिशत की कमी आई थी।

प्रत्यक्ष करों के दो प्रमुख घटकों में से, निगम कर से संग्रह में 55.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 4.58 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 7.12 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 4.71 लाख करोड़ से 43.1 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 6.73 लाख करोड़ हो गया।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 6.63 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 6.72 करोड़ हो गई, जिसमें 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में

9.21 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.65 लाख हो गई, जिसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मांग बकाया वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 14.94 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 19.35 लाख करोड़ हो गया। निवल संग्रहणीय मांग वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 26,279 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 51,318 करोड़ हो गई। विभाग ने संकेत दिया कि 97.4 प्रतिशत से अधिक असंग्रहित मांग की वसूली करना कठिन होगा।

वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक करदाताओं की सभी श्रेणियों में पैन आवंटन की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, पैन आवंटन के प्रतिशत वृद्धि में, वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक वर्ष-दर-वर्ष आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 16 प्रतिशत थी। हालांकि, बाद के वित्त वर्षों के दौरान, प्रतिशत वृद्धि 2.4 और 3.6 प्रतिशत के बीच थी।

आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित अपीलों की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 4.59 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 5.02 लाख हो गई। हालांकि, इन मामलों में रोकی गई राशि वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 24.65 लाख करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 14.19 लाख करोड़ हो गई।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विभाग द्वारा आयकर अपील न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख तक; उच्च न्यायालय के समक्ष ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ तक; और उच्चतम न्यायालय के समक्ष ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक की अपील दर्ज करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाई। लंबित मामलों की कुल संख्या 18.98 प्रतिशत घट गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 0.64 लाख मामलों से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 0.52 लाख हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद तथा प्रभाव

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित इकाइयों में 92,991 संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया था, जिसमें से आयकर विभाग ने 86,458 मामलों को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण के 1,01,044 मामलों को भी प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण में 5.24 प्रतिशत मामले (9,832 मामले) त्रुटिपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा ने वर्षों से निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में अनियमितताओं पर ध्यान दिया है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार इंगित किए जाने और आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी, अनियमितताओं की पुनरावृत्ति ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रणाली में उचित नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत है। विभाग को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि व्यवस्थित और संरचनात्मक कमजोरियों का उत्तर देने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र की अनुपस्थिति में, राजस्व के रिसाव का जोखिम काफी अधिक है।

हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में मंत्रालय को सूचित किए गए ₹ 5,728.79 करोड़ के कर प्रभाव वाले 504 उच्च मूल्य के मामलों को सम्मिलित किया है। इनमें से, हमें 30 अप्रैल 2024 को ₹ 4,065.34 करोड़ के कर प्रभाव वाले 338 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए, जिनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग (आईटीडी) ने ₹ 2,456.02 करोड़ (60.41 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 230 मामलों (68.05 प्रतिशत) को स्वीकार किया, जबकि इसने ₹ 1,616.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16 मामलों को स्वीकार नहीं किया। ₹ 1,663.45 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष 166 मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अप्रैल 2024)।

हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी अभ्युक्तियों/सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन किए गए। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अर्थात् 2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 06 - रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के कर निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 2022

की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 12 - धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 - आयकर विभाग में जाँच और जब्ती कर निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा को क्रमशः संसद में रखा गया था।

किए गए संशोधन इस प्रकार थे:

2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 06 - रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के कर निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा:

- अधिनियम की धारा 10ए को वित्त अधिनियम 2023 में मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 10ए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए देश में निर्यात आय लाने के लिए छह महीने की समय सीमा तय करने के लिए एक नई उप-धारा (4ए) सम्मिलित की गई थी। (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी)।
- धारा 56(2)(viiबी) को वित्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत 'निवासी होने के नाते' शब्दों को छोड़ने के लिए संशोधित किया गया था, जिससे अनिवासी सहित किसी भी व्यक्ति से विचार प्राप्त करने के प्रावधान को बढ़ाया जा सके। अधिनियम की धारा 56(2)(viiबी) में यह निर्धारित किया गया है कि उचित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर एकाधिकारवत् कंपनी (किसी कंपनी से इतर जिसमें जनता का अधिकतर हितलाभ जुड़ा है) द्वारा जारी किए गए शेयरों को कर की पेशकश की जानी चाहिए। यह पहले निवासी कंपनियों पर लागू था, लेकिन अब अनिवासी कंपनियों पर भी लागू किया गया है, (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी)।
- वित्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक नया प्रावधान सम्मिलित करने के लिए धारा 142(2ए) में संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों को लागत लेखाकार द्वारा अपनी सूची का कर निर्धारण करने और प्रपत्र 6डी में वस्तुसूची कर निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

2022 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.12 - धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- मंत्रालय ने, वित्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत, आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 4 में खंड (iii) डाला है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा किसी अन्य ट्रस्ट को जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि वर्तमान वर्ष की आय से दान के रूप में केवल 85 प्रतिशत की सीमा तक आवेदन के रूप में माना जाएगा।
- लेखापरीक्षा के कहने पर, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 से एक नया आईटीआर-7 धर्मार्थ न्यासों / संस्थानों के लिए लागू किया गया है।
- सीबीडीटी ने, अधिसूचना सं. जीएसआर 118(ई) दिनांक 21/02/2023 में 7/2023 और आयकर (तीसरा संशोधन) नियम 2023 के माध्यम से, आयकर नियम 1962 के नियम 16सीसी और 17बी में संशोधन किया है एवं कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) जिन्हें प्रपत्र सं. 10बी और प्रपत्र सं. 10बीबी में, धर्मार्थ न्यासों या संस्थानों, जो धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धारा 10(23सी) के अंतर्गत अनुमोदित हैं, द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, में भी संशोधन किया है।

2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14 - आयकर विभाग में खोज और जब्ती कर निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 153 के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1(xii) सन्निविष्ट किया, जो धारा 132 के अंतर्गत जब्त किए गए खातों या अन्य दस्तवेज या किसी भी धन, बुलियन, आभूषण या किसी भी अन्य मूल्यवान वस्तु या जब्त सामग्री या जैसा भी मामला हो, धारा 132ए के अंतर्गत, निर्धारिती पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकरी को, उस दिनांक से शुरू होने वाली अवधि (एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं) के भीतर जिस दिन धारा के अंतर्गत एक खोज शुरू की जाती है या धारा 132ए के अंतर्गत एक मांग की जाती है, को सौंपने में सक्षम बनाता है।

- वित्त मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 149 में एक नई उप-धारा (1ए) सन्निविष्ट किया, जहां एक परिसंपत्ति या व्यय के रूप में कर के लिए प्रभार्य आय कर निर्धारण से बच गई और ऐसी संपत्ति या व्यय में निवेश की कोई ऐसी घटना या अवसर या खर्च किया गया है, कर निर्धारण वर्षों से प्रासंगिक एक से अधिक पिछले वर्षों में, इस तरह के प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्गणना के लिए धारा 148 के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

पिछले तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताए गए कर निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांगों से ₹ 349.03 करोड़ की वसूली की। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्षों के 55,934 मामले हैं जो लेखापरीक्षा में सामने आए तथा आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 30 अप्रैल 2024 तक असमायोजित रहे।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 15,937.39 करोड़ के कर प्रभाव के साथ 7,522 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय-बाधित हो गईं।

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मांगे गए 2,07,096 अभिलेखों में से 17,051 अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिनमें से एक ही निर्धारिती से संबंधित दो अभिलेखों को तीन या तीन से अधिक लगातार होने वाली लेखापरीक्षा चक्रों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तृतीय अध्याय: निगम कर

हमने ₹ 5,127.12 करोड़ के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित 332 उच्च मूल्य के मामलों को बताया जो मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक 10 बैचों और 1 अप्रैल 2024 को आठ मसौदा पैराओं से युक्त एक अतिरिक्त बैच में मंत्रालय/सीबीडीटी को भेजा गया था। मंत्रालय ने अप्रैल 2024 तक इनमें से छः मामलों का उत्तर दिया है।

हमने उपरोक्त मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है::

- (क) कर निर्धारण की गुणवत्ता (118 मामले);

- (ख) कर छूट/छूट/कटौती का व्यवस्था (118 मामले);
(ग) त्रुटियों के कारण आय से बचने का कर निर्धारण (59 मामले); तथा
(घ) कर/ब्याज का अधिक प्रभार (37 मामले)।

332 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 3,578.38 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए निगम कर कर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 48 उदाहरणों को इंगित किया है। उदाहरण के मामलों की पहचान मुद्दों के महत्व और सम्मिलित कर प्रभाव के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों की व्यापक कवरेज के लिए, पूरे आईटीडी क्षेत्रिय कार्यालय के मामलों पर विचार किया गया है।

इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में सम्मिलित हैं: अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के अंतर्गत ₹ 23.24 करोड़ के ब्याज का अनुदग्रहण (पैरा 3.2.4 (मामला-I) का संदर्भ लें); अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 2.73 करोड़ का अधिक ब्याज दिया गया (पैरा 3.2.5 (मामला-I) का संदर्भ लें); ₹ 1,173.74 करोड़ के पिछली अग्रणीत हानि के दावे को छोड़ दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 406.21 करोड़ का संभावित कर प्रभावित हुआ (पैरा 3.3.2 (मामला-I) का संदर्भ लें); 1 अप्रैल 2015 से पहले अर्जित की गई और उपयोग करने के लिए रखी गई संपत्ति पर ₹ 331.92 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास के अनुचित दावे की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 175.99 करोड़ के कम कर उदग्रहण के साथ ₹ 331.92 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया (पैरा 3.3.2 (मामला-II) का संदर्भ लें); ₹ 59.73 करोड़ के अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट को अग्रणीत करने की अनुमति दी गई (पैरा 3.3.3 (मामला-II) का संदर्भ लें); ₹ 64.37 करोड़ के संभावित कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 214.58 करोड़ के व्यय की अनुचित अनुमति दी गई (पैरा 3.3.4 (मामला-IV) का संदर्भ लें); निर्धारिती को क्रमशः ₹ 1,225.00 करोड़ और ₹ 1,724.00 करोड़ की राशि से ₹ 1,219.98 करोड़ और ₹ 1,624.33 करोड़ को कम करने की अनुमति दी गई जो अन्य कंपनी के साथ किए गए करार के अनुसार डार्क फाइबर के उपयोग करने का अपरिहार्य अधिकार (आईआरयू) के लिए प्राप्त हुए थे, जिसे 20 वर्षों की करार अवधि के दौरान राजस्व का स्थगन माना गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर ₹ 2,844.31 करोड़ का कम कर निर्धारण

हुआ, जिसमें ब्याज को छोड़कर ₹ 976.81 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था {पैरा 3.4.3 (मामला I) का संदर्भ लें}।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 601.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर के 172 उच्च मूल्य के मामलों को इंगित किया, जिन्हें मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक 10 बैचों और 1 अप्रैल 2024 को आठ मसौदा पैराओं से युक्त एक अतिरिक्त बैच में मंत्रालय/सीबीडीटी को संदर्भित किया गया था। इन 172 मामलों में से, मंत्रालय ने अप्रैल 2024 तक छः मामलों के लिए उत्तर दिया है।

हमने उपरोक्त मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

- (क) कर निर्धारण की गुणवत्ता (103 मामले);
- (ख) कर रियायत/छूट/कटौती का व्यवस्था (24 मामले);
- (ग) त्रुटियों के कारण कर निर्धारण न की गई आय (23 मामले); तथा
- (घ) कर/ब्याज का अधिप्रभार (22 मामले)।

उद्धृत 172 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने ₹ 404.91 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 41 उदाहरणों को दर्शाया है। उदाहरण के मामलों की पहचान मुद्दों के महत्व और उसमें सम्मिलित कर प्रभावों के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों की व्यापक कवरेज के लिए, पूरे आईटीडी क्षेत्रिय कार्यालय के मामलों पर विचार किया गया है।

इस अध्याय में वर्णित अनियमितताओं में ₹ 367.21 करोड़ के सही आंकड़े के स्थान पर ₹ 247.22 करोड़ की त्रुटिपूर्ण आय के कर निर्धारण को अपनाना, जिसमें ₹ 76.98 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है {पैरा 4.2.2 (मामला I) का संदर्भ लें}; धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस का अनुपालन न करने के लिए धारा 234ए(3) के अंतर्गत ब्याज का त्रुटिपूर्ण उद्ग्रहण एवं ₹ 10.62 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज का अनुचित उद्ग्रहण {पैरा 4.2.4 (मामला I) का संदर्भ लें}; ₹ 48.57 करोड़ की पिछली अग्रानीत हानि का अनुचित

समायोजन, जिसमें ₹ 22.34 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है {पैरा 4.3.5 (मामला-I) का संदर्भ लें}; ₹ 38.14 करोड़ के मूल्यहास का अनुचित अनुमति, जिसमें ₹ 13.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सम्मिलित हैं {पैरा 4.3.5 (मामला-II) का संदर्भ लें}; और पांच वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपयोग न करने के लिए एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की संचित आय का गैर-कराधान, जिसमें ₹ 140.51 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण सम्मिलित है {पैरा 4.4.4 (मामला I) का संदर्भ लें}।

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

यह अध्याय प्रत्यक्ष कर प्रशासन, प्रत्यक्ष कर संग्रह में राजस्व रुझानों और आयकर विभाग में कर व्यवस्था प्रक्रिया का विहंगावलोकन देती है। इस अध्याय में संकलित आँकड़े/जानकारी विभिन्न श्रोतों यथा सीबीडीटी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय वित्त लेखा आदि से प्राप्त की गई है। इन श्रोतों से प्राप्त आँकड़े/जानकारी को ऑडिट द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।

1.1 प्रत्यक्ष कर

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रह को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्यक्ष करों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) निगम कर (सीटी): निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाता है जो उद्यम अपने व्यवसायों से अर्जित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

ख) आयकर (आईटी): आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दरों पर उस शुद्ध आय अथवा लाभ पर लगाया जाता है जो कंपनियों से इतर, व्यक्ति अपनी कमाई या प्राप्ति से अर्जित करते हैं।

ग) अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी): अन्य प्रत्यक्ष करों में निगम कर और आयकर के अलावा प्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)¹, संपत्ति कर² आदि।

¹ भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी और बेची जाने वाली कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।


² संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 2(ईए) के तहत निर्दिष्ट कुछ संपत्तियों को शामिल करते हुए निवल संपत्ति पर कर प्रभावी।

1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देश और नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो वैधानिक बोर्डों अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। प्रत्यक्ष करों की उद्ग्रहण और संग्रह से संबंधित मामलों की देखभाल सीबीडीटी द्वारा की जाती है।

31 मार्च 2022 तक, आयकर विभाग की कुल स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 72,706 और 43,734 थी। अधिकारियों³ की स्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,862 और 9,104 थी। वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग का राजस्व व्यय ₹ 7,581 करोड़⁴ था।

सीबीडीटी की संगठनात्मक संरचना नीचे चार्ट 1.1 में दी गई है:



³ प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र.सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/ अपर डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी/एसीआईटी/एडीआईटी और आईटीओ.

⁴ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय वित्त लेखा.

1.3 संघ सरकार के संसाधन

1.3.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा उठाए गए सभी ऋण, आंतरिक और बाहरी ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे तालिका 1.1 में वित्त वर्ष (वि.व.) 2021-22 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश दिखाया गया है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2021-22	वि.व. 2020-21
क. कुल राजस्व प्राप्तियां [#]	33,34,813	24,59,509
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	14,12,422	9,47,174
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ⁵	12,96,893	10,79,929
iii. गैर-कर प्राप्तियां	6,24,192	4,30,654
iv. सहायता अनुदान और योगदान	1,306	1,752
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां ⁶	14,638	37,897
ग. ऋण और अग्रिम की वसूली ⁷	24,948	29,923
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ⁸	82,49,152	81,62,910
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	1,16,23,551	1,06,90,239

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखा।

नोट: संघीय वित्त लेखाओं से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां तैयार की गई हैं।

[#] कुल राजस्व प्राप्तियों में वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 8,98,392 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 5,94,997 करोड़ सम्मिलित हैं जो सीधे राज्यों को सौंपे गए हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में, प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों, अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और गैर-कर प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रत्यक्ष कर वित्त वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.4 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 49.1 प्रतिशत बढ़ गया।

⁵ वस्तुओं और सेवाओं पर उदग्रहित अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

⁶ इसमें बोनस शेयरों का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में शेयरों का विनिवेश और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

⁷ संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

⁸ भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ-साथ बाहरी रूप से उधार;

1.3.2 नीचे तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन									
वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण (₹ करोड़ में)				प्रतिदाय (₹ करोड़ में)		फाइल की गई वास्तविक विवरणी (लाख में संख्या)		राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)
	निगम कर	आयकर	अन्य प्रत्यक्ष कर	कुल	निगम कर	आयकर	अ-निगम निर्धारिती	निगम निर्धारिती	
2017-18	5,71,202	4,08,202	23,334	10,02,738	1,09,138	42,697	537.9	8.0	6,172
2018-19	6,63,571	4,61,652	12,495	11,37,718	1,05,828	55,209	619.8	8.5	7,168
2019-20	5,56,876	4,80,348	13,462	10,50,686	1,21,542	61,889	639.4	8.4	7,052
2020-21	4,57,719	4,70,633	18,822	9,47,174	1,73,402	86,122	662.8	9.2	7,319
2021-22	7,12,037	6,73,414	26,971	14,12,422	1,46,812	76,784	671.9	9.7	7,581

स्रोत: संघीय वित्त लेखा और प्रधान सीसीए; सीबीडीटी

जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी किए गए प्रतिदाय में 13.8 प्रतिशत की कमी आई थी।

1.4 प्रत्यक्ष कर - प्रवृत्ति और संरचना

1.4.1 निम्न तालिका 1.3 वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल कर राजस्व⁹ (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष कर (डीटी) की सापेक्ष वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि					
वित्तीय वर्ष	डीटी (₹ करोड़ में)	जीटीआर (₹ करोड़ में)	जीडीपी (₹ करोड़ में)	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में डीटी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में डीटी
2017-18	10,02,738	19,19,183	1,67,73,145	52.2	6.0
2018-19	11,37,718	20,80,465	1,90,10,164	54.7	6.0
2019-20	10,50,686	20,10,060	2,03,39,849	52.3	5.2
2020-21	9,47,174	20,27,104	1,98,00,914	46.7	4.8
2021-22	14,12,422	27,09,315	2,36,64,637	52.1	6.0

स्रोत: डीटी और जीटीआर - संघीय वित्त लेखा, जीडीपी- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी - 6 जनवरी 2023 को सीएसओ द्वारा जारी प्रेस नोट।

⁹ इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

1.4.2 उपर्युक्त तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष करों में 49.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में डीटी से जीटीआर के हिस्सेदारी में (5.4 प्रतिशत) वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डीटी सकल घरेलू उत्पाद का 6.0 प्रतिशत था।

1.4.3 निम्न तालिका 1.4 वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों अर्थात् निगम कर (सीटी) और आयकर की वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष कर और इनके प्रमुख घटकों की वृद्धि								
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	आयकर	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	सकल घरेलू उत्पाद	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
(₹ करोड़ में)								
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9	1,67,73,145	10.5
2018-19	11,37,718	13.5	6,63,572	16.2	4,61,652	13.1	1,90,10,164	13.3
2019-20	10,50,686	(-) 7.6	5,56,876	(-) 16.1	4,80,348	4.0	2,03,39,849	7.0
2020-21	9,47,174	(-) 9.9	4,57,719	(-) 17.8	4,70,633	(-) 2.0	1,98,00,914	(-) 2.6
2021-22	14,12,422	49.12	7,12,037	55.6	6,73,414	43.1	2,36,64,637	19.5

स्रोत: संघीय वित्त लेखा; जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी-6 जनवरी 2023 को सीएसओ द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया।

1.4.4 उपरोक्त तालिका 1.4 से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निगम कर में 55.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 17.8 प्रतिशत की कमी आई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में आयकर में 43.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.0 प्रतिशत की कमी आई। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में भी 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 2.6 प्रतिशत की कमी आई।

1.4.5 निगम और आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रह के विभिन्न चरण हैं, जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर

(एसएटी) और नियमित निर्धारण कर। टीडीएस, अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व-कर-निर्धारण संग्रह प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का संकेत है। नियमित कर निर्धारण चरण के माध्यम से कर का संग्रह कर निर्धारण के बाद होता है।

1.4.6 निम्न तालिका 1.5 वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न चरणों के अंतर्गत निगम कर के संग्रह को दर्शाती है।

तालिका 1.5: निगम कर का संग्रह									
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-कर निर्धारण संग्रह (स्त. 2+3+4)	कुल पूर्व-कर निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	नियमित कर निर्धारण कर	नियमित कर निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (स्त. 5+7+9)
(₹ करोड़ में)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017-18	1,14,037	3,74,245	30,892	5,19,174	82.6	76,077	8.1	85,089	6,80,340
2018-19	1,40,784	4,17,365	29,168	5,87,317	76.3	82,140	10.7	99,943	7,69,400
2019-20	1,43,589	3,59,915	30,935	5,34,439	78.8	49,946	7.4	94,032	6,78,417
2020-21	1,39,273	3,94,611	21,536	5,55,420	87.7	29,995	4.7	47,705	6,33,120
2021-22	1,90,084	5,31,274	39,157	7,60,515	88.6	45,303	5.3	53,032	8,58,850

स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी।

नोट: अन्य प्राप्तियों में अधिभार और उपकर शामिल हैं। वसूली के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.4.7 उपरोक्त तालिका 1.5 से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2018-19 को छोड़कर निर्धारितियों (पूर्व कर निर्धारण चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से निगम कर के संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी, जबकि नियमित कर निर्धारण (पूर्व कर निर्धारण) के माध्यम से संग्रह में एक समान प्रक्षेपवक्र नहीं देखा गया था।

1.4.8 निम्न तालिका 1.6 वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न चरणों के अंतर्गत आयकर के संग्रह को दर्शाती है।

तालिका 1.6: आयकर का संग्रह

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-कर निर्धारण संग्रह (स्त. 2+3+4)	कुल पूर्व-कर निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	नियमित कर निर्धारण कर	नियमित कर निर्धारण संग्रह का प्रतिशत	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (स्त. 5+7+9)
(₹ करोड़ में)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017-18	2,66,604	95,997	52,327	4,14,928	92.0	15,967	3.5	20,004	4,50,899
2018-19	3,09,985	1,10,164	55,005	4,75,154	91.9	16,892	3.3	24,815	5,16,860
2019-20	3,36,794	1,07,401	54,163	4,98,358	91.9	17,673	3.3	26,201	5,42,232
2020-21	3,31,002	1,23,158	63,198	5,17,358	92.9	12,301	2.2	27,096	5,56,755
2021-22	4,44,159	1,78,091	75,349	6,97,599	93.0	15,526	2.1	37,072	7,50,197

स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी।

नोट: अन्य प्राप्तियों में अधिभार और उपकर शामिल हैं। वसूली के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है।

1.4.9 उपरोक्त तालिका 1.6 से पता चलता है कि निर्धारिती (पूर्व-कर निर्धारण चरण) द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से आयकर के संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी, जबकि नियमित कर निर्धारण (पूर्व कर निर्धारण) के माध्यम से संग्रह इस तरह के प्रक्षेपवक्र को नहीं देखा गया था।

1.4.10 निम्न तालिका 1.7 आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगम निर्धारितियों की संख्या दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष	निर्धारितियों की श्रेणी					कुल
	(आंकड़े लाख में)					
	क ¹⁰	ख ₁ ¹¹	ख ₂ ¹²	ग ¹³	घ ¹⁴	
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90
2018-19	68.08	403.35	103.36	44.96	0.03	619.78
2019-20	75.05	409.15	104.53	50.63	0.01	639.37
2020-21	72.32	423.42	109.94	57.15	0.00 [#]	662.83
2021-22	73.63	430.84	106.20	61.24	0.00 [*]	671.91

स्रोत: सीबीडीटी; ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल वास्तविक रिटर्नों पर आधारित हैं। [#]241 निर्धारिती, ^{*}158 निर्धारिती

¹⁰ श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ दो लाख से कम की आय/हानि के साथ कर निर्धारण;


¹¹ श्रेणी 'ख₁' निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले कर निर्धारण; लेकिन ₹ पांच लाख से कम;

¹² श्रेणी 'ख₂' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले कर निर्धारण; लेकिन ₹ 10 लाख से कम;

¹³ श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि के साथ कर निर्धारण;

¹⁴ श्रेणी 'घ' निर्धारिती - खोज और जब्ती कर निर्धारण;

वित्त वर्ष 2020-21 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में गैर-निगम निर्धारितियों की संख्या में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जैसा कि ऊपर तालिका 1.7 और नीचे चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान श्रेणी 'बी2' में 3.4 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर-निगम करदाताओं में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान गैर-निगम करदाताओं से कर संग्रह में 65.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 1.4 देखें)। इस प्रकार, गैर-निगम करदाताओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि उस पर कर संग्रह में प्रतिशत वृद्धि से कम थी।




1.4.11 निम्न तालिका 1.8 आय की विभिन्न श्रेणियों में निगम निर्धारितियों की संख्या को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम निर्धारिती							(आंकड़े लाख में)	
वित्तीय वर्ष	निर्धारितियों की श्रेणी					कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	
	क ¹⁵	ख ₁ ¹⁶	ख ₂ ¹⁷	ग ¹⁸	घ ¹⁹			
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00 [§]	7.99	1.31	
2018-19	3.66	2.00	0.61	2.19	0.00 [@]	8.46	1.45	
2019-20	3.48	2.00	0.63	2.27	0.00 [*]	8.38	1.52	
2020-21	3.91	2.21	0.68	2.42	0.00 [^]	9.21	1.61	
2021-22	4.26	2.26	0.69	2.44	0.00 [#]	9.65	1.63	

स्रोत: सीबीडीटी; ये आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल वास्तविक विवरणों पर आधारित हैं।
[§] 195 निर्धारिती, [@] 146 निर्धारिती, ^{*}223 निर्धारिती, [^] 60 निर्धारिती, [#] 17 निर्धारिती

वित्त वर्ष 2020-21 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में निगम निर्धारितियों की संख्या में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक निगम करदाताओं में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान, निगम करदाताओं से कर संग्रह में 24.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई (संदर्भ तालिका 1.4)।



¹⁵ श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम की आय/हानि के साथ कर निर्धारण;

¹⁶ श्रेणी 'ख1' निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक की आय/हानि के साथ कर निर्धारण; लेकिन ₹ पांच लाख से कम;

¹⁷ श्रेणी 'ख2' निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले कर निर्धारण; लेकिन ₹ 10 लाख से कम;

¹⁸ श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले कर निर्धारण;

¹⁹ श्रेणी 'घ' निर्धारिती - खोज और जब्ती कर निर्धारण;

1.5 प्रतिदाय की प्रवृत्ति

जब भुगतान की गई कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो जाती है, तो निर्धारित अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय के हकदार होते हैं। यदि करदाता को देय प्रतिदाय, स्रोत पर काटे गए/एकत्र किए गए किसी भी कर या अग्रिम कर के माध्यम से भुगतान किए गए कर से अधिक है, तो करदाता कर निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए आधे प्रतिशत की दर से गणना किए गए ब्याज का उस तिथि तक जिस पर प्रतिदाय दिया जाता है का हकदार होगा, यदि आयकर विवरणी धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट विवरणी फाईल करने की नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है। स्व-कर निर्धारण कर के माध्यम से भुगतान किए गए अतिरिक्त कर के कारण होने वाले प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय पर ब्याज की गणना घोषित आय या कर के भुगतान की तिथि से की जाएगी, जो भी बाद में हो। हालांकि, कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि प्रतिदाय की राशि धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारित कर के 10 प्रतिशत से कम है या नियमित कर निर्धारण के अंतर्गत कर निर्धारित किया जाता है।

1.5.1 प्रतिदाय मामलों का निपटान

निम्न तालिका 1.9 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रतिदाय के मामलों के निपटान और लंबित मामलों की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.9: प्रतिदाय के मामलों का निपटान												
वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में लंबित प्रतिदाय के मामले		वर्ष के दौरान जोड़े गए प्रतिदाय मामले		वर्ष के दौरान निपटान के लिए बकाया प्रतिदाय मामले		वर्ष के दौरान निपटाए गए प्रतिदाय के मामले		वर्ष के दौरान प्रतिदाय पर प्रदत्त ब्याज (₹ करोड़ में) स्तम्भ 9 का संदर्भ लें)	लंबित प्रतिदाय के मामले		लंबित प्रतिदाय के मामलों का प्रतिशत
	मामलों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ करोड़ में)		मामलों की संख्या (लाख में)	राशि (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2018-19	0.05	29,435	274.3	1,24,393	274.4	1,53,828	261.7	57,830	10,342	12.7	85,657	4.6
2019-20	12.70	85,657	251.6	1,39,715	264.3	2,25,372	249.0	1,15,533	12,190	15.3	97,648	5.8
2020-21	15.30	97,648	257.3	3,64,145	272.6	4,61,793	236.5	2,29,100	18,019	36.1	2,14,675	13.2
2021-22	36.05	2,14,675	258.1	1,80,902	294.2	3,95,577	242.5	2,04,832	15,825	51.7	1,74,920	17.6

स्रोत: सीबीडीटी

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रतिदाय के लंबित मामलों के प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2018-19 में प्रतिदाय के लंबित मामलों का प्रतिशत 4.6 प्रतिशत था जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 17.6 प्रतिशत हो गया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए प्रतिदाय के मामलों का प्रतिशत निपटान के लिए कुल मामलों का 82.4 प्रतिशत था, लेकिन इसमें सम्मिलित राशि का प्रतिशत निपटान के लिए कुल देय राशि का केवल 51.8 प्रतिशत था।

1.5.2 प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति

नीचे तालिका 1.10 वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम कर और आयकर के संबंध में किए गए प्रतिदाय और राजस्व संग्रह की तिमाही प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.10: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति							(₹ करोड़ में)	
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर			
		कुल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का प्रतिशत	कुल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का प्रतिशत	
2018-19	जून 2018	1,27,468	61,078	47.9	98,049	12,834	13.1	
	सितंबर 2018	1,90,200	12,848	6.8	1,27,210	16,823	13.2	
	दिसंबर 2018	1,94,177	10,468	5.4	1,21,069	16,503	13.6	
	मार्च 2019	2,57,554	21,434	8.3	1,70,533	9,049	5.3	
	कुल	7,69,399	1,05,828	13.8	5,16,861	55,209	10.7	
2019-20	जून 2019	70,435	64,894	92.1	92,449	11,209	12.1	
	सितंबर 2019	1,78,463	17,404	9.8	1,11,951	17,481	15.6	
	दिसंबर 2019	1,20,124	28,009	23.3	98,494	30,792	31.3	
	मार्च 2020	1,87,853	11,235	6.0	1,77,449	2,407	1.4	
	कुल	5,56,876	1,21,542	21.8	4,80,343	61,889	12.9	
2020-21	जून 2020	54,217	40,208	74.2	62,162	23,808	38.3	
	सितंबर 2020	96,247	48,155	50.0	1,04,327	7,414	7.1	
	दिसंबर 2020	1,61,996	20,888	12.9	1,28,943	19,061	14.8	
	मार्च 2021	1,45,269	64,151	44.2	1,75,201	35,839	20.6	
	कुल	4,57,719	1,73,402	37.9	4,70,633	86,122	18.3	

तालिका 1.10: प्रतिदाय की तिमाही प्रवृत्ति							(₹ करोड़ में)	
वि.व.	तिमाही समाप्त	निगम कर			आयकर			
		कुल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का प्रतिशत	कुल संग्रह	प्रतिदाय	संग्रह के संदर्भ में प्रतिदाय का प्रतिशत	
2021-22	जून 2021	1,23,593	26,204	21.2	1,21,264	9,310	7.7	
	सितंबर 2021	1,84,828	34,031	18.4	1,50,895	10,763	7.1	
	दिसंबर 2021	2,11,814	37,163	17.5	1,72,646	31,038	18.0	
	मार्च 2022	1,91,802	49,414	25.8	2,28,609	25,673	11.2	
	कुल	7,12,037	1,46,812	20.6	6,73,414	76,784	11.4	

स्रोत: प्रधान सीसीए, सीबीडीटी

जैसा कि ऊपर तालिका 1.10 से देखा जा सकता है, वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाहियों के दौरान निगम कर के सकल संग्रह का **47.9 प्रतिशत**, **92.1 प्रतिशत**, **74.2 प्रतिशत** और **21.2 प्रतिशत** क्रमशः को उसी तिमाही के दौरान प्रतिदायित कर दिया गया था। इसके अलावा, पिछले वर्ष के संग्रह से संबंधित निगम कर की कुल प्रतिदाय राशि का **57.7 प्रतिशत**, **53.4 प्रतिशत**, **23.2 प्रतिशत** और **17.8 प्रतिशत** क्रमशः वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिदायित कर दिया गया था। यह भी देखा गया है कि आयकर की तुलना में निगम कर के मामले में सकल संग्रह के प्रतिशत के रूप में प्रतिदाय अधिक हैं।

1.6 पैन के आवंटन की प्रवृत्ति, आयकर विवरणी को फाइल करना और करदाताओं की सकल कुल आय

1.6.1 करदाता श्रेणी-वार पैन आवंटन

पैन करदाताओं के पंजीकरण और पहचान के लिए एक आवश्यक उपकरण है। आयकर विभाग करदाताओं/गैर-करदाताओं के मौद्रिक लेनदेन-वार पैन की जांच और निगरानी करता है और तदनुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू करता है।


निम्न तालिका 1.11 प्रत्येक वर्ष के अंत में करदाता की स्थिति-वार संचयी पैन आवंटन की संख्या का विवरण दर्शाती है।


तालिका 1.11: करदाता की स्थिति-वार पैन आवंटन						
(संख्या लाख में)						
क्र.सं.	करदाताओं की स्थिति	मार्च तक 2018	मार्च तक 2019	मार्च तक 2020	मार्च तक 2021	मार्च तक 2022
1	वैयक्तिक	3,694.7	4,352.5	4,923.9	5,415.2	5,999.2
2	कंपनी	16.1	17.4	18.7	20.3	22.0
3	फर्म	41.1	44.3	47.4	50.7	54.1
4	एचयूएफ	19.5	20.2	20.8	21.4	22.1
5	अन्य*	19.4	22.7	26.1	29.1	32.6
	कुल	3,790.8	4,457.1	5,036.9	5,536.7	6,130.0

स्रोत: सीबीडीटी

*अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास सम्मिलित हैं

उपरोक्त तालिका 1.11 और नीचे दिए गए चार्ट 1.4 तथा चार्ट 1.5 से, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 तक करदाताओं की सभी श्रेणियों में पैन आवंटन की निरपेक्ष संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 को छोड़कर वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पैन आवंटन में प्रतिशत वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई।





*अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास सम्मिलित हैं

1.6.2 आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष-वार संख्या

अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी या फर्म है; या कंपनी या फर्म के अलावा कोई व्यक्ति होने के नाते, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणीय है, उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, नियत तिथि को या उससे पहले, पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी एक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

निम्न तालिका 1.12 में आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की वित्तीय वर्ष और पैन श्रेणी-वार संख्या का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: वित्तीय वर्ष-वार आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या (आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या)


पैन श्रेणी	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का प्रतिशत	आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का प्रतिशत	आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का प्रतिशत	आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का प्रतिशत	आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या	कुल आईटीआर का प्रतिशत
व्यक्तिक	509.9	93.5	595.4	94	611.3	94.2	631.7	94.0	654.6	94.0
कंपनी	8	1.5	8.5	1.3	8.4	1.3	9.2	1.4	9.7	1.4
फर्म	12.1	2.2	13.2	2.1	13	2	14.1	2.1	14.5	2.1
एचयूएफ	11.1	2	11.7	1.8	11.6	1.8	12	1.8	12.3	1.8
अन्य	4	0.7	4.4	0.7	4.4	0.7	5	0.7	5.3	0.7
कुल	545.1	100	633.2	100.0	648.7	100.0	672.1	100.0	696.4	100.0


*अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास सम्मिलित हैं

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.12, निम्न चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7 से, यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। हालांकि, बाद के वित्त वर्षों के दौरान, आयकर विवरणी फाइल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 2.4 से 3.6 प्रतिशत के बीच थी।

चार्ट 1.6: आईटीआर फाइल करने वालों व्यक्तिगतों की वित्तीय वर्ष-वार संख्या





* अन्य में एओपी, बीओआई, सरकार, एजेपी, स्थानीय प्राधिकरण और न्यास सम्मिलित हैं

1.6.3 करदाताओं द्वारा फाइल की गई आयकर विवरणी (आईटीआर) की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार संख्या

निम्न तालिका 1.13 करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार संख्या का विवरण दर्शाती है।


तालिका 1.13: सभी करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार संख्या (आईटीआर की संख्या हजार में)					
आय श्रेणी*	आईटीआर की संख्या				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क1	33,136.2	37,723.2	43,525.7	36,319.0	37,793.1
क2	11,876.3	15,059.7	16,448.2	19,906.7	21,401.0
क3	4,715.8	5,763.7	6,750.2	7,512.3	8,145.4
क4	137.3	163.4	186.8	197.4	210.8
क5	2.9	3.4	4.0	4.0	5.1
कुल	49,868.4	58,713.4	66,914.9	63,939.4	67,555.4

*क1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; क2: ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; क3: ₹ 10 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; क4: ₹ 1 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; क5: ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.13 से यह देखा जा सकता है कि नि.व. 2017-18 और 2020-21 के लिए ₹ 5 लाख और उससे कम की सकल आय वाले निर्धारितियों को छोड़कर सभी निर्धारितियों के संबंध में सभी आय वर्ग के लिए आईटीआर की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, नि.व. 2020-21 को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी।

निम्न चार्ट 1.8 सभी करदाताओं द्वारा फाइल आईटीआर की संख्या में वृद्धि/घटते प्रतिशत में आय श्रेणी-वार वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन दर्शाता है।



1.6.4 आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार करदाता की सकल कुल आय


निम्न तालिका 1.14 में करदाताओं की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष वार सकल कुल आय का विवरण दिया गया है।

आय श्रेणी*	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
क1	10,02,568	11,44,466	13,01,293	11,64,691	12,33,846
क2	8,05,967	10,23,588	11,17,809	13,36,609	14,29,561
क3	9,19,599	11,22,811	13,18,410	14,59,848	15,93,155
क4	4,97,814	5,98,674	6,77,756	7,00,434	7,74,069
क5	10,72,316	12,43,543	14,76,214	14,33,727	19,28,921
कुल	42,98,264	51,33,084	58,91,483	60,95,309	69,59,552

*क1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; क2: ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; क3: ₹ 10 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; क4: ₹ 1 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; क5: ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.14 और नीचे दिये गए चार्ट 1.9 से यह देखा जा सकता है कि सभी आय श्रेणी और करदाताओं की सभी श्रेणियों (नि.व. 2017-18 और नि.व. 2020-21 के लिए 'सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम' वाली श्रेणी के करदाताओं; और नि.व. 2020-21 के लिए '₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय' वाली श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर) के संबंध में समस्त सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। हालांकि, नि.व. 2017-18 से नि.व. 2021-22 के दौरान सभी करदाताओं की कुल सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी।




1.6.5 आय श्रेणी और कर निर्धारण अनुसार कंपनियों द्वारा फाइल आयकर विवरणी (आईटीआर) की वर्ष-वार संख्या

निम्न तालिका 1.15 में कंपनियों द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष वार संख्या दर्शाया गया है।

आय श्रेणी*	आईटीआर की संख्या (हजार में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ख1	657.5	693	727.8	759.5	805.5
ख2	95	102.8	107.3	107.0	104.5
ख3	37.3	43.3	47.3	47.7	51.1
ख4	1.1	1.2	1.4	1.4	1.7
ख5	1.3	1.6	1.8	1.9	2.4
कुल	792.3	841.9	885.7	917.5	965.2

*ख1: सकल आय शून्य और उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ख2: ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; ख3: ₹ 1 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; ख4: ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 100 करोड़ और उससे कम; ख5: ₹ 100 करोड़ से अधिक की सकल आय
स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.15 और निम्न चार्ट 1.10 से यह देखा जा सकता है कि तत्काल पिछले नि.व. की तुलना में, नि.व. 2020-21 के लिए आय श्रेणी ख2 अर्थात '₹ 10 लाख से अधिक की सकल आय लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम' और ख4 अर्थात '₹ 50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 100 करोड़ और उससे कम' सकल आय; और नि. व. 2021-22 के लिए आय श्रेणी ख2 यानी '₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम की सकल आय' को छोड़कर सभी आय श्रेणियों में नि.व. 2017-18 से 2021-22 के दौरान कंपनियों द्वारा फाइल आईटीआर की संख्या में वृद्धि हुई थी। हालांकि, नि.व. 2017-18 से 2021-22 के दौरान कंपनियों द्वारा फाइल आईटीआर की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, नि.व. 2021-22 के दौरान ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों के लिए आईटीआर की संख्या में महत्वपूर्ण प्रतिशत वृद्धि (27.6 प्रतिशत) देखी गई थी।



1.6.6 कंपनियों की सकल कुल आय की आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार प्रवृत्ति


निम्न तालिका 1.16 में आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष वार कंपनियों की कुल सकल कुल आय का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार कंपनियों की समस्त सकल कुल आय					
आय श्रेणी*	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ख1	4,981	5,051	5,158	5,137	5,122
ख2	33,061	36,146	38,191	37,846	37,064
ख3	2,25,017	2,63,045	2,92,282	2,97,207	3,36,910
ख4	78,578	86,989	98,512	98,212	1,19,512
ख5	9,40,466	10,82,240	12,62,749	12,21,822	16,54,135
कुल	12,82,103	14,73,472	16,96,893	16,60,225	21,52,743

*ख1: सकल आय शून्य और उससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ख2: ₹ 10 लाख से अधिक लेकिन ₹ 1 करोड़ और उससे कम; ख3: ₹ 1 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम; ख4: ₹ 50 करोड़ से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 100 करोड़ और उससे कम; ख5: ₹ 100 करोड़ से अधिक की सकल आय

स्रोत: सीबीडीटी

यह उपरोक्त तालिका 1.16 और नीचे दिए गए चार्ट 1.11 से देखा जा सकता है कि नि.व. 2017-18 से नि.व. 2021-22 के दौरान, नि.व. 2020-21 को छोड़कर सभी श्रेणियों में कंपनियों की कुल सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, नि.व. 2020-21 के दौरान, आय श्रेणी ख3 अर्थात् 'सकल कुल आय ₹ 1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 50 करोड़ और उससे कम' को छोड़कर सभी आय श्रेणी में कंपनियों की कुल सकल कुल आय में गिरावट आई थी। इसके अलावा, नि.व. 2021-22 के दौरान, ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक की सकल कुल आय वाली कंपनियों के लिए सकल कुल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी।



1.6.7 व्यक्तिगत द्वारा फाइल आयकर विवरणी (आईटीआर) की आय श्रेणी और कर निर्धारण-वर्ष-वार संख्या


निम्न तालिका 1.17 में व्यक्तियों द्वारा फाइल आईटीआर की आय श्रेणी और कर निर्धारण-वर्ष-वार संख्या का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 1.17: आय श्रेणी और कर निर्धारण वर्ष-वार व्यक्तियों द्वारा फाइल आईटीआर की संख्या					
आय श्रेणी*	आईटीआर की संख्या (हजार में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ग1	30,548.7	34,954.2	40,577.6	33,356.8	34,690.8
ग2	11,602.1	14,754.2	16,121.0	19,578.4	21,071.3
ग3	4,271.9	5,244.8	6,160.8	6,894.4	7,500.9
ग4	246.1	299.1	357.9	390.4	423.8
ग5	6.4	7.9	9.3	8.7	9.0
कुल	46,675.1	52,260.2	63,226.6	60,228.6	63,695.7

*ग1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; ग2: ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ग3: ₹ 10 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 लाख और उससे कम; ग4: ₹ 50 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 5 करोड़ और उससे कम; ग5: ₹ 5 करोड़ से अधिक की सकल आय

स्रोत: सीबीडीटी

उपरोक्त तालिका 1.17 तथा निम्न चार्ट 1.12 से यह देखा जा सकता है कि तत्काल पिछले नि.व. की तुलना में, नि.व. 2017-18 और नि.व. 2020-21 के लिए आय श्रेणी ग1 अर्थात् 'सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम' और नि.व. 2020-21 के लिए ग5 अर्थात् '₹ 5 करोड़ से अधिक सकल आय' को छोड़कर सभी आय श्रेणी में नि.व. 2017-18 से 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत निर्धारितियों द्वारा फाइल आईटीआर की संख्या में वृद्धि हुई थी। हालांकि, नि.व. 2020-21 को छोड़कर व्यक्तिगत निर्धारितियों द्वारा फाइल आईटीआर की कुल संख्या में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी।



1.6.8 व्यक्तिगत सकल कुल आय की आय श्रेणी और कर निर्धारण-वर्ष-वार प्रवृत्ति


निम्न तालिका 1.18 में व्यक्तियों की आय श्रेणी और कर निर्धारण-वर्ष-वार समस्त सकल कुल आय का विवरण दिया गया है।

आय श्रेणी*	सकल कुल आय (₹ करोड़ में)				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ग1	9,70,840	11,11,819	12,66,973	11,30,680	11,99,626
ग2	7,86,892	10,02,382	10,95,075	13,13,787	14,06,639
ग3	7,23,377	8,91,399	10,50,480	11,75,806	12,92,494
ग4	2,51,876	3,02,846	3,58,159	3,90,928	4,21,792
ग5	83,800	1,06,737	1,43,613	1,35,934	1,40,511
कुल	28,16,786	34,15,183	39,14,300	41,47,135	44,61,063

*ग1: सकल आय ₹ 5 लाख और उससे कम; ग2: ₹ 5 लाख से अधिक लेकिन ₹ 10 लाख और उससे कम; ग3: ₹ 10 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 50 लाख और उससे कम; ग4: ₹ 50 लाख से अधिक सकल आय लेकिन ₹ 5 करोड़ और उससे कम; ग5: ₹ 5 करोड़ से अधिक की सकल आय

स्रोत: सीबीडीटी

यह उपरोक्त तालिका 1.18 और निम्न चार्ट 1.13 से देखा जा सकता है कि नि.व. 2017-18 और नि.व. 2020-21 के लिए आय श्रेणी ग1 अर्थात 'सकल कुल आय ₹5 लाख और उससे कम' और ग5 अर्थात '₹5 करोड़ से अधिक सकल आय' को छोड़कर व्यक्तिगत निर्धारितियों की सभी आय श्रेणियों के लिए सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई थी। तथापि, नि.व. 2017-18 से 2021-22 के दौरान समस्त सकल कुल आय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।



1.7 प्रत्यक्ष कराधान प्राप्तियों का बजट

1.7.1 बजट सरकार के दृष्टिकोण और प्रयोजन को दर्शाता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) सम्मिलित हैं। तदनुरूप वास्तविक आंकड़ों के साथ बजट अनुमानों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का एक संकेतक है। वास्तविक आंकड़े अप्रत्याशित और यादृच्छिक बाह्य घटनाओं या प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता या महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में अवास्तविक मान्यताओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

1.7.2 निम्न तालिका 1.19 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) और प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रह का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.19: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रह की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक व बजट अनुमान का अंतर	वास्तविक व संशोधित अनुमान का अंतर	बजट अनुमानों के प्रतिशत के अनुसार अंतर	संशोधित अनुमानों के प्रतिशत के अनुसार अंतर
							(₹ करोड़ में)
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2
2018-19	11,50,000	12,00,000	11,37,718	(-) 12,282	(-) 62,282	(-) 1.1	(-) 5.2
2019-20	13,35,000	11,70,000	10,50,686	(-) 2,84,314	(-) 1,19,314	(-) 21.3	(-) 10.2
2020-21	13,19,000	9,05,000	9,47,174	(-) 3,71,826	42,174	(-) 28.2	4.7
2021-22	11,08,000	12,50,000	14,12,422	3,04,422	1,62,422	27.5	13.0

स्रोत: बजट अनुमान और संशोधित अनुमान संबंधित बजट प्राप्तियों के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्त लेखाओं के अनुसार हैं।

1.7.3 संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के संग्रह के बीच भिन्नता
वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-)0.2 प्रतिशत से लेकर 13.0 प्रतिशत तक थी। बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच की भिन्नता वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच की तुलना में अधिक थी।

1.8 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.8.1 किसी भी कर कानून और उसकी कर व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के उद्देश्य से राजस्व जुटाना है। एकत्रित राजस्व मुख्य रूप से कर आधार और प्रभावी कर दर पर निर्भर हैं। इन दो कारकों का निर्धारक, उपायों की एक श्रृंखला है, जिसमें विशेष कर दरें, रियायतें, कटौती, छूट, स्थगन और क्रेडिट सम्मिलित हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से "कर प्रोत्साहन या कर प्राथमिकताएं" कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी जाना जाता है।

1.8.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, सहकारी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करता है एवं व्यक्तियों द्वारा एवं धर्मार्थ हेतु

दान द्वारा बचत को प्रोत्साहित करता है। इनमें से अधिकांश कर लाभ निगम और गैर-निगम करदाताओं दोनों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

1.8.3 केंद्रीय प्राप्तियां बजट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल विवरणी के आधार पर निगम करदाताओं और गैर-निगम करदाताओं पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है। नीचे तालिका 1.20 वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाता है।

तालिका 1.20: कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव				
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहन का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	प्रत्यक्ष कर	सकल कर प्राप्तियां
2017-18	1,83,580	1.1	18.3	9.6
2018-19	2,06,113	1.1	18.1	9.9
2019-20	2,57,582	1.3	24.5	12.8
2020-21	2,11,194	1.1	22.3	10.4
2021-22	2,36,960	1.0	16.8	8.7

स्रोत: संबंधित प्राप्त बजट और वि.व. 2020-21 के लिए संशोधित आंकड़े प्राप्त बजट 2023-24 के अनुसार अपनाए गए हैं।

नोट: वि.व. 2021-22 (अनुमानित) को छोड़कर कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़े वास्तविक आंकड़े हैं। ये धर्मार्थ संस्थानों को सम्मिलित नहीं करते हैं। हालांकि, 31 मार्च 2022 तक 2,31,858 इलेक्ट्रॉनिक रूप से नि.व. 2021-22, वि.व. 2020-21 से संबन्धित फाइल विवरणी के संबंध में धर्मार्थ संस्थानों द्वारा आवेदित राशि ₹ 7,06,236 करोड़ थी।

जैसा कि वि.वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्तियों के बजट में सूचित किया गया है, ₹ एक करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20 प्रतिशत, ₹ 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और ₹ 10 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत की वैधानिक कर दर की तुलना में लाभ बताने वाली कंपनियों के पूरे आधार की प्रभावी कर दर²⁰ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 22.20 प्रतिशत²¹ थी। इसके अलावा, मौजूदा कंपनियों के लिए जिन्होंने नई रियायती कर व्यवस्था²² का विकल्प चुना था, जिसमें वैधानिक कर की दर 25.17 प्रतिशत थी। इसके अलावा,

²⁰ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर की दर कुल करों [अधिभार और शिक्षा उपकर सहित लेकिन लाभांश वितरण कर को छोड़कर] का अनुपात करों [पीबीटी] से पहले कुल लाभ में है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

²¹ जो वित्त वर्ष 2019-20 में 22.54 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से कम है।

²² आयकर अधिनियम की धारा 115बीएए के तहत कटौती और छूट के बिना कम कर की दर।

जैसा कि प्राप्तियों के बजट में सूचित किया गया है, प्रभावी कर की दर में महत्वपूर्ण कमी मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि उच्च लाभ वाली बड़ी संख्या में कंपनियां धारा 115बीए के अंतर्गत मौजूदा कंपनियों के लिए प्रदान की गई नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो गई हैं।

1.8.4 जैसा कि प्राप्ति बजट में बताया गया है कि नि.व. 2020-21 में निगम और गैर-निगम निर्धारितियों को दिए गए प्रमुख कर प्रोत्साहन, धारा 80सी (₹ 84,080 करोड़) के अंतर्गत कुछ निवेश और भुगतान के कारण कटौती, धारा 87ए (₹ 33,604 करोड़) के अंतर्गत छूट, धारा 10एए (₹ 25,150 करोड़) के अंतर्गत सेज इकाइयों को निर्यात लाभ में कटौती, धारा 32 (₹ 21,705 करोड़) के अंतर्गत त्वरित मूल्यहास, धारा 80आईए (₹ 19,027 करोड़) के अंतर्गत बिजली के उत्पादन/संचरण और वितरण में उपक्रमों में कटौती, धारा 80आईए (₹ 3,816) के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों में कटौती और वैज्ञानिक अनुसंधान (₹ 2,392 करोड़) पर व्यय के लिए धारा 35(1)(2एए) और 35(1)(2एबी) के अंतर्गत कटौती थे।

1.8.5 जैसा कि तालिका 1.20 से देखा जा सकता है, कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2017-18 में ₹ 1,83,580 करोड़ से 29.0 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 2,36,960 करोड़ हो गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में कर प्रोत्साहन में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन डीटी और जीटीआर में कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के भाग में क्रमशः 5.5 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की कमी आई। वित्त वर्ष 2020-21 में 1.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत था।

1.9 कर ऋण - असंग्रहित मांग

1.9.1 नीचे तालिका 1.21 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान लंबित मांग के बकाया की प्रवृत्ति दी गई है।

तालिका 1.21: मांग की बकाया						
वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष की मांग की बकाया	चालू वर्ष की मांग की बकाया	मांग की कुल बकाया	वसूली हेतु कठिन मांग# के रूप में वर्गीकृत	वसूली हेतु कठिन मांग# के रूप में वर्गीकृत (प्रतिशत में)	शुद्ध संग्रहणीय मांग
						(₹ करोड़ में)
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023	98.19	20,159
2018-19	9,46,190	2,87,888	12,34,078	12,19,485	98.82	14,593
2019-20	11,25,314	4,93,640	16,18,954	15,80,220	97.61	38,734
2020-21	14,63,126	31,166	14,94,292	14,68,013	98.24	26,279
2021-22	14,16,809	5,18,629	19,35,438	18,84,120	97.35	51,318

स्रोत: संबंधित वित्त वर्ष के मार्च महीने के लिए आयकर निदेशालय (संगठन और प्रबंधन सेवाएं), मांग और संग्रह प्रतिवेदन (सीएपी-1)। # इसमें वर्तमान वर्ष की मांग भी सम्मिलित है।

1.9.2 हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में मांग की कुल बकाया ₹ 19,35,438 करोड़ था, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 (₹ 14,94,292 करोड़) की तुलना में 29.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई; 'वसूली के लिए कठिन' के रूप में वर्गीकृत मांगों में वित्त वर्ष 2021-22 में मांग के कुल बकाया का मामूली रूप से 97.35 प्रतिशत तक की कमी आई, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध संग्रहणीय मांग में वृद्धि के कारण 98.24 प्रतिशत थी।

1.9.3 लेखापरीक्षा ने नोट किया कि संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के लिए आयकर विभाग द्वारा तैयार की गई मांग और संग्रहण रिपोर्ट में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त संपत्ति, परिसमापन के अंतर्गत मामले/बीआईएफआर, करदाताओं का पता न लग पाना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा रोक लगाई गई मांग, टीडीएस/प्रीपेड करों बेमेल आदि, जिससे मांग के एक अनुमान के लिए अग्रणी वसूली कठिन हो जाता है, का विश्लेषण किया गया है।

नीचे दी गई तालिका 1.22 में निम्नलिखित कारकों के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वसूली में कठिनाई वाली मांग के रूप में वर्गीकृत राशि का विवरण दिया गया है:

तालिका 1.22: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वसूली हेतु कठिन के रूप में वर्गीकृत विभिन्न कारक-वार बकाया मांगें		
क्रम सं.	विवरण	बकाया मांग (₹ करोड़ में)
1	वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां (अपर्याप्तता की सीमा तक)	6,83,928
2	करदाताओं का पता न लग पाना (जहां तक इससे वसूली प्रभावित होने की संभावना है)	2,37,242
3	आईटी अधिकारियों द्वारा मांग पर रोक लगाई गई	1,56,127
4	न्यायालयों/आईटीएटी द्वारा मांग पर रोक	1,40,843
5	कोई अन्य कारण (जिसे अलग अनुलग्नक में निर्दिष्ट किया जाएगा) जिसके लिए मांग की वसूली करना कठिन माना जाता है	1,37,356
6	टीडीएस/प्रीपेड करों का बेमेल	1,06,531
7	बीआईएफआर को छोड़कर अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से कुर्क की गई संपत्तियां	92,958
8	आईबीसी - 2016 के अंतर्गत एनसीएलटी के समक्ष लंबित मामले	65,386
9	परिसमापन में कंपनियाँ	60,825
10	ऐसे मामले जहां विभाग अपील में हार गया है, लेकिन मांग अन्य वर्षों के लिए लंबित है या मामले को जीवित रखने के लिए उठाया जाना जारी है, क्योंकि विभाग आगे अपील में है।	54,328
11	अन्य*	1,48,597
	कुल	18,84,121

स्रोत: मार्च 2022 माह के लिए मांग एवं संग्रह रिपोर्ट (सीएपी-1) ।

*अन्य में 'ऐसी मांग जिसकी वसूली आयकर प्राधिकारियों द्वारा विचाराधीन करदाता की स्थगन याचिका के कारण नहीं की जा रही है', 'सुरक्षात्मक मांग', 'प्रविष्टियों के दोहराव के कारण लंबित सुधार' आदि शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका 1.22 से यह देखा जा सकता है कि वसूली हेतु कठिन के रूप में वर्गीकृत बकाया मांग की राशि 'वसूली के लिए कोई परिसंपत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसंपत्तियां (अपर्याप्तता की सीमा तक)' (36.3 प्रतिशत) के लिए सबसे अधिक थी, जिसके बाद 'करदाता का पता न लगा पाना (जिस सीमा तक इससे वसूली प्रभावित होने की संभावना है)' (12.6 प्रतिशत) का स्थान था।

1.10 वाद प्रबंधन

1.10.1 निम्न तालिका 1.23 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील मामलों के निपटान और लंबित होने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है:

तालिका 1.23: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान						
वित्तीय वर्ष	निपटान के लिए लंबित अपील मामले	अपील के मामलों का निपटान	लंबित अपील के मामले	मामलों का निपटान प्रतिशत में	लंबित मामले प्रतिशत में	अपील मामलों में रूकी हुई राशि
(संख्या लाख में)					(₹ करोड़ में)	
2017-18	4.25	1.21	3.04	28.5	71.7	5,18,647
2018-19	4.62	1.23	3.39	26.6	73.4	5,62,806
2019-20	5.57	0.99	4.58	17.8	82.2	8,83,331
2020-21	4.85	0.26	4.59	5.4	94.6	24,64,610
2021-22	5.75	0.73	5.02	12.7	87.3	14,18,631

स्रोत: सीबीडीटी

1.10.2 सीआईटी (अपील) के पास लंबित अपीलों की संख्या वित्त वर्ष 2020-21 में 4.59 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 5.02 लाख हो गई। हालांकि, इन मामलों में रूकी हुई राशि वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 24.65 लाख करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 14.19 लाख करोड़ हो गई।

1.10.3 नीचे तालिका 1.24 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के पास लंबित अपील मामलों की स्थिति दी गई है।

तालिका 1.24: आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलें								
वित्तीय वर्ष	आईटीएटी		उच्च न्यायालय		सर्वोच्च न्यायालय		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
(₹ करोड़ में)								
2017-18	37,353	2,34,999	39,066	1,96,053	6,224	11,773	82,643	4,42,825
2018-19	92,205	लागू नहीं [@]	38,539	1,36,465	4,425	74,368 [#]	1,35,169	2,10,833
2019-20	31,495	2,67,424	37,374	3,09,238	6,182	27,304	75,051	6,03,966
2020-21	26,111	2,70,039	31,971	2,75,329	5,567	25,274	63,649	5,70,642
2021-22	19,238	3,05,087	27,950	3,31,245	4,379	27,736	51,567	6,64,068

स्रोत: सीबीडीटी;

नोट: वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़े संशोधित आंकड़े हैं, जैसा कि पत्र एफ.सं. 240/06/2022-एएंडपीएसी-1-213 दिनांक 12/04/2024 में दिया गया है;

[@] विभाग के साथ-साथ निर्धारितियों द्वारा आईटीएटी में फाइल अपील के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

[#] निर्धारितियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में फाइल अपीलों के संबंध में राशि उपलब्ध नहीं है।

1.10.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि पिछले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/ उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या में कमी आई है, जहां रूकी हुई राशि में वृद्धि हुई है।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि चालू वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आईटीएटी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या के समासोधन के बाद, वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में, वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आईटीएटी के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में 66 प्रतिशत और 72 प्रतिशत की कमी आई है जबकि वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में क्रमशः 40 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। हालाँकि, ऐसे परिवर्तनों के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए समासोधन के कारण वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए आईटीएटी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव को देखते हुए, सीबीडीटी को नियमित आधार पर इस तरह के अभ्यास करने की आवश्यकता है।

1.10.5 यद्यपि आईटीएटी के स्तर पर लंबित अपीलों की संख्या सीबीडीटी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई थी, इन अपीलों के अनुरूप रूकी हुई राशि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

1.10.6 सीबीडीटी ने अपने वर्ष 2019 की परिपत्र संख्या 17 दिनांक 8 अगस्त 2019 के माध्यम से विभाग द्वारा अपील फाइल करने के लिए मौद्रिक सीमा को आईटीएटी के समक्ष ₹ 20 लाख से बढ़ाकर ₹ 50 लाख; उच्च न्यायालय के समक्ष, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़; और उच्चतम न्यायालय के समक्ष, ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया है। लंबित मामलों की संख्या में 18.98 प्रतिशत अर्थात् वित्त वर्ष 2020-21 में 0.64 लाख मामलों से वित्त वर्ष 2021-22 में 0.52 लाख मामलों तक की कमी आई।

1.11 कर अपवंचन

1.11.1 खोज एवं जब्ती²³ और सर्वेक्षण²⁴ मुख्य साक्ष्य एकत्र करने वाले तंत्र में से एक हैं जिनका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में कर अपवंचन के बारे में विश्वसनीय जानकारी है। निम्न तालिका 1.25 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान की गई खोज और जब्ती अभियानों एवं किए गए सर्वेक्षणों तथा स्वीकार्य/पता लगाया गया अघोषित आय का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.25 : खोज एवं जब्ती और सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति				
(₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	खोजे गए समूहों की संख्या	स्वीकृत अघोषित आय (खोज और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	अघोषित आय की पहचान (सर्वेक्षणों में)
2017-18	577	15,913	13,487	9,634
2018-19	983	18,594	15,401	16,126
2019-20	984	10,370	12,720	22,244
2020-21	569	4,145	426	5,111
2021-22	686	5,432	1,046	5,135

स्रोत: जांच विंग, सीबीडीटी;

1.11.2 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, खोजे गए समूहों की संख्या में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खोज और जब्ती के दौरान स्वीकार की गई अघोषित आय में 31.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और किए गए सर्वेक्षणों की संख्या में 145.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि सर्वेक्षण के दौरान पाई गई अघोषित आय में वित्त वर्ष 2020-21 में संबंधित आंकड़ों की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.12 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

1.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही अनुप्रयोगों

²³ किसी भी अघोषित आय या मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत खोज और जब्ती की जाती है।

²⁴ किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता है, जो कर अपवंचन को रोकने में आईटीडी के लिए उपयोगी हो सकता है।

द्वारा मांगों/प्रतिदाय को सही ढंग से संसाधित किया जाता है। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वित्त वर्ष 2020-21 में 1,22,179 मामलों की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 1,46,908 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 11,740 प्रमुख जाँच मामलों²⁵ में से, कर निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने वित्त वर्ष 2020-21 में 10,700 मामलों में से 1,618 मामलों (15.1 प्रतिशत) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 2,537 मामलों (21.6 प्रतिशत) पर कार्रवाई की।

1.12.2 निम्न तालिका 1.26 में वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए उठाए गए, निपटाए गए और लंबित आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 1.26: आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण								
								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	अथशेष [^]		जोड़		निपटान किया गया		लंबित	
	मामलों	राशि	मामलों	राशि	मामलों	राशि	मामलों	राशि
2017-18	21,129	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575
2018-19	25,408	12,602	16,975	3,147	11,847	4,334	30,536	11,415
2019-20	31,024	11,388	14,887	4,088	10,084	1,206	35,827	14,270
2020-21	36,054	14,038	11,173	7,262	8,957	2,946	38,270	18,354
2021-22	37,879	18,680	9,048	7,418	12,013	3,548	34,914	22,550

स्रोत: आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण);

[^]मार्च को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के बाद संबंधित सीएसआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.12.3 ऊपर तालिका 1.26 से यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 में लंबित मामलों (38,270 मामले) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 34,914 मामले 8.8 प्रतिशत की कमी के साथ लंबित थे। हालांकि, लंबित मामलों में सम्मिलित राशि वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹ 22,550 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 18,354 करोड़ थी अर्थात् 22.8 प्रतिशत की वृद्धि। निर्धारण अधिकारी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

²⁵ प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्रिक सीमा निर्देश संख्या 2017 की 6 दिनांक 21/7/2017 के अनुसार ₹ दो लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख कर दी गई है।

1.13 कर प्रशासन प्रक्रिया

1.13.1 आयकर विभाग में कर व्यवस्था प्रक्रिया में स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन; आयकर विवरणी (आईटीआर) फाइल करना; आईटीआर का प्रसंस्करण; आईटीआर की संवीक्षा; गलतियों का सुधार; आय से बचने का कर निर्धारण; कर निर्धारण आदेशों का संशोधन; अपील प्रक्रिया; प्रतिदाय निर्धारण; मांग का सृजन; करों का संग्रह; शास्ति और अभियोजन आदि सम्मिलित हैं। निम्न तालिका 1.27 में आयकर विभाग में सम्मिलित प्रक्रियाओं का विवरण दर्शाया गया है। **परिशिष्ट 1.2** में प्रवाह चार्ट इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है।

तालिका 1.27: कर प्रशासन प्रक्रिया

स्थायी खाता संख्या (पैन)	प्रत्येक व्यक्ति ²⁶ जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139ए के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर विवरणी (आईटीआर) फाइल करना आवश्यक है, और उसे स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं की गई है ऐसे समय के भीतर जैसाकि निर्धारित किया जाए, तो वह पैन के आवंटन के लिए आयकर विभाग में आवेदन करेगा।
--------------------------	--

आयकर विवरणी	अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत व्यक्ति एक कंपनी या एक फर्म होने के नाते; या एक कंपनी या फर्म के अलावा एक व्यक्ति होने के नाते यदि उसकी कुल आय, या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारणीय है, अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है, तो वह नियत तारीख को या उससे पहले, निर्धारित फार्म में पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आयकर विवरणी प्रस्तुत करेगा। सीबीडीटी ने विभिन्न श्रेणियों के निर्धारितियों के लिए आईटीआर के विभिन्न फॉर्मों को निर्धारित किया है। निर्धारितियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है {आयकर नियमावली 1962 का नियम 12(3)}।
-------------	--

संक्षिप्त निर्धारण {धारा 143(1), 143(1ए), 143(1बी)}	संक्षिप्त निर्धारण के अंतर्गत, आईटीआर की अंकगणितीय परिशुद्धता, आंतरिक अनुरूपता इत्यादि के लिए जांच की जाती है। इसके अलावा, फार्म 26 एएस या फार्म 16ए या फार्म 16 में दर्शाई गई आय को भी जोड़ा जाता है, जिसे आयकर विवरणी में कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है। संक्षिप्त निर्धारण, आईटीआर में उपलब्ध डेटा के साथ तथा निर्धारिती से रिकार्ड और जानकारी मांगे बिना किया जाता है। इस प्रकार, संक्षिप्त निर्धारण स्वरूप से गैर-अंतर्वेधी है। संसाधन के पश्चात, यदि निर्धारिती
---	--

²⁶ कंपनी, फर्म, वैयक्तिक, एचयूएफ, न्यास, व्यक्तियों की एसोसिएशन, व्यक्तियों का निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, सरकारी एजेंसी।

तालिका 1.27: कर प्रशासन प्रक्रिया

से कोई मांग देय है, तो उसे मांग नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है। कर के अधिक भुगतान के मामले में, कुछ अपवादात्मक मामलों के अलावा, जहां प्रतिदाय की अनुमति मैनुअल मोड में दी जाती है, प्रतिदाय बैंकर योजना के माध्यम से प्रतिदाय जारी किया जाता है।

संवीक्षा निर्धारण निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आयकर विवरणी को कम्प्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) द्वारा विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया जाता है और कुछ मामलों का चयन सीबीडीटी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा मैनुअली किया जाता है। अधिनियम में दो प्रकार के नियमित संवीक्षा निर्धारणों का प्रावधान है: (क) धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण जिसे निर्धारिती को अवसर प्रदान करने तथा रिकॉर्ड में निर्धारिती के सभी सुसंगत तथ्य तथा उत्तर लेने के बाद किया जाता है। (ख) धारा 144 (सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण) के अंतर्गत निर्धारण किया जाता है, जब, नोटिस दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती उत्तर नहीं देता है अथवा उत्तर फाइल नहीं करता है। उपरोक्त के साथ-साथ, ब्लॉक निर्धारणों की संवीक्षा तालाशी के मामलों में (धारा 153ए/153सी) की जाती है।

संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी (नि.अ.) आयकर विभाग के पास उपलब्ध निर्धारितियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड तथा जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके साथ स्वयं की संतुष्टि के लिए निर्धारिती से रिकॉर्ड तथा जानकारी मंगवाता है कि कोई आय बेहिसाबी नहीं है तथा कर की ठीक प्रकार से गणना की गई है।

त्रुटियों का परिशोधन अधिनियम में स्वतः संज्ञान लेते हुए या निर्धारिती के अनुरोध पर निर्धारण आदेशों में बाद में सुधार का भी प्रावधान है (धारा 154)।

निर्धारण से छूट आय यदि नि.अ. के पास विश्वास के लिए कारण है कि कोई कर को प्रभार्य आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है, तो वह ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है तथा कोई अन्य कर को प्रभार्य आय जो अधिनियम के प्रावधानों (धारा 147) के अधीन पुनर्निर्धारण के दौरान बाद में उसकी जानकारी में आता है।

आदेशों का संशोधन प्रधान आयकर आयुक्त धारा 263/264 के अंतर्गत एक निर्धारण आदेश में संशोधन कर सकता है यदि उसका यह मानना है कि नि.अ. द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दिया गया कोई आदेश गलत है।

कर कटौती तथा संग्रहण संख्या (टीएएन) टीएएन या कर कटौती तथा संग्रहण लेखा संख्या एक 10 अंको की अक्षरांकीय संख्या है जिसे सभी व्यक्तियों, जो कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा अधिनियम की धारा 203(ए) के अंतर्गत प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

तालिका 1.27: कर प्रशासन प्रक्रिया

पूर्व-निर्धारण संग्रहण प्रत्येक निर्धारिती से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी कर देयता के निर्धारण तथा अग्रिम कर (धारा 207) तथा स्वयं-निर्धारण कर (धारा 140ए) के भुगतान की कानूनी रूप से अपेक्षा की जाती है। अधिनियम में कुछ भुगतान करने वाले प्राधिकरणों को व्यक्तियों या कॉर्पोरेट आदि को किए गए भुगतान का एक निश्चित *प्रतिशत* काटने और सरकार के खाते में जमा करने की भी आवश्यकता होती है। स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) करने वाले प्राधिकारी नामक नामित प्राधिकारी के माध्यम से कर एकत्र करने का एक अन्य तरीका है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से कुछ संविदा/पट्टा लेने वाले कुछ व्यक्तियों/निगमों से कर इकट्ठा करते हैं। इन चार तंत्रों - अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, टीडीएस तथा टीसीएस के माध्यम से आय कर का संग्रहण कर संग्रहणों का पूर्व-निर्धारण माध्यम कहा जाता है।

अपील प्रक्रिया एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आय कर अपीलीय अधिकरण को तथ्य तथा कानून के प्रश्न पर अपील की भी अनुमति है। धारा 260ए के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी मामले पर विचार नहीं किया गया है या गलत विचार किया गया है तथा किसी ऐसे मामले में धारा 261 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भी भेजा जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय अपील के लिए सही मामला प्रमाणित करता है।

प्रतिदाय जहां कर की भुगतान की गई राशि देय कर की राशि से अधिक है, वहां निर्धारिती अधिक राशि के प्रतिदाय के लिए हकदार है। ऐसे प्रतिदाय की राशि पर निर्धारित दर पर साधारण ब्याज देय है।

बकाया कर की वसूली नि.अ. से मांग की प्राप्ति पर, निर्धारिती को 30 दिनों या निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय सीमा में भुगतान करना आवश्यक है। यदि मांग के उठाए जाने के एक वर्ष के अन्दर वसूली नहीं की जाती है, तो निर्धारण अधिकारी को मांग की वसूली के लिए उठाए गए सभी संभव उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात कर वसूली प्रमाण पत्र (टीआरसी) को बनाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को बकाया मामलों के विवरण भेजना आवश्यक है।

शास्ति तथा अभियोजन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन के लिए निवारक प्रभाव के सम्बन्ध में, अधिनियम में शास्ति लगाने तथा अभियोजन शुरू करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान है। कई शास्तिक प्रावधानों में उद्ग्रहण विवेकाधीन स्वरूप वाला है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है।

1.13.2 पहचानविहीन निर्धारण योजना

करदाता और विभाग के बीच व्यक्तिगत संपर्क से बचने के लिए, जिससे कुछ अनुचित प्रथाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, 2019 में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहचानविहीन निर्धारण की एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, निर्धारण इकाइयों को यादृच्छिक तरीके से संवीक्षा आवंटित की जाती है और निर्धारण अधिकारी के नाम, पदनाम या स्थान का खुलासा किए बिना, केंद्रीय सेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना जारी की जाती है। केंद्रीय सेल करदाता और विभाग के बीच संपर्क का एकल बिंदु होता है।

"पहचानविहीन निर्धारण योजना, 2019" के अंतर्गत सीबीडीटी द्वारा अपनाए गए "पहचानविहीन निर्धारण" की शुरुआत के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2020-21 में आईटीडी के निर्धारण प्रभारों शुल्क और अन्य कार्यात्मक स्कंधों का पुनर्गठन किया गया था। अधिक जानकारी **परिशिष्ट 1.1** में उल्लिखित है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी का प्राधिकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) संघ और राज्यों के खातों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो संसद द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। संसद ने 1971 में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत कि संचित निधि में देय सभी प्राप्तियों का लेखापरीक्षा करे और खुद को संतुष्ट करे कि राजस्व के निर्धारण, संग्रह और उचित आवंटन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया गया है और विधिवत निरीक्षण किया जा रहा है और इस उद्देश्य के लिए खातों कि ऐसी जांच करने के लिए जैसा वह उचित समझता है और उस पर रिपोर्ट करता है। आगे, लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम (संशोधन), 2020 में प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए व्यापक ढांचा निर्धारित किया गया है।

2.2 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का व्यापक ढांचा

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों, नियमों और प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावोत्पादकता की जांच शामिल है:

- क. कर विभाग द्वारा राजस्व का निर्धारण, संग्रह और आवंटन;
- ख. कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर चोरी का पता लगाने और रोकथाम के लिए संभावित कर निर्धारितियों की पहचान;
- ग. दंड लगाने और अभियोजन शुरू करने सहित उचित तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग;
- घ. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई;

- ड. राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने या सुधारने हेतु शुरू किए गए कोई उपाय;
- च. राशि जो बकाया में हो सकती है, बकाया के अभिलेखों का रखरखाव तथा बकाया की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;
- छ. उचित तत्परता के साथ दावों का अनुगमन करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त औचित्य और उचित अधिकार को छोड़कर इनका परित्याग या इन्हें घटाया नहीं गया है।

2.2.2 उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर विभाग द्वारा पूरा किए गए निर्धारण की जांच की। इसके अलावा, पहले के वर्षों में पूरा किए गए कुछ निर्धारण भी लेखापरीक्षा जांच हेतु लिए गए थे।

2.2.3 आयकर विभाग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारिती द्वारा फ़ाइल किए गए आयकर विवरणी के नमूने के संबंध में संवीक्षा निर्धारण करता है। संवीक्षा निर्धारण के लिए आयकर विवरणी (आईटीआर) का चयन आईटीडी द्वारा पहचाने गए और पूर्व परिभाषित मापदंडों के आधार पर कंप्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन (सीएएसएस) के माध्यम से किया जाता है। इन मामलों की तब सही निर्धारण पर पहुंचने के लिए कटौतियों, नुकसान, छूट आदि के दावों के संबंध में बारीकी से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करों का कोई अपवंचन नहीं है।

पहचानविहीन निर्धारण²⁷ योजना 2019 के तहत सीबीडीटी, पूर्व-निर्धारित भूमिकाओं वाली विभिन्न इकाइयाँ {आगे, पहचानविहीन निर्धारण (पहला संशोधन) योजना, 2021 के रूप में संशोधित} अर्थात्, राष्ट्रीय ई-निर्धारण सेंटर (एनईएसी), क्षेत्रीय ई-निर्धारण सेंटर (आरईएसी), निर्धारण इकाई (एयू), सत्यापन इकाई (वीयू), तकनीकी इकाइयाँ (टीयू) और समीक्षा इकाइयाँ (आरयू) की स्थापना अगस्त 2020 में की गई है। पहचानविहीन निर्धारण योजना का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

²⁷ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 12 सितंबर 2019 की अधिसूचना के माध्यम से पहले ही प्रकाशित ई-निर्धारण योजना, 2019 में संशोधन करके सीबीटीडी द्वारा 13 अगस्त 2020 को "पहचानविहीन निर्धारण योजना, 2019" के तहत "पहचानविहीन निर्धारण" को अपनाया गया था।

आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग (आईटीबीए) के कार्यान्वयन के बाद, आईटीडी प्रणाली कर की गणना, अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की गणना, समय बाधित जाँचें, आदि का कार्य करती है। संवीक्षा निर्धारण, सुधार और अपील प्रभाव आदेशों के मामले में, पहचानविहीन निर्धारण के कार्यान्वयन के बाद भी, आदेशों के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रणाली में आँकड़े भरे जाते हैं। टीडीएस/टीसीएस, अग्रिम कर आदि के संबंध में एक निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान क्रमशः फॉर्म 26एस आवेदन और ओएलटीएस अनुप्रयोग से स्वतः भरे जाते हैं।

पहचानविहीन निर्धारण के तहत, निर्धारिती को दावे (दावों), यदि कोई हो, को साक्ष्य के साथ प्रमाणित करने का अवसर दिया जाता है, ऐसा न करने पर राष्ट्रीय ई निर्धारण केंद्र (एनईएसी) निर्धारण को उचित माना जाता है। जांच मामलों के संबंध में निर्धारण आदेशों को संसाधित करने, पूरा करने और सुधारने का काम आईटीबीए में एनईएसी द्वारा किया जाता है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच करते हुए, लेखापरीक्षा ने देखा कि पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद भी कुछ प्रकार की अनियमितताएं दोहराई जा रही हैं, निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरी की गई जांच के दौरान सीबीडीटी के कर कानूनों और निर्देशों और निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएं जारी हैं, आईटीबीए के कार्यान्वयन के बावजूद कर व्यवस्था की दक्षता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ मामलों पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

2.2.4 वित्त वर्ष 2020-21²⁸ के दौरान कुल 672.04 लाख रिटर्न फ़ाइल किए गए। उसी वित्त वर्ष में, आईटीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों में 92,991 संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से आईटीडी ने 86,458 निर्धारण मामले पेश किए। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आईटीडी ने 2020-21 से पहले वित्तीय वर्षों में पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण के 1,58,136 मामलों में से 1,01,044 मामलों को भी प्रस्तुत किया। 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा किए गए 1,87,502 कुल संवीक्षा निर्धारण में, लेखापरीक्षा ने 9,832 निर्धारण आदेशों में 10,708 गलतियों को देखा, जिनका

²⁸ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान फ़ाइल किए गए विवरण की कुल संख्या 647.75 लाख थी।

कर प्रभाव ₹ 40,984.40 करोड़ था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में त्रुटियों की घटना 5.24 प्रतिशत थी। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित संवीक्षा निर्धारण के मामलों में से, आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा ने 16,343 मामलों की जांच की थी। जैसा कि हमने केवल सीमित संख्या में निर्धारण मामलों/अभिलेखों को देखा है, मंत्रालय को इसे सम्पूर्ण रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है और न कि केवल लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नमूने के मामलों में। निर्धारण में त्रुटियों की राज्य-वार घटना **परिशिष्ट 2.1** में दी गई है।

2.2.5 नीचे तालिका 2.1 में सात राज्यों का विवरण दिखाया गया है: पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, लेखापरीक्षा में त्रुटियों के उच्चतम निर्धारण *प्रतिशत* को संज्ञान में लाया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच की गई।

तालिका 2.1: त्रुटियों के साथ उच्चतम निर्धारण के मामले वाले सात राज्यों का विवरण जहां 10,000 से अधिक निर्धारण की जांच की गई थी

राज्य	निर्धारण (संख्या में)		त्रुटियों के साथ	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों के साथ निर्धारण का <i>प्रतिशत</i> (<i>प्रतिशत</i>)
	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में पूरा किया	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच की गई			
पश्चिम बंगाल	19,801	18,799	1,359	3,699.82	7.23
गुजरात	12,294	12,061	793	1,677.00	6.57
आंध्र प्रदेश	15,166	13,367	859	1,206.01	6.43
महाराष्ट्र	45,736	24,769	1,332	12,428.94	5.38
मध्य प्रदेश	25,673	18,765	781	494.03	4.16
दिल्ली	29,909	29,418	1,167	8,637.66	3.97
उत्तर प्रदेश	18,090	16,901	389	636.74	2.30

पश्चिम बंगाल (7.23 *प्रतिशत*) में, त्रुटियों के साथ निर्धारण का उच्चतम *प्रतिशत* है, इसके बाद गुजरात (6.57 *प्रतिशत*) का स्थान है। आयकर विभाग को चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण में पाई गई त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करे।

2.2.6 तालिका 2.2 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में संज्ञान में लाए गए अवलोकनों को सारांशित करती है।

तालिका 2.2: निर्धारण में अभ्युक्तियों का कर-वार विवरण		
श्रेणी	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
निगम कर (सीटी)	4,245	29,611.87 ²⁹
आयकर (आईटी)	6,454	11,371.37 ³⁰
अन्य प्रत्यक्ष कर (ओटीडी) ³¹	09	1.16
कुल	10,708	40,984.40

2.2.7 नीचे तालिका 2.3 निगम कर और आयकर के संबंध में कम निर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण दिखाती है। **परिशिष्ट 2.2** इन श्रेणियों के तहत उप-श्रेणियों के संबंध में विवरण इंगित करता है।

तालिका 2.3: अवनिर्धारण से संबंधित अभ्युक्तियों का श्रेणी-वार विवरण		
श्रेणी	अभ्युक्तियों की संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
निर्धारण की गुणवत्ता	4,597	11,385.07
कर रियायतों/छूट/कटौतियों की व्यवस्था	2,331	12,110.99
चूक के कारण निर्धारण से बची आय	731	3,958.83
अन्य	2,404	9,692.01
कुल	10,063	37,146.89

2.3 निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार और व्यापक अनियमितताएं

आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा पूरे किए गए निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए अननुपालन और अनियमितताओं के उदाहरण हर साल हमारी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर में सामने लाए जाते हैं। एक अनियमितता को सतत माना जा सकता है यदि यह साल-दर-साल होती है। यह तब व्यापक हो जाती है जब यह पूरे तंत्र को प्रभावित करती है

²⁹ इसमें ₹ 2,837.25 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिनिर्धारण के 248 मामले शामिल हैं।

³⁰ इसमें ₹ 1,016.88 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिनिर्धारण के 416 मामले शामिल हैं।

³¹ संपत्ति कर

और कई निर्धारण न्यायाधिकरणों में वितरित की जाती है। हम वर्ष-दर-वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निगम और आयकर के निर्धारण मामलों के संबंध में विभिन्न अनियमितताओं की ओर इशारा करते रहे हैं, और इनमें से कुछ अनियमितताएं सतत और व्यापक दोनों प्रतीत होती हैं, जो संबंधित हैं:

- (i) मूल्यहास/व्यावसायिक नुकसान/पूंजी हानि आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं,
- (ii) व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति,
- (iii) अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ प्रतिदाय पर ब्याज और
- (iv) विशेष प्रावधानों के तहत गलतियाँ जिसमें एमआईटी/एएमटी/टनेज कर आदि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार इंगित किए जाने और आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति, गलत अनुमति, अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय एवं गलतियाँ, इस तरह की दोहराव की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तंत्र में उचित नियंत्रण स्थापित करने में विभाग की ओर से गंभीरता की कमी का संकेत है, विशेष रूप से आईटीबीए के कार्यान्वयन के बाद भी। यह राजस्व की हानि के लिए व्यवस्थित और संरचनात्मक कमजोरियों की प्रतिक्रिया के लिए प्रभावी निगरानी और एक प्रभावी संस्थागत तंत्र की कमी की ओर भी इशारा करता है। 2022-24 के दौरान मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैरा के साथ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन³² में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विश्लेषण गलतियों की दृढ़ता और व्यापकता की जांच करने के लिए किया गया था। यद्यपि विभिन्न राज्यों में देखी गई अनियमितताओं ने राज्यों के बीच घटनाओं का कोई विशिष्ट प्रतिरूप नहीं दिखाया, वे कुछ राज्यों में दूसरों की तुलना में अधिक बार हो रहे थे। निगम कर के संबंध में, उनकी घटना और कर प्रभाव महाराष्ट्र में लगातार उच्च देखा गया था, जिसमें ₹ 5,127.12 करोड़ के कुल कर प्रभाव में से ₹ 2,771.06 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए 99 अभ्युक्तियां देखी गई थी और आयकर के संबंध में, उनकी घटना को

³² सीएजी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (केंद्र सरकार - राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) 2020 का 11 (मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए), 2021 का 8 (मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए) और 2022 का 29 (मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए)।

दिल्ली में लगातार 51 अभ्युक्तियों के साथ उच्च देखा गया था, जबकि महाराष्ट्र में कर प्रभाव ₹ 601.67 के कुल कर प्रभाव में से ₹ 248.62 करोड़ के कर प्रभाव के साथ उच्च देखा गया था, जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: कर प्रभाव के साथ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुल संख्या		
श्रेणी	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की कुल संख्या	कुल कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
निगम कर	332	5,127.12
आयकर	172	601.67
कुल	504	5,728.79

ऊपर उल्लिखित श्रेणियों में सूचित की गई ऐसी अनियमितताओं की एक प्रोफाइल की चर्चा नीचे की गई है।

2.3.1 कर रियायतों/छूट/कटौतियों की व्यवस्था- मूल्यहास, व्यावसायिक हानि और पूंजीगत नुकसान आदि की अनुमति देने में अनियमितताएं

हम गलत अनुमति और व्यावसायिक नुकसान, पूंजी हानि और अवशोषित मूल्यहास, मूल्यहास के गलत अनुमति आदि से संबंधित अनियमितताओं को संज्ञान में लाए। ऐसी गलतियों की प्रकृति में शामिल हैं:

- (i) अग्रानीत व्यावसायिक नुकसान और अनवशोषित मूल्यहास के समंजन की त्रुटिपूर्ण छूट जहां पहले के निर्धारण वर्षों के संबंध में कोई नुकसान उपलब्ध नहीं था।
- (ii) गलत आंकड़ों का अभिग्रहण, अर्थात् चालू निर्धारण वर्ष में लौटाए गए नुकसान के रूप में पहले के वर्षों की व्यावसायिक हानि को अभिग्रहित किया गया है।
- (iii) व्यापार हानि को आगे ले जाने का त्रुटिपूर्ण अनुमोदन, हालांकि उक्त निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरण को विवरण फ़ाइल करने की नियत तारीख के बाद फ़ाइल किया गया था।
- (iv) मूल्यहास आदि के कारण दोहरी कटौती।

निर्धारण अभिलेख के गैर-सहसंबंध के कारण ऐसी अनियमितताएं हुईं, जो निर्धारण अधिकारियों की उचित परिश्रम लागू करने और कानून का पालन करने में विफलता को इंगित करती हैं। 2018-19 से 2020-21 तक मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूंजी हानि आदि के अनुमति में देखी गई चूक, जैसा कि

पिछले तीन वर्षों की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सामने लाया गया है, को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2021-22) के निष्कर्षों के साथ नीचे तालिका 2.5 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.5: मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि इत्यादि की अनुमति देने में पाई गई गलतियां (₹ करोड़ में)

श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	75 ³³	2,655.15	87 ³⁴	1,017.28	54 ³⁵	392.05	53 ³⁶	1,134.44
आईटी	14 ³⁷	21.30	11 ³⁸	27.83	3 ³⁹	2.32	4 ⁴⁰	38.93

वर्ष 2018-22 के दौरान, निगम कर और आयकर के संबंध में गैर-अनुपालन संबंधित राज्यों में सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.6: मूल्य हास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि आदि के कारण कुल कर प्रभाव की त्रुटियों के उच्चतम आपतन वाले राज्य

वर्ष	राज्य (प्रतिशत)	
	निगम कर	आयकर
2018-19	बिहार (38.6) महाराष्ट्र (34)	बिहार (30)
2019-20	कर्नाटक (30.3) महाराष्ट्र (26.19)	कर्नाटक (44.25)
2020-21	महाराष्ट्र (28.8) दिल्ली(25.3)	गुजरात (94.12)
2021-22	महाराष्ट्र (77.85) पश्चिमी बंगाल (9.17)	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (57.38) ओड़ीशा (33.90)

³³ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

³⁴ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

³⁵ गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और हरियाणा।

³⁶ असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

³⁷ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

³⁸ दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और तमिलनाडु

³⁹ असम और गुजरात।

⁴⁰ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ओडिशा, असम और कर्नाटक।

2018-19 के दौरान, इस खाते पर अननुपालन बिहार (38.6 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद महाराष्ट्र (34 प्रतिशत) ने मूल्यहास/व्यापार घाटे/पूँजीगत नुकसान आदि के गलत अनुमति से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफ के कुल कर पर प्रभाव डाला। 2019-20 के दौरान, इस संबंध में अनियमितताएं कर्नाटक (30.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद महाराष्ट्र (26.19 प्रतिशत) का स्थान है। 2020-21 के दौरान, यह महाराष्ट्र (28.8 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद दिल्ली में (25.3 प्रतिशत) रहा। 2021-22 के दौरान, ये अनियमितताएं महाराष्ट्र (77.85 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (9.17 प्रतिशत) का स्थान है।

आयकर के संबंध में, इस तरह की अनियमितताएं 2018-19 के दौरान मूल्यहास/व्यापार घाटे/पूँजीगत नुकसान आदि के गलत अनुमति से संबंधित मंत्रालय को जारी किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफ के कुल कर प्रभाव का 30 प्रतिशत बिहार में सबसे अधिक पाया गया। 2019-20 के दौरान, इस खाते पर कर प्रभाव कर्नाटक में सबसे अधिक (44.25 प्रतिशत) पाया गया, जबकि 2020-21 के दौरान, ये अनियमितताएं गुजरात में सबसे अधिक (94.12 प्रतिशत) थीं। 2021-22 के दौरान, ये अनियमितताएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (57.38 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाई गईं, इसके बाद ओडिशा (33.90 प्रतिशत) का स्थान है।

2.3.2 कर रियायतों/छूट/कटौतियों की व्यवस्था - व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

हमने व्यावसायिक व्यय के अपात्र दावों के गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताओं को देखा, जैसे पूँजीगत व्यय, अवैतनिक दावे और अनिश्चित देयता के रूप में माने जाने वाले प्रावधान, आदि। 2018-19 से 2020-21 के दौरान देखे गए व्यय के गलत अनुमति में गलतियां, जैसा कि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2021-22) के निष्कर्षों के साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है, को नीचे तालिका 2.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.7: व्यावसायिक व्यय के अनुमति में पाई गई त्रुटियाँ (₹ करोड़ में)								
श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	49 ⁴¹	764.39	40 ⁴²	187.75	49 ⁴³	617.86	40 ⁴⁴	626.14
आईटी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	7 ⁴⁵	9.33	8 ⁴⁶	13.40

वर्ष 2018-22 के दौरान, संबंधित राज्यों में निगम कर और आयकर के संबंध में अननुपालन सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: व्यावसायिक व्यय की अनुमति में उच्चतम कुल कर प्रभाव के गलती पाये गए मामले वाले राज्य		
वर्ष	राज्य (प्रतिशत)	
	निगम कर	आयकर
2018-19	महाराष्ट्र (47)	निरंक
2019-20	आंध्र प्रदेश & तेलंगाना (32.3) दिल्ली (20.3)	निरंक
2020-21	महाराष्ट्र (41.1) पश्चिमी बंगाल (28.2)	महाराष्ट्र (65.3) पंजाब (17.2)
2021-22	महाराष्ट्र (49.61) तमिलनाडु (34.17)	तमिलनाडु (24.20) केरल (23.32)

2018-19 के दौरान, इस तरह की अनियमितताएं महाराष्ट्र में सबसे अधिक थीं, जो व्यावसायिक व्यय के गलत अनुमति से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफ के कुल कर प्रभाव का 47 प्रतिशत थीं। 2019-20 के दौरान, गैर-अनुपालन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (32.3 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद दिल्ली (20.3 प्रतिशत) का स्थान रहा,

⁴¹ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

⁴² आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

⁴³ गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश।

⁴⁴ गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

⁴⁵ पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और असम।

⁴⁶ तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और ओडिशा।

जबकि 2020-21 में, इस तरह का गैर-अनुपालन महाराष्ट्र (41.1 प्रतिशत) में सबसे अधिक था, इसके बाद पश्चिम बंगाल (28.2 प्रतिशत) का स्थान था। 2021-22 के दौरान, इस कारण से अनियमितताएं महाराष्ट्र (49.61 प्रतिशत) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद तमिलनाडु (34.17 प्रतिशत) का स्थान था।

2020-21 में, महाराष्ट्र में आयकर अनियमितताएं सबसे अधिक (65.3 प्रतिशत) पाई गईं, इसके बाद पंजाब (17.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2021-22 में, अनियमितताएं तमिलनाडु (24.20 प्रतिशत) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद केरल (23.32 प्रतिशत) का स्थान था।

2.3.3 निर्धारण की गुणवत्ता-अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने पाया कि अधिक या अनियमित प्रतिदाय या कंप्यूटिंग त्रुटियों के कारण प्रतिदाय पर ब्याज, पहले से जारी/समायोजित प्रतिदाय पर विचार न करने, प्रतिदाय पर ब्याज की अतिरिक्त गणना आदि से हुई अनियमितताएं हैं। 2018-19 से 2020-21 तक इस श्रेणी में देखी गई गलतियाँ, जैसा कि चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2021-22) के निष्कर्षों के साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताया गया है, को नीचे तालिका 2.9 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.9: अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज (₹ करोड़ में)								
श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2021		मार्च 2022	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	5 ⁴⁷	1,114.29	6 ⁴⁸	24.08	1 ⁴⁹	7.36	5 ⁵⁰	6.89
आईटी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	2 ⁵¹	5.28	1 ⁵²	0.29

⁴⁷ कर्नाटक और महाराष्ट्र.

⁴⁸ महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल।

⁴⁹ दिल्ली

⁵⁰ महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु।

⁵¹ दिल्ली और महाराष्ट्र.

⁵² पश्चिम बंगाल

वर्ष 2018-22 के दौरान, संबंधित राज्यों में निगम कर और आयकर के संबंध में अननुपालन सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.10 में दर्शाया गया है:-

तालिका 2.10: कुल कर प्रभाव के अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय ब्याज की उच्चतम घटना वाले राज्य		
वर्ष	राज्य (प्रतिशत)	
	निगम कर	आयकर
2018-19	कर्नाटक (99.6)	निरंक
2019-20	कर्नाटक (56) महाराष्ट्र (32.3)	निरंक
2020-21	दिल्ली (100)	दिल्ली (87.3)
2021-22	महाराष्ट्र (71.52) दिल्ली (20.83)	पश्चिमी बंगाल (100)

2018-19 के दौरान, इस तरह की अनियमितताएं⁵³ केवल कर्नाटक (99.6 प्रतिशत) में अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज से संबंधित निगम कर पर मंत्रालय को जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफ के कुल कर प्रभाव के संबंध में देखी गईं, जबकि 2019-20 में, इसे कर्नाटक (56 प्रतिशत) में सबसे अधिक पाया गया, इसके बाद महाराष्ट्र (32.3 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2020-21 के दौरान, यह अनियमितता केवल दिल्ली में देखी गई थी। 2021-22 के दौरान, इस कारण से अनियमितताएं महाराष्ट्र (71.52 प्रतिशत) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद दिल्ली (20.83 प्रतिशत) का स्थान था।

2020-21 के दौरान, आयकर के संबंध में, इस तरह की अनियमितताएं दिल्ली में सबसे अधिक (87.3 प्रतिशत) पाई गईं। 2021-22 के दौरान, इस कारण से अनियमितताएं पश्चिम बंगाल (100 प्रतिशत) में सबसे अधिक थीं।

2.3.4 चूक के कारण आय बचाव का निर्धारण - एमएटी/एएमटी⁵⁴/टनेज टैक्स, आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत गलतियां।

हम अधिनियम के विशेष प्रावधानों के तहत कर लगाने में गलतियों से संबंधित अनियमितताओं को संज्ञान में लाए:

⁵³ जहां भी महत्व का उल्लेख किया गया है, यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है और मामलों की संख्या के बारे में नहीं है।

⁵⁴ एमएटी का मतलब न्यूनतम वैकल्पिक कर है, और एएमटी का अर्थ वैकल्पिक न्यूनतम कर है। एमएटी कंपनियों के लिए लागू है, जबकि एएमटी अन्य सभी करदाताओं पर लागू है।

- (i) बही लाभ की गणना में त्रुटियाँ,
- (ii) बही लाभ की गणना के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत अस्वीकृत व्यय पर विचार न करना,
- (iii) बही लाभ की गणना के लिए निर्दिष्ट व्यय पर विचार न करना,
- (iv) विशेष प्रावधानों आदि के बजाय सामान्य प्रावधानों के तहत लगाया गया कर।

2019-20 से 2020-21 तक अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत देखी गई गलतियां, जैसा कि चालू वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2021-22) के निष्कर्षों के साथ पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सामने लाया गया है, को नीचे तालिका 2.11 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 2.11: एमएटी/एएमटी/टनेज टैक्स, आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत चूक (₹ करोड़ में)								
श्रेणी	समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2019		मार्च 2020		मार्च 2019		मार्च 2022	
	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	22 ⁵⁵	447.85	8 ⁵⁶	234.18	10 ⁵⁷	70.18	16 ⁵⁸	107.76
आईटी	2 ⁵⁹	1.26	0	0	2 ⁶⁰	5.36	2 ⁶¹	2.96

वर्ष 2018-22 के दौरान, संबंधित राज्यों में निगम कर और आयकर के संबंध में अननुपालन सबसे अधिक पाया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.12 में दर्शाया गया है:

⁵⁵ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

⁵⁶ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।

⁵⁷ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली।

⁵⁸ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

⁵⁹ असम और तमिलनाडु

⁶⁰ कर्नाटक

⁶¹ पंजाब और असम

तालिका 2.12: एमएटी/एएमटी/टोनेज टैक्स, आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत कुल कर प्रभाव की त्रुटियों के उच्चतम मामलों वाले राज्य।

वर्ष	राज्य (प्रतिशत)	
	निगम कर	आयकर
2018-19	दिल्ली (68.8)	असम (50)
2019-20	दिल्ली (92.4)	निरंक
2020-21	महाराष्ट्र (54.5)	कर्नाटक (100)
2021-22	तमिलनाडु (41.60) महाराष्ट्र (39.26)	पंजाब (92.84)

2018-19 के दौरान, क्रमशः निगम कर और आयकर पर मंत्रालय को जारी किए गए एमएटी/एएमटी/टोनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत देखी गई गलतियों से संबंधित लेखापरीक्षा पैराओं के कुल कर प्रभाव में से निगम कर के संबंध में दिल्ली में 68.8 प्रतिशत और असम में आयकर के संबंध में 50 प्रतिशत पर इस खाते से संबंधित अननुपालन सबसे अधिक⁶² पाया गया था। 2019-20 में, अननुपालन दिल्ली में निगम कर के लिए सबसे अधिक 92.4 प्रतिशत था, और 2020-21 के दौरान, निगम कर के संबंध में सबसे अधिक अननुपालन महाराष्ट्र में 54.5 प्रतिशत और आयकर के संबंध में कर्नाटक में 100 प्रतिशत था। 2021-22 के दौरान, ये अनियमितताएं तमिलनाडु (41.60 प्रतिशत) में सबसे अधिक थीं, इसके बाद निगम कर के संबंध में महाराष्ट्र (39.26 प्रतिशत) और आयकर के संबंध में पंजाब (92.84 प्रतिशत) के संबंध में था।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

कर कानूनों और सीबीडीटी के अनुदेशों और निर्देशों का अनुपालन न करना कर व्यवस्था की दक्षता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों में से एक है। इसे बेहतर बनाने के लिए, निर्धारण के सभी चरणों में कुशल प्रसंस्करण और बेहतर अनुपालन के लिए वर्षों से विभागीय प्रणालियों और प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आईटीडी विस्तृत जांच करने के लिए निर्धारण अधिकारी हेतु पूर्व-परिभाषित मापदंडों के आधार पर कंप्यूटर एडेड स्क्रीन चयन (सीएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन करता है। हालांकि, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण से देखा गया है, लेखापरीक्षा द्वारा साल-दर-साल इंगित किए जाने के बावजूद, गैर-अनुपालन का जोखिम अभी भी उपरोक्त क्षेत्रों में

⁶² जहां भी महत्वपूर्ण उल्लेख है, यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है न कि मामलों की संख्या के संदर्भ में।

मौजूद है जैसा कि समय के साथ समान प्रकार की अनियमितताओं के सतत मामलों से संकेत मिलता है।

- i) सीबीडीटी समान या समान त्रुटियों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए आईटी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने हेतु लागू किए गए हालिया परिवर्तनों की प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता की समीक्षा पर विचार करे।
- ii) सीबीडीटी व्यवस्थित और संरचनात्मक कमजोरियों और राजस्व की हानि के जोखिम, यदि कोई हो, को चिन्हित करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र की निगरानी पर विचार करे।
- iii) सीबीडीटी ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सिस्टम में उचित नियंत्रण स्थापित करने पर विचार करे, विशेष रूप से आईटीबीए को लागू करने के बाद।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद और लेखापरीक्षा हेतु प्रतिक्रिया

2.4.1 हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित संस्थाओं से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन 2020 के विनियम 136⁶³ के प्रावधान के अनुसार, हम टिप्पणियों के लिए आईटीडी को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 नीचे तालिका 2.13 में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी एलएआर में शामिल अभ्युक्तियों की संख्या, उसमें प्राप्त उत्तर, और स्वीकृत अभ्युक्तियां (संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: स्थानीय लेखापरीक्षा की प्रतिक्रिया						
वित्तीय वर्ष	उठाई गई अभ्युक्तियां	प्राप्त उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं	स्वीकृत अभ्युक्तियों का प्रतिशत	प्राप्त न हुए उत्तर का प्रतिशत
		स्वीकृत अभ्युक्तियां	अस्वीकृत अभ्युक्तियां			
2019-20	16,330	2,412	3,252	10,666	42.58	65.32
2020-21	11,066	1,931	1,659	7,476	55.60	67.08
2021-22	10,708	1,200 ⁶⁴	1,677	7,831	41.71	73.20

⁶³ लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007 की पूर्व धारा 193

⁶⁴ 535 अभ्युक्तियों को स्वीकार किए गए और उपचारात्मक कार्रवाई की गई; 665 अभ्युक्तियों स्वीकार किए गए लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि प्राप्त नहीं होने वाले उत्तरों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 65.32 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 67.08 प्रतिशत और अंत में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 73.20 प्रतिशत हो गया है।

2.4.3 नीचे तालिका 2.14 लंबित अभ्युक्तियों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 2.14: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण									
									(₹ करोड़ में)
अवधि	सीटी		आईटी		ओडीटी		कुल		
	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	
मार्च 2020 तक	21,506	1,09,601.07	21,947	21,813.06	1,211	106.15	44,664	1,31,520.28	
मार्च 2021 तक	4,191	19,312.78	3,615	6,562.31	36	0.47	7,842	25,875.57	
मार्च 2022 तक	1,269 ⁶⁵	8,619.03	2,151	2,750.76	8	0.10	3,428	11,369.89	
कुल	26,966	1,37,532.88	27,713	31,126.13	1,255	106.72	55,934	1,68,765.73	

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर में लंबित वृद्धि के परिणामस्वरूप 55,934 मामलों का संचय हुआ है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,68,765.73 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन), 2020 के अध्याय 12⁶⁶ में लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई और पर्याप्त, रचनात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन एवं निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा समितियों की स्थापना के लिए व्यापक ढांचा निर्धारित

⁶⁵ अभ्युक्तियाँ जारी होने के छ माह बाद अभ्युक्तियाँ लंबित हो जाती हैं।

⁶⁶ विनियम 141. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकनों और सिफारिशों के अभिलेख का रखरखाव और सरकार द्वारा पर्याप्त निरीक्षण

विनियम 143. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रणालीगत कमियों या उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विनियम 144. विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना

विनियम 145. लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनके गठन

विनियम 149. पीएसी को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई नोट तैयार करना

विनियम 150. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा पीएसी/सीओपीयू की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और प्रतिक्रियाओं की जांच

विनियम 151. समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए सरकार का कर्तव्य

करता है। लेखापरीक्षा के उत्तर निर्धारित अवधि में भेजे जाने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रयास संतोषजनक नहीं रहे हैं। सीबीडीटी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर समय पर कार्रवाई की जाए और लेखापरीक्षा को जवाब दिया जाए ताकि इन मामलों में राजस्व के हित की रक्षा के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामलों के समयबद्ध होने के जोखिम से बचा जा सके।

2.4.4 हम लेखापरीक्षा में देखे गए महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामलों को विनियम 137 से 139⁶⁷ के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले अभ्युक्तियों के लिए मंत्रालय को जारी करते हैं। हम मंत्रालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले उन्हें जारी किए गए मामलों पर अपनी टिप्पणी देने के लिए छह सप्ताह देते हैं। हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय III और IV में ₹ 5,728.79 करोड़ के कर प्रभाव वाले 504 उच्च मूल्य के मामलों को शामिल किया है, जिनमें से 30 अप्रैल 2024 को ₹ 4,065.34 करोड़ के कर प्रभाव वाले 338 मामलों के लिए उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें से मंत्रालय/आईटीडी ने 230 मामलों⁶⁸ (68.14 प्रतिशत) को स्वीकार किया जिसका कर प्रभाव ₹ 2,456.02 करोड़ (60.41 प्रतिशत) है, जबकि इसने ₹ 1,616.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों⁶⁹ को स्वीकार नहीं किया। ₹ 1,663.45 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष 166 मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (30 अप्रैल 2024)।

हालांकि, 504 उच्च- मूल्य के मामलों में से, विभाग ने ₹ 3,227.13 करोड़ (56.33 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 393 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। तालिका 2.15 इन मामलों⁷⁰ का श्रेणी-वार विवरण दिखाती है।

⁶⁷ पूर्व विनियम 205 से 209 तक, अब

विनियम 137. सरकार को मसौदा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/मसौदा पैराग्राफ संप्रेषित करना और उस पर चर्चा करना।

विनियम 138. सरकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन /मसौदा पैराग्राफ का उत्तर।

विनियम 139. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अंतिम पैराग्राफ का सम्प्रेषण

⁶⁸ मंत्रालय - 12 मामले; आईटीडी -217 मामले

⁶⁹ आईटीडी - 17 मामले

⁷⁰ उप-श्रेणी-वार ब्यौरा परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है

तालिका 2.15 उच्च मूल्य वाले मामलों की त्रुटियों का श्रेणी-वार विवरण						
(₹ करोड़ में)						
श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल	
	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव
निर्धारण की गुणवत्ता	118	390.18	103	268.64	221	658.82
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था	118	2,084.80	24	64.72	142	2,149.52
चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	59	1,790.05	23	194.80	82	1,984.85
कर/ब्याज का अधिभार	37	862.09	22	73.51	59	935.60
कुल	332	5,127.12	172	601.67	504	5,728.79

2.4.5 अध्याय III और IV क्रमशः निगम कर और आयकर के निर्धारण में त्रुटियों का विवरण देते हैं।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव - लेखापरीक्षा के मामलों पर संशोधन

हम अपने अवलोकनों /सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अर्थात् 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 06 - रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 - धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2020 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 - आयकर विभाग में खोज और जब्ती निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा - क्रमशः संसद में पेश की गई। निम्नलिखित पैराग्राफ, 2.5.1 से 2.5.3, लेखापरीक्षा के प्रभाव का वर्णन करते हैं।

2.5.1 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 06 - रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा -

2.5.1.1 लेखापरीक्षा ने 84 जांच मामलों में से सात में पाया कि आईटीडी ने कुल निर्यात कारोबार के खिलाफ धारा 10ए के तहत कुल कटौती की अनुमति दी, भले ही निर्यात आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (कुल निर्यात कारोबार का 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) छह महीने से अधिक समय से बकाया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 10ए के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए एसईजेड इकाइयों द्वारा निर्यात आय के समय पर प्रेषण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश किया कि सीबीडीटी अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती का दावा करने के लिए भारत में निर्यात आय के खिलाफ विचार करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने पर विचार करे।

2.5.1.2 इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 10ए में संशोधन किया, जिसमें धारा 10ए (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी) के तहत कटौती का दावा करने के लिए देश में निर्यात आय लाने के लिए छह महीने की समय सीमा तय करने के लिए एक नई उप-धारा (4ए) शामिल की गई।

2.5.1.3 लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकार ने धारा 56(2) में खंड (viiB) को सम्मिलित करके संशोधन किया है ताकि बहुत अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी करके प्रवर्तकों/निदेशकों के अलेखित धन को लाने की प्रथा पर अंकुश लगाया जा सके, विदेशी निवेशकों के लिए विशेष रूप से कर मुक्त क्षेत्र वाले देशों से आने वाले धन के लिए द्वार खुले छोड़ दिए गए थे और जहां निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के पास विशाल शेयर प्रीमियम की प्राप्ति को सही ठहराने के लिए अधिक निवल मूल्य या व्यवसाय योजना नहीं थी।

2.5.1.4 इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से धारा 56(2)(viiB) में संशोधन किया और 'निवासी होने' शब्दों को हटा दिया, जिससे गैर-निवासियों सहित किसी भी व्यक्ति से प्राप्त विचार के प्रावधान का विस्तार किया गया। अधिनियम की धारा 56(2)(viiB) में यह निर्धारित किया गया है कि निकट रूप से धारित कंपनी (उस कंपनी के अलावा जिसमें जनता की पर्याप्त रुचि है) द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक प्रीमियम पर जारी किए गए शेयरों को कर के लिए पेश किया जाना चाहिए। यह पहले निवासी कंपनियों पर लागू था, लेकिन लेखापरीक्षा सिफारिश के आधार पर अनिवासी कंपनियों पर भी लागू किया गया है (1 अप्रैल 2024 से प्रभावी)।

2.5.1.5 लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों की व्यावसायिक गतिविधि की विशेष प्रकृति और ऐसे व्यवसाय में शामिल

लेनदेन की बहुलता को ध्यान में रखते हुए, सीबीडीटी निर्धारितियों और उनके संबंधित पक्षों की धारा 142(2ए) के तहत स्टॉक के मात्रात्मक विवरण, असामान्य पैदावार/अपव्यय, मुख्य निर्धारिती के रिकॉर्ड के अनुसार दावों के अनुचित प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए संबंधित पक्षों के रिकॉर्ड में प्रकटीकरण आदि पर विशेष लेखापरीक्षा करने पर विचार करे।

2.5.1.6 इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से, एक नया प्रावधान शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 142(2ए) में संशोधन किया, जिसके तहत निर्धारण अधिकारी निर्धारितियों को लागत लेखाकार द्वारा अपनी माल-सूची का निर्धारण करने और फॉर्म 6डी में माल-सूची निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

2.5.2 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 - धर्मार्थ न्यास और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा- लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ट्रस्ट द्वारा वर्तमान वर्ष की आय से दूसरे न्यास को दान प्रतिबंधित करने का प्रावधान नहीं है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश किया कि आयकर विभाग अधिनियम में एक नया उपबंध लाने पर विचार करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि चालू वर्ष की आय में से अन्य न्यासों/संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक अंशदान ऐसे प्राप्तकर्ता न्यास अथवा संस्था के हाथों में 15 प्रतिशत की दर से अनुमेय संचयन के लिए पात्र नहीं होंगे।

2.5.2.1 इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से, आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 4 में खंड (iii) डाला ताकि यह प्रदान किया जा सके कि किसी ट्रस्ट या संस्था द्वारा जमा या भुगतान की गई कोई भी राशि चालू वर्ष की आय से दान के रूप में किसी अन्य ट्रस्ट को ऐसे दान के 85 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुप्रयोग के रूप में माना जाएगा। इसी तरह के प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड 23सी के तीसरे प्रावधान में स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) के तहत डालने का प्रस्ताव किया गया है।

2.5.2.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विवरणी (आईटीआर-7) में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित नहीं की जा रही है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि आयकर विभाग योगदानकर्ताओं/दाताओं से संबंधित आंकड़ों/सूचनाओं को फॉर्म आईटीआर-7

में एकत्र कर सकता है, जैसा कि धारा 80जी(5) के संबंध में किया गया है ताकि योगदान/दान की गई निधियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

2.5.2.3 इस मुद्दे को हल करने के लिए, निर्धारण वर्ष 2023-24 से एक नया आईटीआर-7 धर्मार्थ न्यास/संस्थानों के लिए लागू है।

2.5.2.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की है कि आईटीडी निम्नलिखित को शामिल करते हुए फॉर्म आईओबी को संशोधित करने पर विचार करे:

क. ट्रस्ट द्वारा पूर्ण रूप से धारित संपत्ति से प्राप्त विभिन्न शीर्षों के तहत रसीद और आय का विवरण।

ख. कोष दान की प्राप्ति, इसके उपयोग और कोष दान से व्यय के दावे पर विस्तृत जानकारी

ग. पिछले वर्ष में प्राप्त आय के डीमंड अनुप्रयोग के दावे पर विस्तृत जानकारी, जिसे वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय के अनुप्रयोग की राशि से कम किया जाना है

घ. आयकर विवरणी में पिछले संचय में से उपयोग का विवरण लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

जिससे कर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता को सत्यापित करने में सक्षम हो सके।

2.5.2.5 इस मुद्दे को हल करने के लिए, सीबीडीटी ने जीएसआर 118(ई) दिनांक 21/02/2023 में अधिसूचना संख्या 7/2023 के माध्यम से और आयकर (तीसरा संशोधन) नियम 2023 के माध्यम से, आयकर नियम 1962 के नियम 16सीसी और 17बी में संशोधन किया और धारा 12ए के तहत पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में संशोधन किया या फॉर्म नंबर 10बी और फॉर्म नंबर 10बीबी में धारा 10(23सी) के तहत अनुमोदित किया।

2.5.3 2020 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 - आयकर विभाग में खोज और जब्ती निर्धारण पर निष्पादन लेखा परीक्षा- लेखापरीक्षा ने निर्धारण रिपोर्ट सौंपने में एक महीने से 14 महीने तक का विलंब देखा और निर्धारण अधिकारियों

(निर्धारण अधिकारी) को जब्त सामग्री सौंपी। लेखापरीक्षा ने सिफारिश किया कि सीबीडीटी एक तंत्र स्थापित करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब्त सामग्री के साथ निर्धारण रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर निर्धारण विंग को सौंप दी जाए ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में इंगित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास पर्याप्त समय हो सके।


2.5.3.1 मुद्दे को संबोधित करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से अधिनियम की धारा 153 के नीचे स्पष्टीकरण¹ (xii) डाला, जिससे बही-खाते या अन्य दस्तावेज, या कोई पैसा, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीजें सौंपने में सक्षम बनाने के लिए धारा 132 के तहत जब्त की गई वस्तु या चीज या धारा 132 ए के तहत मांगी गई वस्तु, जैसा भी मामला हो, करदाता पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को, उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि (एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं) के भीतर, जिस पर एक खोज शुरू की जाती है या धारा 132 ए के तहत मांग की जाती है।

2.5.3.2 लेखापरीक्षा ने खोज/खोज की पूर्व अवधि के तहत शामिल किए गए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के गैर-निर्धारण के कारण आय बचाव को पाया।

2.5.3.3 इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्रालय ने वित्त अधिनियम 2022 के माध्यम से अधिनियम की धारा 149 में एक नई उप-धारा (1ए) शामिल की, जहां संपत्ति या व्यय के रूप में प्रतिनिधित्व की गई कर के लिए प्रभार्य आय निर्धारण से बच गई और ऐसी घटना या अवसर के बारे में ऐसी संपत्ति या व्यय में निवेश किया या हुआ है, निर्धारण वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले एक से अधिक वर्षों में, धारा 148 के तहत एक सूचना ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन या पुनः गणना के लिए जारी किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

2.6 लेखापरीक्षा के मामलों पर वसूली

आईटीडी ने पिछले तीन वर्षों (चार्ट 2.1) में लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किए गए निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाए गए मांगों से ₹ 349.03 करोड़ की वसूली की। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 41.22 करोड़ की वसूली शामिल है, जो पिछले वर्षों की वसूली की तुलना में काफी कम हो गई है।



2.7 समय-बाधित मामले

2.7.1 आईटी अधिनियम की धारा 148 के तहत संशोधित प्रावधान के अनुसार, निर्धारण को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है यदि निर्धारण अधिकारी के पास बही-खाते या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि कर के लिए प्रभार्य आय, संपत्ति के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपये या उससे अधिक की राशि से बच गया है या होने की संभावना है।

2.7.2 नीचे तालिका 2.16 में वित्त वर्ष 2019-22 के दौरान समय-बाधित मामलों⁷¹ का विवरण दिखाया गया है।

तालिका 2.16: समय-बाधित मामलों का विवरण		
प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
2019-20	1,304	917.37
2020-21	3,754	6,189.11
2021-22	7,522	15,937.39

⁷¹ वित्त अधिनियम 2021 के तहत धारा 148/149 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार।

2.7.3 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹ 15,937.39 करोड़ के कर प्रभाव वाले 7,522 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उपचारात्मक कार्रवाई के लिए समय-बाधित हो गए, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में 52.50 प्रतिशत का योगदान है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुल कर प्रभाव का 17.13 प्रतिशत है। वार्षिक आधार पर तुलना करने पर समय-बाधित होने वाले मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है। विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि मामले समय-बाधित न हों और नोट किए गए/देखे गए राजस्व रिसाव के मामलों को स्वतः ही ठीक कर दिया जाए।

निष्कर्ष और अनुशंसाएँ:

समय पर उपचारात्मक कार्रवाई करने में देरी से राजकोष पर भारी राजस्व हानि/प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बकाया मांग की वसूली की संभावना बहुत कम है, जिसके लिए विभाग को मौजूदा प्रणाली को सुव्यवस्थित और मजबूत करने की आवश्यकता है।

विभाग इन मामलों का निर्धारण/समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश/दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करे कि उपचारात्मक कार्रवाई समय पर की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

2.8 अभिलेख प्रस्तुत न करना

2.8.1 हम करों के निर्धारण और संग्रह पर एक प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए सी एंड एजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत निर्धारण अभिलेख की संवीक्षा करते हैं और जांच करते हैं कि नियमों और प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है या नहीं। आयकर विभाग के लिए यह भी आवश्यक है कि वह शीघ्रता से अभिलेख प्रस्तुत करे और लेखापरीक्षा को प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करे।

2.8.2 आईटीडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मांगे गए 2,03,541⁷² रिकॉर्ड में से 13,496 रिकॉर्ड (6.61 प्रतिशत) प्रस्तुत नहीं किए। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभिलेख का अप्रस्तुतिकरण पिछले वर्ष कि तुलना में (3.03 प्रतिशत से 11.86 प्रतिशत) और असम में (7.94 प्रतिशत

⁷² इसमें 14,029 अभिलेख शामिल हैं जो पहले के वर्षों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे और जिन्हें वर्तमान लेखापरीक्षा चक्र के दौरान फिर से मांगा गया था।

से 14.50 प्रतिशत) काफी बढ़ गया है। **परिशिष्ट 2.4** वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण दिखाता है।

तालिका 2.17 वित्त वर्ष 2021-22 में समाप्त होने वाले तीन या अधिक क्रमानुगत लेखापरीक्षा चक्रों में एक ही निर्धारिती से संबंधित लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण दर्शाता है।

तालिका 2.17: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख

राज्य	प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेख
क. ओड़ीशा	2

अध्याय III: निगम कर

3.1 परिचय

3.1.1 इस अध्याय में 332 उच्च मूल्य वाले निगम मामलों (पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 342 निर्धारण और ₹ 5,127.12 करोड़⁷³ का कुल कर प्रभाव शामिल है, जिन्हें मार्च 2023 से जनवरी 2024 के दौरान 10 बैचों में मंत्रालय को भेजा गया था और 1 अप्रैल 2024 को आठ मसौदा पैरा वाले एक अतिरिक्त बैच को संदर्भित किया गया था। इन 332 मामलों में से मंत्रालय ने अप्रैल 2024 तक केवल छह मामलों में जवाब दिया है और इन सभी मामलों को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि आयकर विभाग ने, पूर्वकथित छः मामले सहित जिनको मंत्रालय के द्वारा स्वीकार किया गया है, 164 मामले जिनका कर प्रभाव ₹ 2,003.57 करोड़ है स्वीकार किया और ₹ 1,612.69 करोड़ के कर प्रभाव वाले 13 मामलों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, 332 मामलों में से, आईटीडी ने 211 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की है, जिसमें ₹ 2,137.94 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है और ₹ 640.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले 21 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है। शेष 100 मामलों में, आईटीडी ने 30 अप्रैल 2024 को कोई कार्रवाई नहीं की है/शुरू नहीं की है।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का व्यवस्था
- चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य - कर/ब्याज आदि का अधिभार।

आगामी पैराग्राफ उपरोक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण के मामलों की पहचान, मुद्दों के महत्व और शामिल कर प्रभाव के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों की व्यापक कवरेज के लिए, पूरे आईटीडी क्षेत्रिय कार्यालय के मामलों पर विचार किया गया है।

⁷³ इसमें ₹ 862.09 करोड़ का अधिभार शामिल है।

3.2 निर्धारण की गुणवत्ता

3.2.1 कुछ मामलों में, कर निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम के स्पष्ट उपबंधों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण में त्रुटियाँ की हैं। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिन पर प्राथमिकता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के युग में, आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत आकलन के मामलों को महज त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है।

इसके अलावा, कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग, धारा 220(2), 234ए, 234बी, 234सी और 234डी के तहत ब्याज लगाने में गलतियाँ, अतिरिक्त या अनियमित प्रतिभार आदि कर निर्धारण अधिकारियों के निष्पादन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ आईटीडी में आंतरिक नियंत्रण और आईटी प्रणालियों में कमजोरियों को इंगित करते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयकर विभाग भूल की त्रुटियों वाले मामलों में कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते समय यह पता लगा सकता है कि अनियमितताओं के मामलों में चूक या भूल की त्रुटियाँ हैं। नीचे दी गई तालिका 3.1 गलतियों की उप-श्रेणियों का विवरण दिखाती है (पैरा 2.3 देखें) जिसने निर्धारण की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ			
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
(₹ करोड़ में)			
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	28	91.52	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
ख. कर और अधिभार की गलत दर का अनुप्रयोग	19	43.37	बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
ग. ब्याज लगाने में त्रुटियाँ	63	241.51	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

तालिका 3.1: निर्धारण की गुणवत्ता के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ			
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
(₹ करोड़ में)			
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	5	6.89	दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ	3	6.89	गुजरात और महाराष्ट्र।
कुल	118	390.18	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने छह राज्यों में ₹ 91.52 करोड़ के कर प्रभाव वाले 28 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ देखीं। ऐसे दो मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम4 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 53.10 करोड़ की आय के निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय कर गणना पत्र में निर्धारण के दौरान निर्धारित ₹ 9.81 करोड़ के बजाय ₹ 54.80 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान को अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 10.19 करोड़ के संभावित कर के साथ ₹ 44.99 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेशन हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2022) और अधिनियम की धारा 154 के तहत जुलाई 2022 में त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-4, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स आई4 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए मार्च 2015 में धारा 143(3) के तहत निर्धारण के अनुसार फिर से ₹ 14.15 करोड़ की आय निर्धारित की, जिसे सीआईटी (अपील) द्वारा जून 2016 में हटा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवास प्रविष्टियों के लिए तीन प्रतिशत कमीशन सहित ₹ 15.45 करोड़ की फर्जी खरीद के मुद्दे पर विचार किए बिना पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके लिए मामला फिर से खोला गया था। इसके अलावा, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, आयकर गणना पत्र में आय को ₹ 47.75 लाख माना गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए(3) और 234बी(3) के अंतर्गत क्रमशः ₹ 38.91 लाख और ₹ 4.52 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 9.78 करोड़ का कर लगाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (अप्रैल 2023) को स्वीकार किया और मार्च 2023 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की। हालांकि, अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 263 के तहत पुनरीक्षण आदेश पारित करते हुए, विभाग ने ₹ 15 करोड़ की उपरोक्त फर्जी खरीद सहित ₹ 24.49 करोड़ वापस जोड़े, लेकिन अधिनियम की धारा 234ए(3) के तहत ₹ 38.91 लाख ब्याज नहीं लगाया, जिसे मई 2023 में विभाग को सूचित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का अनुप्रयोग

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारितियों की कर देयता की गणना करते समय ऐसे 19 मामलों में कर और अधिभार की गलत दरें लागू कीं जिनमें सात राज्यों में ₹ 43.37 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। ऐसे तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, जहां कोई केन्द्रीय अधिनियम यह अधिनियमित करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर किसी दर या दरों पर प्रभारित किया जाएगा, वहां उस दर पर आयकर अथवा उन दरों पर उस वर्ष के लिए प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों (अतिरिक्त आयकर लगाने के उपबंधों सहित) के अध्यक्षीन प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2017 में वित्त वर्ष 2015-16 में पचास करोड़ से कम या उसके बराबर कारोबार करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत (30 प्रतिशत के बजाय) की कर दर कम की गई थी।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त (सेंट्रल-3), दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स ए2 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 67.44 करोड़ की आय के निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय, निर्धारिती की घोषणा पर विचार करते हुए 30 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 25 प्रतिशत की दर से आयकर लागू किया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कुल कारोबार/सकल प्राप्त ₹ 50 करोड़ से अधिक नहीं थी। हालांकि, यह पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबन्धित वित्त वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती का कुल कारोबार ₹ 50 करोड़ से अधिक था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.72 करोड़ का कर कम लगाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2022) और अप्रैल 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की। विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, बंगलुरु
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-2019

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 66.78 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, 30 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की कम कर दर पर निर्धारिती की कर देयता की गणना

की। हालाँकि, निर्धारिती ने अपनी आय रिटर्न में अधिनियम की धारा 115बीए के अनुसार गणना का विकल्प नहीं चुना था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.87 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (अगस्त 2023) को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत जनवरी 2024 में त्रुटि को ठीक किया।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

वित्त अधिनियम, 2017 के अनुसार, घरेलू कंपनी के मामले में कर दर वित्त वर्ष 2017-18 में 29 प्रतिशत है, जहां पिछले वर्ष 2014-15 के दौरान इसका कुल कारोबार या सकल प्राप्ति ₹ 5 करोड़ से अधिक नहीं है।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त सेंट्रल, पटना

निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी3 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-2018

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय ₹ 13.90 करोड़ की आय पर, 30 प्रतिशत के बजाय 29 प्रतिशत की दर से कर लगाया क्योंकि निर्धारिती की सकल प्राप्तियां ₹ 5 करोड़ से अधिक थीं। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.03 लाख कर की कम गणना हुई। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत क्रमशः ₹ 38.72 लाख और ₹ 0.81 लाख का ब्याज भी कम लगाया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.56 लाख का कर कम लगाया गया। *विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की और अधिनियम की धारा 154 के तहत जुलाई 2022 में त्रुटि को ठीक किया।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.2.4 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हम 11 राज्यों में ₹ 241.51 करोड़ के कर प्रभाव वाले 63 मामलों में ब्याज लगाने में त्रुटियों को संज्ञान में लाए। ऐसे चार मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक हेतु ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234बी में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, कोलकाता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एल2 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 51.00 करोड़ की आय पर कर देयता की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234ए और 234बी के तहत क्रमशः ₹ 10.24 करोड़ और ₹ 13.00 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप कुल ₹ 23.24 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (अगस्त 2021) को स्वीकार किया और अगस्त 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की। विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, अमृतसर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी2 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण के बाद ₹ 299.30 करोड़ की आय पर निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234बी के तहत लगाए गए ब्याज (आईटीडी प्रणाली द्वारा की गई गणना) को सत्यापित नहीं किया। ₹ 55.84 करोड़ के लगाए जाने वाले ब्याज के बजाय ₹ 36.62 करोड़

ब्याज लगाया गया। आयकर संगणना पत्रक (आईटीएनएस 150) में दर्शाए गए ब्याज की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 19.22 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-2 सूरत
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एस1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत पुनर्निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए ₹ 101.55 करोड़ की आय पर धारा 234बी के तहत ₹ 29.65 करोड़ के बजाय ₹ 17.79 करोड़ का ब्याज लगाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 11.86 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने अगस्त 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 234डी के प्रावधान के अनुसार, जहां धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारिती को दिया गया कोई भी प्रतिदाय और बाद में नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय नहीं मिला है या पहले से दिये गए प्रतिदाय से अधिक है, निर्धारिती प्रतिदाय के अनुदान की तारीख से नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई अतिरिक्त राशि पर डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, उप-धारा (2) के अनुसार, जहां धारा 154 या धारा 263 के तहत एक आदेश के परिणामस्वरूप, धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत प्रतिदाय अनुदान की राशि को सही ढंग से अनुमति दी जाती है, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, तो उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार कम कर दिया जाएगा।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स ओ1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2021 में ₹ 199.90 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत पुनरीक्षण निर्धारण पूरा करते हुए, निर्धारिती को पहले से भुगतान किए गए ₹ 32.56 करोड़ के प्रतिदाय सहित ₹ 68.59 करोड़ की कर मांग की। हालांकि, निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय अधिनियम की धारा 234 डी के तहत 61 महीने ब्याज तक नहीं लगाया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.93 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (सितंबर 2022) को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत जुलाई 2023 में त्रुटि को ठीक किया।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.2.5 अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने तीन राज्यों में ₹ 6.89 करोड़ के कर प्रभाव वाले प्रतिदाय पर अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/ब्याज से संबंधित पांच मामलों को संज्ञान में लाया। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 244ए में प्रावधान है कि जहां किसी भी राशि का प्रतिदाय निर्धारिती के कारण हो जाती है, वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उक्त राशि के अलावा, उस पर साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा। इस तरह के ब्याज की गणना अवधि में शामिल प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए आधा प्रतिशत की दर से की जाएगी, (i) निर्धारण वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से उस तारीख तक जिस पर प्रतिदाय दी जाती है, यदि आयकर विवरणी धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत की गई है; या (ii) आयकर विवरणी की तारीख से उस तारीख तक जिस पर प्रतिदाय दी गई है।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-6, मुंबई
स्थिति : मेसर्स ए5 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-2019

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, धारा 244ए के तहत ₹ 8.91 करोड़ की प्रतिदाय योग्य राशि पर ₹ 1.60 करोड़ के बजाय ₹ 4.33 करोड़ का ब्याज दिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 2.73 करोड़ का अधिक ब्याज मंजूर किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (मई 2022) को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत जनवरी 2022 में त्रुटि को ठीक किया।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-4, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स आई2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, धारा 244ए के तहत 69 महीने के लिए ₹ 1.85 करोड़ की दर से 37 महीने के लिए ₹ 99.24 लाख के ब्याज के बजाय ₹ 5.36 करोड़ के प्रतिदाय पर 0.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 244ए के अंतर्गत ₹ 85.84 लाख के ब्याज का अधिक भुगतान किया गया। *विभाग ने सितंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* हालांकि, सुधार आदेश गलत तरीके से पारित किया गया था क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने धारा 234डी के तहत 18 महीने के बजाय 34 महीने के लिए ब्याज लगाया था। इसकी सूचना नवंबर 2022 में विभाग को दी गई थी। विभाग से आगे की प्रतिक्रिया और वसूली की स्थिति (अप्रैल 2024) की प्रतीक्षा है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने दो राज्यों में ₹ 6.89 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियां देखीं। ऐसा ही एक मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 254 में प्रावधान है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस धारा के तहत पारित किसी भी आदेश की एक प्रति निर्धारिती और प्रधान आयुक्त को भेजेगा। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (खंड II, तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश प्राप्त होने पर, आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-8, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम2 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2003-04

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 254/143(3) के तहत मार्च 2019 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी करते हुए, पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के कारण ₹ 7.03 करोड़ की दोहरी राहत की अनुमति दी, क्योंकि फरवरी 2008 में सीआईटी (अपील) को प्रभावी करने वाले आदेश के माध्यम से ₹ 10.42 करोड़ के मूल्यहास के कुल अस्वीकृति में से निर्धारिती को ₹ 7.03 करोड़ की राहत पहले ही दी जा चुकी थी। इसके अलावा, मार्च 2019 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को प्रभावी करते हुए, पट्टे पर दी गई संपत्तियों पर मूल्यहास के कारण ₹ 10.42 करोड़ की राहत दी गई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 7.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 2.58 करोड़ का कम कर लगाया गया था। *विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की और अधिनियम की धारा 154 के तहत मार्च 2022 में त्रुटि को ठीक किया।* विभाग से वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था

3.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की गणना में और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को

रियायतों/छूट/कटौतियों की अनुमति देता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उन लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का अनियमित रूप से लाभ दिया था जो इसके हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों की व्यवस्था में कमजोरियों को इंगित करती हैं, जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। नीचे दी गई तालिका 3.2 उन उप-श्रेणियों का विवरण प्रस्तुत करती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था को प्रभावित किया है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. मूल्यहास की अनुमति /व्यापार हानि/पूँजीगत हानि में अनियमितताएं	53	1,134.44	असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ख. अनियमित छूट/कटौती/छूट/राहत/मैट क्रेडिट	25	324.21	गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यावसायिक व्यय की अनुमति	40	626.14	दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
कुल	118	2,084.79	

3.3.2 मूल्यहास की अनुमति देने और व्यापार/पूँजीगत हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने में अनियमितताएं

हमने 11 राज्यों में ₹ 1,134.44 करोड़ के कर प्रभाव वाले 53 मामलों में मूल्यहास की अनुमति देने और व्यवसाय/पूँजीगत घाटे को समायोजित करने और आगे बढ़ाने में अनियमितताएं देखीं। ऐसे पांच मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 79 यह निर्धारित करती है कि किसी कंपनी के मामले में किसी भी नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी (ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता का पर्याप्त हित हो) जब तक कि पिछले वर्ष के अंतिम दिन, इक्यावन प्रतिशत शेयर जो लाभकारी रूप से उन्हीं व्यक्तियों द्वारा रखे गए थे जिनमें नुकसान हुआ था।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-8, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स वी1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण पूरा करते हुए निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 के संबंध में ₹ 1,173.74 करोड़ के नुकसान के दावे को खारिज करने का फैसला नहीं किया क्योंकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान इक्यावन प्रतिशत इक्विटी शेयर नए शेयरधारक को हस्तांतरित किए गए थे। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 406.21 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 1,173.74 करोड़ के अतिरिक्त हानि को अग्रेषित करने दिया गया। *विभाग ने कहा कि (मार्च 2022); लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार्य थीं और अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन पूरा करते समय इसकी जांच की जाएगी।* हालांकि, यह देखा गया कि विभाग ने अप्रैल 2023 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 32(iii) में 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहीत और स्थापित नए संयंत्र और मशीनरी की लागत के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मूल्यहास की अनुमति देने का प्रावधान है यदि निर्धारिती किसी वस्तु या वस्तु के निर्माण या उत्पादन (या निर्धारण वर्ष 2013-14 से बिजली के उत्पादन, प्रेषण या वितरण के व्यवसाय में) में लगा हुआ है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी का उपयोग एक सौ अस्सी दिनों से कम समय के लिए किया जाता है तो धारा के तहत कटौती इस प्रकार गणना की गई कुल कटौती के पचास प्रतिशत तक सीमित होगी। वित्त अधिनियम 2015 (प्रभावी कर निर्धारण वर्ष 2016-17) में अधिनियम की धारा 32(1)(ii) के नीचे तीसरा परंतुक अंतः स्थापित किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में जहां वित्तीय वर्ष के दौरान संयंत्र और मशीनरी का उपयोग एक सौ अस्सी दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो गणना की गई कुल कटौती का शेष पचास प्रतिशत ऐसी परिसंपत्ति के तुरंत बाद के पिछले वर्ष में अनुमति दी जाएगी।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-2, मुंबई
निर्धारिती नाम : मेसर्स टी4 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2018 में अधिनियम की धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, अर्जित परिसंपत्तियों पर ₹ 331.92 करोड़ के अतिरिक्त मूल्यहास के दावे की अनुमति दी और 31 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 तक उपयोग किया। चूंकि, परिसंपत्तियां 1 अप्रैल 2015 से पहले अधिग्रहित और स्थापित की गई थीं, शेष अतिरिक्त मूल्यहास का दावा करने और बाद के वित्तीय वर्ष में अनुमति देने के लिए पात्र नहीं था। इसे प्रतिबंधित करने के लिए चूक के परिणामस्वरूप ₹ 331.92 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 175.99 करोड़ का कम कर लगाया गया था। *विभाग ने इस अभ्युक्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2022) और मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि यदि मूल्यहास सहित चालू वर्ष की हानि को संबंधित वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूर्णतया समंजन नहीं किया जा सकता है, तो इस तरह की हानि को 'लाभ और व्यवसाय या पेशे के लाभ' के प्रति समंजन हेतु अगले निर्धारण वर्ष (वर्षों) में अग्रोनयन किया जाएगा। सीबीडीटी के निर्देश संख्या 09/2007 दिनांक 11 सितंबर 2007 के अनुसार, निर्धारण अधिकारी को को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा कर निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और असमाहित मूल्य हास सहित हानियों से संबंधित दावों को कर निर्धारण रिकार्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि अग्रेषित हानियों और मूल्य हास के दावों की अनुमति की यथार्थता सुनिश्चित की जा सके। पूर्व के वर्षों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई, जहां आवश्यक हो, भी शुरू की जानी चाहिए।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त केंद्रीय-2, कोलकाता
निर्धारिती नाम : मैसर्स आई1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी, दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 44.69 करोड़ की हानि और ₹ 33.20 करोड़ की अघोषित आय पर, जिस पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर देय था; और ₹ 258.25 करोड़ की कुल व्यावसायिक हानि को निर्धारिती को अग्रेषित करने की अनुमति दी, जैसा कि अनुसूची अग्रेषित हानियों (सीएफएल) में प्रदर्शित है, जिसमें ₹ 1.05 करोड़, ₹ 70.33 करोड़, ₹ 68.26 करोड़, ₹ 86.93 करोड़ और

₹ 31.68 करोड़ की व्यावसायिक हानि क्रमशः 2013-14 से 2017-18 तक सम्मिलित थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को नि.व. 2013-14 से 2015-16 के संबंध में भविष्य के वर्षों के लिए अग्रेषित करने हेतु कोई हानि नहीं थी क्योंकि संबंधित नि.व. में सकारात्मक आय पर निर्धारण पूरा किया गया था। जबकि, नि.व. 2016-17 और 2017-18 के संबंध में, क्रमशः ₹ 35.09 करोड़ और ₹ 44.69 करोड़ की व्यावसायिक हानि अग्रेषित करने हेतु उपलब्ध थी। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 178.47 करोड़ के व्यावसायिक हानि का शुद्ध अतिरिक्त अनुमति अग्रेषित किया गया, जिसका संभावित कर प्रभाव ₹ 61.76 करोड़ था। *विभाग ने फरवरी 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 72 में प्रावधान है कि, जहां 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती को हानि है और मूल्यहास सहित इस तरह के हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजन नहीं किया जा सकता है, इतनी हानि जिसे समंजन नहीं किया गया है, अगले निर्धारण वर्ष/वर्षों के लिए अग्रेषित किया जाएगा जिसे 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ' के प्रति समंजन किया जाएगा।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-5, मुंबई
निर्धारिती नाम : मेसर्स एम1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 42.54 करोड़ की आय पर निर्धारण पूर्ण किया, जिसे बाद में धारा 143(3) के अंतर्गत पारित आदेश में निर्धारित आय अग्रेषित हानियों की सीमा तक के समंजन को अनुमत्त करने के बाद फरवरी 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारा गया और अंतिम आय ₹ 'शून्य' पर निर्धारित की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को ₹ 'शून्य' की तुलना में ₹ 163.02 करोड़ के चालू वर्ष की अग्रेषित हानियों को बढ़ाने की गलत अनुमति दी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 56.41 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया और मार्च 2022

में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 32 संपत्ति के मूल्यहास के कारण कटौती का प्रावधान करती है, जिसकी गणना संपत्ति की वास्तविक लागत के प्रतिशत पर की जाती है। इसके अलावा, धारा 32(1) के उप खंड (ii) में विनिर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगे निर्धारित द्वाारा अधिग्रहित और स्थापित नई मशीनरी पर 20 प्रतिशत के अतिरिक्त मूल्यहास का प्रावधान है। हालांकि, धारा 32(1) के पहले प्रावधान के अनुसार, पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी पर मूल्यहास परिसंपत्ति के लिए स्वीकार्य के पचास प्रतिशत तक सीमित है। इसके अलावा, धारा 43ए के प्रावधान और धारा 43(1) के स्पष्टीकरण 9 के संदर्भ में, परिसंपत्ति की वास्तविक लागत जिस पर मूल्यहास की गणना की जाती है, उसे विनिमय दरों में किसी भी वृद्धि या कमी के लिए समायोजित किया जाना है।

मामला V आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, डिब्रूगढ़
निर्धारित नाम : मैसर्स जी5 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 54.42 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, संशोधित मूल्य वर्धित कर (एमवीएटी) क्रेडिट और लाभ को समायोजित किए बिना विनिमय दर में परिवर्तन के कारण संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास सहित मूल्यहास की अनुमति दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की मूल्यहास की अतिरिक्त गणना हुई जिसमें ₹ 0.21 करोड़ के अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट के अलावा, ₹ 0.36 करोड़ का न्यूनतम वैकल्पिक कर का कम प्रभार शामिल था। *विभाग ने अप्रैल 2020 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके त्रुटि में सुधार किया और मांग भी संग्रहित की गई (जुलाई 2020)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.3.3 अनियमित छूट/कटौती/रियायत/राहत/एमएटी क्रेडिट

हमने 10 राज्यों में ₹ 324.21 करोड़ के कर प्रभाव वाले अनियमित छूट/कटौती/रियायत/राहत/एमएटी क्रेडिट से संबंधित 25 मामलों को देखा। ऐसे चार मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

धारा 37 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संदर्भित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर एक निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय नहीं माना जाएगा। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है अर्थात् निर्धारण वर्ष 2015-16 और उसके बाद के वर्षों के लिए।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, मुंबई
निर्धारिती नाम : मेसर्स टी3 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 18,901.51 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 185.82 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए सीएसआर व्ययों के कारण ₹ 294.23 करोड़ की राशि वापस जोड़ी थी और उपरोक्त सीएसआर व्ययों में से अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत ₹ 115.65 करोड़ की कटौती का दावा किया था। इसके अलावा, निर्धारिती कंपनी ने 41 एसईजेड इकाइयों के संबंध में अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 13,241.73 करोड़ की कटौती का भी दावा किया था। प्रत्येक एसईजेड इकाई के फॉर्म 56एफ से पता चला है कि निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र लाभ की राशि पर पहुंचने के लिए आय की गणना में कुल सीएसआर व्ययों में से आनुपातिक सीएसआर व्ययों को वापस जोड़ा था। 10ए की सभी उक्त इकाइयों की गणना में कुल सीएसआर व्यय वापस जोड़ा गया जो ₹ 185.82 करोड़ था। हालांकि, धारा 80जी के अंतर्गत कटौती का दावा 10ए इकाइयों के अंतर्गत नहीं किया गया था, लेकिन आय की संयुक्त गणना में दावा किया गया था। इस प्रकार, ₹ 294.23 करोड़ के सीएसआर व्यय को 10ए और गैर-10ए इकाइयों के बीच विभाजित किया गया था, लेकिन 80जी दान के कारण ₹ 115.65 करोड़ की पूरी कटौती का दावा गैर 10ए इकाइयों में किया गया था। इस प्रकार, सीएसआर व्यय को विभाजित करने की ऐसी व्यवस्था से, निर्धारिती ने 10ए इकाइयों के लाभ में वृद्धि की और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 10ए

के अंतर्गत बढ़ी हुई कटौती का दावा किया। इसका परिणाम ₹ 64.31 करोड़ के कर प्रभाव वाले समान राशि की कटौती में अधिक अनुमति हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार नहीं करते हुए (सितंबर 2021) में कहा कि हालांकि वित्त अधिनियम 2014 स्पष्ट करता है कि सीएसआर व्यवसाय व्यय का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाभ अभी भी प्रधानमंत्री राहत कोष, वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कौशल विकास परियोजनाओं, कृषि विस्तार परियोजनाओं आदि पर खर्च करने हेतु उपलब्ध हैं। इसी समय, अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती के दावे को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है क्योंकि अधिनियम में किसी भी प्रकार की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप इकाई की कुल आय की आय होती है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह मूल मुद्दे को ध्यान में नहीं रखता है कि कर योग्य आय की गणना के दौरान एक बार एक प्रकार का व्यय स्वीकार्य नहीं है, तो विभिन्न प्रावधानों के तहत उसी व्यय की अनुमति देना विधायिका के इरादे को विफल कर देता है।

विभाग को इस संबंध में संशोधन करने अथवा बाध्यकारी स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय से किया गया दान अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है अथवा नहीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कर निर्धारण प्रभागों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपबंधों की समान रूप से व्याख्या की जाए और मुकदमेबाजी की संभावना को भी कम किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 115जेएए(1ए) में यह प्रावधान है कि जहां कर की किसी राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा धारा 115जेबी(1) के अंतर्गत किया जाता है, एक कंपनी होने के नाते, 01/04/2006 से शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी अनुवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए, इस प्रकार भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट की अनुमति उसे दी जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 115जेएए (2ए) में यह प्रावधान है कि उप-धारा (1ए) के तहत अनुमत कर क्रेडिट धारा 115जेबी (1) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए भुगतान किए गए कर का अंतर होगा और निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि उसकी कुल आय, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी, बशर्ते कि उप-धारा (1ए) के तहत अनुमत कर क्रेडिट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-8, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम3 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन समाप्त करते हुए, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 29.87 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी और ₹ 98.84 करोड़ के शेष एमएटी क्रेडिट को बाद के वर्षों में सेट ऑफ के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। तथापि, लेखापरीक्षा ने पूर्व वर्षों के कर निर्धारण रिकार्डों से यह पाया कि चालू वर्ष के दौरान ₹ 29.87 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को सेट ऑफ करने के बाद, निर्धारिती के पास ₹ 98.84 करोड़ के स्थान पर अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए ₹ 39.11 करोड़ का शेष एमएटी क्रेडिट उपलब्ध था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 59.73 करोड़ के अतिरिक्त एमएटी क्रेडिट को अग्रेणित किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त त्रुटि आईटीबीए में पिछले वर्षों की मूल्यांकन कार्यवाही के परिणाम को अद्यतन न करने के कारण हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन (मई 2022) को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि सिस्टम स्वचालित रूप से सेट ऑफ के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की गणना करता है और तदनुसार सेट ऑफ के लिए उपलब्ध शेष एमएटी क्रेडिट को बाद के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।

विभाग का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित एमएटी क्रेडिट को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, जबकि निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर लगाया गया था। इसलिए, निर्धारिती को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, जबकि आईटीडी/आईटीबीए सिस्टम के अनुसार, ₹ 42.80 करोड़ का एमएटी क्रेडिट आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध था। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, ₹ 68.98 करोड़ के कुल उपलब्ध एमएटी क्रेडिट में से ₹ 29.87 करोड़ पहले ही चालू निर्धारण वर्ष के दौरान समायोजित कर दिए गए थे। इसलिए केवल ₹ 39.12 करोड़ का शेष एमएटी क्रेडिट आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध था, जबकि आईटीडी/आईटीबीए सिस्टम के अनुसार, इसे ₹ 56.04 करोड़ के रूप में दिखाया

गया था। इस प्रकार, मैट क्रेडिट की अद्यतन स्थिति आईटीडी/आईटीबीए प्रणाली में प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को मैट क्रेडिट की गलत अनुमति का जोखिम था, जिसके लिए संबंधित निर्धारण वर्ष के मूल्यांकन/सुधार/संशोधन बाद में मैट क्रेडिट की सही/ अद्यतन स्थिति को आईटीबीए प्रणाली सहित विभाग में आईटी प्रणालियों में प्रतिबिंबित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता थी। ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, बंगलुरु
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी4 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2019 में धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण समाप्त करते हुए निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित ₹ 35.98 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की अनुमति देने के बाद ₹ 2,859.52 करोड़ की आय का निर्धारण किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती कंपनी के पास कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कोई एमएटी क्रेडिट नहीं था क्योंकि कर निर्धारण वर्ष 2014-15 में अधिनियम के सामान्य प्रावधान के तहत लगाया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 55.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने जून 2021 में अधिनियम की धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की। उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 32एसी(1ए) में यह निर्धारित किया गया है कि, जहां एक निर्धारिती, एक कंपनी होने के नाते, किसी भी वस्तु या चीज के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है, नई संपत्ति का अधिग्रहण और स्थापना करती है और किसी भी पिछले वर्ष के दौरान अर्जित ऐसी नई परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत की राशि पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक है और ऐसी संपत्ति 31/3/2017 को या उससे पहले स्थापित की जाती है, फिर ऐसी परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत के पंद्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए अनुमति दी जाएगी।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-4, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मैसर्स सी2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए सामान्य प्रावधानों के तहत लाए गए नुकसान के समायोजन के बाद 'शून्य' आय पर, अधिनियम की धारा 32एसी(1ए) के तहत ₹ 14.57 करोड़ की पात्र कटौती के बजाय ₹ 188.21 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 173.64 करोड़ की अधिक कटौती की गई जिसमें ₹ 52.10 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.3.4 व्यावसायिक व्यय की गलत छूट

हमने 10 राज्यों में ₹ 626.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यापार व्यय के गलत छूट से संबंधित 40 मामले देखे। ऐसे सात मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 43बी में यह निर्धारित है कि किसी अनुसूचित बैंक से लिए गए किसी आवधिक ऋण अथवा अग्रिम पर ब्याज के किसी भी भुगतान की अनुमति पिछले वर्ष में दी जाएगी जिसमें विवरणी दाखिल करने की तारीख तक इसका वास्तव में भुगतान किया गया है। धारा 43बी के अंतर्गत स्पष्टीकरण 3सी और 3डी में कहा गया है कि ब्याज के ऋण या उधार में किसी भी रूपांतरण को वास्तव में भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जी6 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए ₹ 278.48 करोड़ के ब्याज के दावे की अनुमति दी, जिसे संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) की रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के अनुसार इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया गया था बल्कि इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया था, इसलिए धारा 43बी के प्रावधानों के अनुसार

कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। ब्याज को अस्वीकार करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 96.21 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 278.01 करोड़ की हानि का अतिरिक्त अग्रेषण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं करते हुए कहा (जुलाई 2021) कि एसडीआर योजना 20 सितंबर 2016 को उधारदाताओं द्वारा लागू की गई थी और अंततः 5 अप्रैल 2017 को परिवर्तित हो गई थी।* इसलिए, ब्याज देयता अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने से काफी पहले आकार ले चुकी और अधिनियम की धारा 43बी के तहत पूरी तरह से कवर की जाती है। विभाग का उत्तर इस तथ्य के कारण स्वीकार्य नहीं है कि अधिनियम की धारा 43बी के अंतर्गत ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब इसका वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो न कि ऋण या इक्विटी में परिवर्तित होने के कारण। निर्धारिती ने ब्याज देयता को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया था और कटौती में छूट अधिनियम की धारा 43बी के तहत स्पष्टीकरण 3सी और 3डी में दिए गए मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 17 जुलाई, 2006 के अपने परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि ऋणदाता और उधारकर्ता चुकौती व्यवस्थाओं/अनुसूचियों में असंख्य भिन्नताएं कर सकते हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की कल्पना करना संभव नहीं है। अंत में, *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2022) और मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 37(1) के अनुसार, कोई भी व्यय जो पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय के रूप में नहीं है, व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से निर्धारित किया गया है, को व्यवसाय और व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना करने में अनुमति दी जाएगी।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-3, मुंबई

निर्धारिती का नाम : मेसर्स एच2 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन समाप्त करते हुए ₹ 334.03 करोड़ के संशोधित आयकर विवरणी नुकसान को स्वीकार किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने ₹ 293.57 करोड़ की वित्त लागत का दावा किया था, जिसमें से केवल ₹ 0.59 करोड़ इन्वेंट्री खाते में स्थानांतरित किए गए थे। आगे देखा गया कि निर्धारिती के पास ₹ 4,948.29 करोड़ का दीर्घकालिक उधार था जिसका उपयोग मुख्य रूप से ₹ 3,595.77 करोड़ (72.65 प्रतिशत) की इन्वेंट्री के खिलाफ किया गया था। अतः इसी अनुपात में, प्रगति पर चल रहे कार्य के लिए ₹ 213.28 करोड़ की वित्त लागत आबंटित की जानी चाहिए थी। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 73.61 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ ₹ 212.69 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ। विभाग ने कहा (अप्रैल 2022) कि मामले में अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा, विभाग से वित्त लागत के आवंटन को सत्यापित करने के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 के मूल्यांकन रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन बार-बार अनुस्मारक और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद भी इसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। विभाग को उपचारात्मक कार्रवाई (अप्रैल 2024) की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करना बाकी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 35एबीबी(1) के प्रावधानों के अनुसार, दूरसंचार सेवाओं को संचालित करने का कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय के रूप में कोई भी व्यय, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वास्तव में भुगतान किया गया है, को पिछले प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे व्यय की राशि के उपयुक्त अंश के बराबर कटौती की अनुमति दी जाएगी। धारा 35एबीबी(3) के अनुसार, जहां लाइसेंस का पूरा या कोई भाग स्थानांतरित किया जाता है और स्थानांतरण की आय अनुमत रहते हुए किए गए व्यय की राशि से अधिक हो जाती है, वहां इतनी अधिकता जो अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय और अनुमत न रहने वाले ऐसे व्यय की राशि के बीच के अंतर से अधिक नहीं होती है, वह पिछले वर्ष में कारोबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में आयकर के लिए प्रभार्य होगी जिसमें लाइसेंस ट्रांसफर किया गया है।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मैसर्स ए3 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 5.20 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, अधिनियम की धारा 35एबीबी के तहत लाइसेंस के लिए भुगतान किए गए ₹ 7,979.56 करोड़ का 1/20वां हिस्सा ₹ 398.98 करोड़ के परिशोधन की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने पूर्व के निर्धारण वर्षों के मूल्यांकन रिकॉर्ड से भी देखा कि:

- (i) निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 में कुल ₹ 4,773.20 करोड़ की राशि के लिए बीडब्ल्यूए/3जी स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण किया था। विभाग ने धारा 35एबीबी के तहत ₹ 238.66 करोड़ की अनुमति दी थी। हालांकि, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए पुनर्मूल्यांकन आदेश (दिसंबर 2019) से देखा गया है, धारा के तहत स्वीकार्य वास्तविक कुल राशि को ₹ 4,417.99 करोड़ पर फिर से निर्धारित किया गया था और तदनुसार ₹ 4,417.99 करोड़ का 1/20 वां हिस्सा यानी ₹ 220.90 करोड़ की अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के विवरण से यह भी पता चलता है कि यह छूट ₹ 220.90 करोड़ तक सीमित थी। निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2013-14 के लिए छूट की राशि ₹ 238.66 करोड़ ही रही। कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, आयकर आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया था कि छूट को ₹ 220.90 करोड़ तक सीमित किया जाए। तथापि, कोई परिणामी आदेश पारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, इस स्पेक्ट्रम पर निर्धारिती को दी गई कुल छूट निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए ₹ 1,378.68 करोड़ आंकी गई।
- (ii) निर्धारण वर्ष 2015-16 के ब्योरे से देखा जा सकता है कि निर्धारण वर्ष 2015-16 में ₹ 4,477.10 करोड़ में प्राप्त स्पेक्ट्रम के संबंध में अतिरिक्त परिशोधन के लिए निर्धारिती पात्र था।
- (iii) जैसा कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित बैलेंस शीट के नोट 4ए से देखा गया है, निर्धारिती ने ₹ 2,446.81 करोड़ की राशि का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हासिल किया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित फॉर्म 3सीडी के मूल्यहास विवरण से यह भी पाया कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान ₹ 3,197.00 करोड़ की बिक्री के लिए दो सर्किलों में अपने

बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम का निपटान किसी अन्य दूरसंचार ऑपरेटर को कर दिया था। इस प्रकार, निर्धारिती व्यय के परिशोधन के रूप में ₹ 346.20 करोड़ की कटौती के लिए पात्र था, जो निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 6,923.21 करोड़ के स्पेक्ट्रम की कुल खरीद का 1/20 वां हिस्सा था, जबकि मूल्यांकन आदेश में ₹ 398.98 करोड़ की अनुमति थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण वर्ष 2011-12 में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के संबंध में कुल ₹ 1,378.68 करोड़ का व्यय निर्धारण वर्ष 2016-17 तक परिशोधन में दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, निर्धारण वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में इस मद में अपरिशोधित राशि ₹ 3,039.31 करोड़ आंकी गई। चूंकि अधिनियम की धारा 35एबीबी (3) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ₹ 3,197 करोड़ के स्पेक्ट्रम का बिक्री प्रतिफल ₹ 3,039.31 करोड़ की अशोधित राशि से अधिक है, इसलिए ₹ 157.69 करोड़ (₹ 3,197.00 करोड़ - ₹ 3,039.31 करोड़) के अंतर पर कारोबार के लाभ और अभिलाभ के रूप में कर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, मूल्यांकन में त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 52.78 करोड़ (₹ 398.98 करोड़ - ₹ 346.20 करोड़) की कटौती की अतिरिक्त छूट और ₹ 72.90 करोड़ के परिणामी कर प्रभाव के साथ ₹ 157.69 करोड़ की आय पर विचार नहीं किया गया।

विभाग ने शुरू में (अक्टूबर 2020) जवाब दिया कि स्पेक्ट्रम से की गई बिक्री पूरी तरह से परिशोधन के लिए पात्र राशि के ब्लॉक से कम हो गया है। इसके अलावा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, बिक्री प्रतिफल को पहले ही समग्र सकल ब्लॉक में समायोजित किया गया था और शेष भाग पर छूट की गणना केवल 20 वर्षों के लिए की गई थी। इसलिए, इस पहलू पर कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 32 के अंतर्गत अवमूल्यन की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति जिसमें 'आस्तियों का ब्लॉक' की अवधारणा शामिल है, धारा 35एबीबी के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के अधिकार के अन्तरण के प्रयोजन से नहीं अपनाई जा सकती है। दूरसंचार सेवाओं को प्रचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यय की अनुमति

अधिनियम की धारा 35एबीबी के तहत निर्धारित विधि के अनुसार दी जाएगी। इसके बाद, विभाग ने उपचारात्मक कार्रवाई की और अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत पुनर्मूल्यांकन (मार्च 2022) स्पेक्ट्रम की बिक्री पर लाभ को कर के दायरे में लाकर पूरा किया गया, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 157.69 करोड़ की तुलना में विभाग द्वारा कर पर लाभ ₹ 104.41 करोड़ था। अधिनियम की धारा 35एबीबी(3) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 तक वास्तव में अनुमत परिशोधन पर 'अनुमति के बिना' भाग पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार किया जाना था। निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 के पूर्ण कर निर्धारण के अनुसार, कुल परिशोधन राशि ₹ 1,378.68 करोड़ बैठी। तथापि, विभाग ने, निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 प्रत्येक के लिए, बिना इन निर्धारण वर्ष में वास्तव में अनुमत परिशोधन का संदर्भ दिए, ₹ 220.90 करोड़ की एकसमान राशि ली जो कुल मिलाकर ₹ 1,325.40 करोड़ थी। इस प्रकार ₹ 53.28 करोड़ (₹ 157.69 करोड़ - ₹ 104.41 करोड़) के अंतर का पुनर्मूल्यांकन किया जाना छोड़ दिया गया। इसके अलावा, पुनर्निर्धारण में अधिनियम की धारा 35एबीबी के अंतर्गत कटौती के ₹ 52.78 करोड़ के अतिरिक्त छूट पर विचार नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 30 और 31 में यह निर्धारित किया गया है कि व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर या मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के नुकसान या विनाश के जोखिम के खिलाफ बीमा के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी प्रीमियम को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यह इस प्रकार है कि बीमा पर केवल प्रीमियम को कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त- 3, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मैसर्स टी2 कॉर्पोरेशन
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 792.72 करोड़ के नुकसान पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, प्रशासन और सामान्य खर्चों के तहत ₹ 249.70 करोड़ के व्यय की अनुमति दी, जिसमें बीमा के लिए ₹ 214.58 करोड़ (उत्पादन स्टेशनों की संपत्ति पर एक प्रतिशत)

शामिल था। इसके अलावा, खाते पर टिप्पणियां (मद सं. 18) से यह स्पष्ट था कि यह कटौती 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भूमि को छोड़कर निवल स्थिर परिसंपत्ति पर एक *प्रतिशत* बीमा आरक्षित के कारण थी।

इस प्रकार, व्यय केवल एक प्रावधान के रूप में था और वर्ष के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम की वास्तविक राशि नहीं थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 214.58 करोड़ के व्यय की गलत छूट दी गई जिसमें ₹ 64.37 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने फरवरी 2023 में अधिनियम की धारा 143(3) आरडब्ल्यूएस 263 के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया।* मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला V आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त- 3, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स टी1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 1,840.88 करोड़ के नुकसान पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, प्रशासन और सामान्य खर्चों के तहत ₹ 448.92 करोड़ के व्यय की अनुमति दी, जिसमें बीमा के लिए ₹ 211.64 करोड़ (उत्पादन स्टेशनों की संपत्ति पर एक *प्रतिशत*) शामिल था। इसके अलावा, खाते पर टिप्पणियां (मद सं 24 और अनुसूची सं 35) से यह स्पष्ट था कि यह कटौती उत्पादन सकल में निवल स्थायी परिसम्पत्ति पर एक *प्रतिशत* बीमा आरक्षित निधि के कारण की गई थी और इसे आरक्षित निधियों में जमा किया गया था।

इस प्रकार, व्यय केवल एक प्रावधान के रूप में था और वर्ष के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम की वास्तविक राशि नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 211.64 करोड़ के व्यय की गलत छूट हुई जिसमें ₹ 63.49 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने कहा (अप्रैल 2023) कि मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। पीसीआईटी आदेश को प्रभावी करने का आदेश फरवरी 2023 में अधिनियम की धारा 263/143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत भी पारित किया गया था।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 37(1) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, यदि किसी निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया कोई व्यय हो, जो अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, को कारोबार या पेशे के प्रयोजन से किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या रियायत नहीं दी जाएगी।

मामला VI आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-2, जयपुर
निर्धारिती का नाम : मेसर्स ए1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 26.56 करोड़ के नुकसान पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, पिछले वर्षों में नकली लाइसेंसों के खिलाफ स्पिरिट की आपूर्ति के लिए उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उठाई गई मांग के कारण ₹ 20.77 करोड़ के खर्च की अनुमति दी। चूंकि किया गया व्यय एक आपराधिक प्रकृति का था जो कानून द्वारा निषिद्ध है, इसलिए पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार यह स्वीकार्य व्यय नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप हानि की गणना ₹ 20.77 करोड़ तक अधिक हो गई जिसमें ₹ 7.19 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147/144बी के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 36(1)(वीए) के प्रावधान के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों के किसी भी कल्याण कोष में अपने कर्मचारियों से योगदान के रूप में करदाता द्वारा प्राप्त किसी भी राशि के संबंध में कटौती को कटौती के रूप में केवल तभी अनुमति दी जाती है जब करदाता द्वारा देय तिथि को या उससे पहले संबंधित निधि में कर्मचारी के खाते में ऐसी राशि जमा की जाती है। यहां 'नियत तारीख' का अर्थ उस तारीख से है जिसके द्वारा निर्धारिती को नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों के खाते में इस तरह के योगदान को क्रेडिट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने 17/12/2015 के परिपत्र संख्या 22/2015 में स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 36(1)(वीए) द्वारा शासित कल्याण निधियों में कर्मचारी का योगदान अधिनियम की धारा 43(बी) के तहत शामिल नहीं है।

मामला VII आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, रांची
निर्धारिती का नाम : मेसर्स सी1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत ₹ 3,057.35 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय नियत तारीख के बाद पीएफ योगदान के भुगतान के लिए ₹ 5.78 करोड़ वापस नहीं जोड़े। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.78 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ, जिसमें ₹ 1.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने अप्रैल 2021 में अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 147 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या अर्जित या प्राप्त या अर्जित समझी जाने वाली सभी आय शामिल होंगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने या तो कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम मूल्यांकन किया जिसे कर के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 3.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप त्रुटियों के कारण आय मूल्यांकन से बच गई है।

तालिका 3.3: त्रुटियों के कारण आय से बचने के निर्धारण के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			
उप-श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
विशेष प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम मूल्यांकन किया गया	16	107.76	गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण नहीं किया गया/कम मूल्यांकन किया गया	22	1,606.20	दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।
पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	5	11.24	दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल।
आर्म्स लेंथ की कीमत का गलत अनुमान	11	31.73	दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।
अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	1	6.98	पंजाब
टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	4	26.14	महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना
कुल	59	1,790.05	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत आय का न किया गया/कम किया गया निर्धारण

हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने सात राज्यों में ₹ 107.76 करोड़ के कर प्रभाव वाले 16 मामलों में विशेष प्रावधानों के तहत आय का या तो निर्धारण नहीं किया या कम मूल्यांकन की गई। ऐसा ही एक मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 115जेबी यह निर्धारित करती है कि, जहां एक निर्धारिती के मामले में, एक कंपनी होने के नाते, किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में अधिनियम के तहत गणना की गई कुल आय पर देय आय-कर, अपने बही लाभ का अठारह और आधे प्रतिशत से कम है, ऐसे बही लाभ को निर्धारिती की कुल आय माना जाएगा और ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर अठारह और डेढ़ प्रतिशत की दर से आयकर की राशि होगी। "बही लाभ" का अर्थ है लाभ जैसा कि प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में दिखाया गया है, जैसा कि निर्धारित समायोजन द्वारा बढ़ाया / घटाया गया है।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-4, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मैसर्स सी2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2020 में अधिनियम की धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत 'शून्य' बही लाभ की गणना की। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए ₹ 150 करोड़ का विनियोजन किया था। आगे यह पाया गया कि निर्धारिती ने बही लाभ की गणना करते समय उपर्युक्त राशि को वापस नहीं जोड़ा और निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई। चूंकि बही लाभ की गणना के लिए निर्धारित समायोजन के अनुसार आरक्षित और अधिशेष को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कम करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मूल्यांकन में इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप बही लाभ की गणना ₹ 150 करोड़ से कम हो गई और परिणामी कर की कम वसूली ₹ 32.01 करोड़ हो गई। विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के तहत आय का न किया गया/कम किया गया निर्धारण
हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने छह राज्यों में ₹ 1,606.20 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत या तो आय का निर्धारण नहीं किया या कम किया। ऐसे चार मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम के तहत, निर्धारितियों को कर लेखांकन उद्देश्यों के लिए राजस्व को पहचानने के लिए लेखांकन की उसी पद्धति का उपयोग करना पड़ता है जैसा कि वे वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए करते हैं जब तक कि वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कर नियमों या मार्गदर्शन के साथ असंगत न हो। सीआईटी, मद्रुरे बनाम मैसर्स श्री मंगायरकरसी लिम्स (प्रा) लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने लाभ की गणना करने के प्रयोजनों के लिए और आयकर के भुगतान के प्रयोजन के लिए एक ही व्यय के निर्धारिती के अलग-अलग उपचार को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम के तहत कटौती का दावा केवल कर के बोझ को कम करने के लिए किया गया था, और इस विश्वास के तहत नहीं कि यह वास्तव में राजस्व व्यय था। इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत राजस्व प्राप्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, मद्रास औद्योगिक निगम लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आयकर अधिनियम में आस्थगित राजस्व व्यय की कोई अवधारणा नहीं है। व्यय या तो 'राजस्व' प्रकृति का है या 'पूंजी'। गोवा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड बनाम एसीआईटी, सर्कल-1(1) पणजी, गोवा के मामले में आईटीएटी पणजी बेंच ने निर्णय दिया है कि तीन वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतान पर लीज लाइन की सदस्यता के रूप में व्यय राजस्व प्रकृति का है और उस वर्ष में पूरी तरह से स्वीकार्य है जिसमें यह खर्च किया गया था।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-8, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स आर2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17 एवं 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में शून्य आय पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत उपरोक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती को अन्य कंपनी के साथ किए गए समझौते के अनुसार डार्क फाइबर के उपयोग के अपरिहार्य अधिकार (आईआरयू) के लिए प्राप्त क्रमशः ₹ 1,225.00 करोड़ और ₹ 1,724.00 करोड़ की राशि से ₹ 1,219.98 करोड़ और ₹ 1,624.33 करोड़ कम करने की अनुमति दी, इसे 20 वर्षों की समझौता अवधि में राजस्व का स्थगन मानते हुए जो निम्नलिखित आधारों के लिए क्रम में नहीं था:

- (i) “अपरिहार्य” शब्द का अर्थ है “रद्द किए जाने, या शून्य, या पूर्ववत होने में सक्षम नहीं”। चूंकि अनुबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए विभाग का यह तर्क कि अनुबंध समाप्त होने पर निर्धारिती को राशि वापस करनी होगी, कानूनी रूप से मान्य नहीं है।
- (ii) निर्धारिती ने उपरोक्त अनुबंध से संबंधित सभी कार्यों को पूरा कर लिया था और फाइबर की डिलीवरी पूरी कर ली थी।
- (iii) निर्धारिती पूर्ण सेवा संविदा पद्धति का अनुसरण कर रहा है और उसने अपनी लेखा बहियों में उपार्जित और प्राप्त संपूर्ण राशि भी दर्शाई है।
- (iv) कुल प्रतिफल एकमुश्त में प्राप्त किया गया है: यदि राशि सालाना अर्जित की जाती है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है, तो खरीदार ने एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया होगा, लेकिन इसे एक प्रचालन पट्टे के रूप में माना होगा और प्रचालन लीज प्रीमियम के रूप में वार्षिक प्रतिफल का भुगतान किया होगा।
- (v) यदि राशि को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि अनुबंध बीस साल की अवधि में परिसंपत्तियों का पट्टा है, तो निर्धारिती को उन पट्टों के लेखांकन के लिए एएस-19 को अपनाना चाहिए था जिनका निर्धारिती कंपनी द्वारा पालन नहीं किया गया था और न ही दूसरी कंपनी द्वारा जिसके साथ समझौता किया गया था।
- (vi) दोनों निर्धारण वर्षों में विभाग ने टीडीएस के पूरे क्रेडिट की अनुमति दी जो पुष्टि करता है कि पूरी आय को अधिनियम के तहत कर के लिए पेश किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी को दोनों मूल्यांकन वर्षों में आईआरयू राजस्व की पूरी राशि जोड़नी चाहिए थी। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज को छोड़कर ₹ 976.81 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2,844.31 करोड़ का कुल अल्प मूल्यांकन हुआ। विभाग ने दोनों निर्धारण वर्षों के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और कहा (अक्टूबर 2022) कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी और अंतिम

उत्तर नेशनल पहचानविहीन असेसमेंट सेंटर (एनएफएसी) द्वारा मूल्यांकन आदेश पारित करने के बाद दिया जाएगा।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करें और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करें। अधिनियम की धारा 40(ए)(आई) में भारत के बाहर या किसी अनिवासी को देय किसी भी राशि (वेतन के अलावा) प्रदान की गई है, जो प्राप्तकर्ता के हाथों में भारत में कर के लिए प्रभार्य है, को कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि इसका भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बिना किया जाता है या यदि कर काट लिया जाता है लेकिन आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक केंद्र सरकार के पास जमा नहीं किया जाता है।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान-3), दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मैसर्स आर1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2019 में अधिनियम की धारा 144सी(3)/147 के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 41.29 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, रॉयल्टी/तकनीकी सेवाओं पर शुल्क (एफटीएस)/एफआईएस के रूप में मानते हुए ₹ 412.90 करोड़ की प्राप्ति के केवल ₹ 41.29 करोड़ को वापस जोड़ा। हालांकि, प्रदान की गई सेवाओं के समर्थन में निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/स्पष्टीकरण का कोई अपेक्षित विवरण नहीं था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने शेयरों की बिक्री के रूप में प्राप्त ₹ 87.23 करोड़ वापस नहीं जोड़े। ये राशियाँ, अस्पष्ट होने के कारण, निर्धारिती की आय में जोड़ी जानी चाहिए थीं। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 458.84 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन किया गया, जिसमें ₹ 405.99 करोड़ का कर प्रभाव अक्टूबर 2011 से फरवरी 2019 और अप्रैल 2011 से फरवरी 2019 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 234ए और धारा 234बी के तहत ब्याज ₹ 151.30 करोड़ और ₹ 161.49 करोड़ सहित शामिल है।

विभाग ने निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए लेखापरीक्षा अवलोकन (फरवरी 2023) को स्वीकार नहीं किया:

- i. 15सीए प्रमाणपत्रों के विवरण के अनुसार, निर्धारिती ने ₹ 412.90 करोड़ की राशि प्रेषित की थी और ₹ 87.23 करोड़ के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई थी जो सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे थे जिन पर निर्धारिती द्वारा एसटीटी का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि ₹ 412.90 करोड़ की राशि अस्पष्ट/असत्यापित रह गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 148 और धारा 142(1) के तहत नोटिस जारी करके मामले को पुनः खोला गया।
- ii. निर्धारिती की गैर-जवाबदेही के कारण निर्धारण अधिकारी वास्तविकता, सत्यता और लेनदेन की प्रकृति का पता लगाने में असमर्थ था, इसलिए, धारा 133(6) के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस जारी किए गए थे। एनएसई ने निर्धारिती के ब्रोकरों और निर्धारिती के व्यापार लॉग के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा, धारा 133(6) के तहत निर्धारिती के दोनों ब्रोकरों को नोटिस भेजे गए थे। ब्रोकरों के उत्तर के अवलोकन पर, यह देखा गया कि निर्धारिती ने बीएसई और एनएसई में शेयरों की बिक्री के कारण ₹ 414.66 करोड़ की सकल राशि प्राप्त की थी और इन लेनदेन के हिस्से पर ₹ 51.83 लाख का एसटीटी का भुगतान किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज पर सकल बिक्री आय से एसटीटी और ब्रोकरेज शुल्क को कम करने के बाद, शुद्ध राशि ₹ 412.90 करोड़ आती है जिसे निर्धारिती द्वारा प्रेषित किया गया था। इसके अलावा, एनएसई और बीएसई द्वारा अपलोड की गई जानकारी के अनुसार निर्धारिती को शेयरों की बिक्री से ₹ 87.24 करोड़ मिले, जबकि ब्रोकरों से विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी ₹ 414.66 करोड़ की सकल राशि थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि ₹ 87.23 करोड़ ₹ 414.66 करोड़ का हिस्सा है।
- iii. अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत सबसे अच्छा निर्णय आदेश पारित करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने इसे निर्धारिती की एफटीएस / रॉयल्टी / एफआईएस आय के रूप में मानकर सकल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत (यानी ₹ 412.90 करोड़ का 10 प्रतिशत) कर लगाया। निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा

144 के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्णय आदेश पारित करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि निर्धारिती की गैर-जवाबदेही के कारण, निर्धारण अधिकारी लेनदेन की वास्तविकता/सत्यता और प्रकृति का पता लगाने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में आयकर नियमों का नियम 10, निर्धारण अधिकारी का निर्धारिती की आय की गणना करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

निर्धारिती के अनिवासी होने के नाते, रॉयल्टी पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 115ए में उल्लेख किया गया है। निर्धारिती को डीटीएए का कोई लाभ नहीं दिया गया। इस पर केवल आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर लगाया गया था। अतः लेखापरीक्षा द्वारा उस पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की आपत्ति त्रुटिपूर्ण है और स्वीकार्य नहीं है।

iv. 90 प्रतिशत प्राप्तियों पर कर न लगाना भी स्वीकार्य नहीं है। संपूर्ण प्राप्तियां कभी भी आय नहीं हो सकतीं। इस पर निर्धारण अधिकारी ने ऊपर बताए अनुसार स्टैंड लिया है। जहां तक ₹ 87.23 करोड़ को कर में नहीं लाने का संबंध है, यह लेखापरीक्षा अवलोकन भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह राशि एनएसई और बीएसई पर प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त निर्धारिती की कुल प्राप्तियों का हिस्सा है। इसलिए, एक ही राशि पर दो बार कर नहीं लगाया जा सकता है।

v. 27/01/2021 को संप्रेषित लेखापरीक्षा अवलोकन को 08/02/2021 को संशोधित किया गया था, जिसमें ₹ 64.42 करोड़ के कर का अधिक मूल्यांकन शामिल था, जिसे अधिनियम की धारा 154 के तहत एक आदेश पारित करके ठीक किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने फरवरी 2019 में अधिनियम की धारा 144C(3)/147 के साथ पठित धारा 144 के तहत पारित मूल्यांकन आदेश के साथ अगस्त 2022 में धारा 154 के तहत पारित सुधार आदेश की नए सिरे से समीक्षा की और अतिरिक्त लेखापरीक्षा अवलोकन प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा ने वर्ष के दौरान एनएसई/बीएसई के माध्यम से शेयरों की बिक्री पर विचार को इंगित नहीं किया, न तो 27 जनवरी 2021 की लेखापरीक्षा आपत्ति में और न ही 08 फरवरी 2021 के शुद्धिपत्र में।

विभाग का उपर्युक्त उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है

- (i) निर्धारिती ने मॉरीशस को ₹ 412.90 करोड़ के जावक विदेशी प्रेषण और शेयरों की बिक्री के लिए ₹ 87.23 करोड़ की विदेशी प्रेषण की आवक प्राप्त को भी छिपाया था। इसके अलावा, इसने अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आईटीआर दाखिल नहीं किया था और मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान विभिन्न नोटिसों का अनुपालन भी नहीं किया था। चूंकि निर्धारिती द्वारा इस तरह के 'आने-जाने' के प्रेषण का स्रोत और प्रकृति अस्पष्ट रही, इसलिए इसे अधिनियम की धारा 68/69 के तहत जोड़ा जाना चाहिए था।
- (ii) हालांकि मूल्यांकन आदेश में यह कहा गया था कि निर्धारिती ने शेयरों की बिक्री के रूप में ₹ 87.23 करोड़ प्राप्त किए थे और बाहरी रूप से ₹ 412.90 करोड़ मॉरीशस को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में प्रेषित किए थे, यह कहीं भी खुलासा नहीं किया गया था कि एसटीटी का भुगतान सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर किया गया था। इसके बजाय, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टीडीएस ₹ 412.90 करोड़ के जावक प्रेषण पर नहीं काटा गया था। इसके अलावा, यह खुलासा नहीं किया गया था कि राशि किसे भेजी गई थी। विभाग ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया कि शेयरों की बिक्री से ₹ 414.66 करोड़ की सकल राशि प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, एसटीटी और ब्रोकरेज के भुगतान से संबंधित दस्तावेज भी लेखापरीक्षा को नहीं दिए गए थे। किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि ₹ 87.23 करोड़ की राशि ₹ 414.66 करोड़ के सकल विक्रय प्रतिफल में शामिल है या नहीं। इसके अलावा यह भी खुलासा नहीं किया गया कि यह राशि किसे भेजी गई।
- (iii) चूंकि शेयरों की बिक्री से होने वाला लाभ/अभिलाभ पूंजीगत लाभ की श्रेणी में आता है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि निर्धारिती की एफटीएस/रॉयल्टी/एफआईएस आय के रूप में इस पर कर कैसे लगाया गया। इसके अलावा, मूल्यांकन रिकॉर्ड में इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि आय वास्तव में एफटीएस/रॉयल्टी/एफआईएस आय थी। यह भी स्पष्ट

नहीं है कि मॉरीशस को विप्रेषण को प्रारंभ में निर्धारण अधिकारी द्वारा दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों के विप्रेषण के रूप में किस प्रकार अन्ततः एफटीएस/रॉयल्टी/एफआईएस के प्रति विप्रेषण में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने कोई कर निवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया था और कर निर्धारिती को डीटीए के उपबंधों से वंचित कर दिया गया था और विभाग द्वारा अपने उत्तर में यह दोहराया गया है कि निर्धारिती पर आयकर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर लगाया गया था। इसलिए, आईटी अधिनियम के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या रॉयल्टी/एफटीएस/एफआईएस के रूप में अर्जित आय को निर्धारिती की अघोषित व्यावसायिक आय के रूप में माना जाना चाहिए था और उस पर 30 प्रतिशत की दर से अधिभार/शिक्षा उपकर जमा कर लगाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 10(iii) पर निर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आय की प्रकृति को निर्धारण अधिकारी द्वारा बदला जा सकता है। इसके अलावा, कर निर्धारण आदेश और विभाग के उत्तर में यह कहा गया था कि निर्धारिती ने अनुपालन नहीं किया और कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान कोई उत्तर/प्रस्तुतीकरण नहीं दिया। आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह एक माना गया और स्वीकृत तथ्य है कि लेन-देन की वास्तविकता, सत्यता और प्रकृति को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा निर्धारिती पर होती है।

- (iv) इसके अलावा, निर्धारिती ने शेयरों का ब्यौरा, खरीदे गए शेयरों का स्रोत, खरीद शेयरों की तारीख नहीं दी और न ही विभाग के कर निर्धारण आदेश/उत्तर में अंतिम लाभार्थी के ब्यौरे प्रकट किए गए हैं। इसलिए, लेखापरीक्षा में एलटीसीजी के वास्तविक मूल्य का पता नहीं लगाया जा सका, इसके अलावा, खरीद विवरण के अभाव में पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी/एसटीसीजी) की प्रकृति का भी लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार, निर्धारिती अनुपालन नहीं कर रहा था और विदेशी मुद्रा में ₹ 87.23 करोड़ की प्राप्ति और मॉरीशस को किए गए ₹ 412.90 करोड़ के प्रेषण का कोई विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

(v) अगस्त 2022 में धारा 154 के तहत पारित सुधार आदेश की जांच करते समय, लेखापरीक्षा ने बिना किसी कारण का उल्लेख किए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के प्रेषण के रूप में उद्धृत ₹ 412.80 करोड़ के शेष 90 प्रतिशत पर विचार न करने और शेयरों की बिक्री से कथित तौर पर ₹ 87.23 करोड़ की प्राप्ति से संबंधित कुछ मुद्दों को नोटिस किया, जिन्हें विचार करने और राजस्व के हितों की रक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए फरवरी 2023 में आईटीडी को विधिवत सूचित किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एओ द्वारा, कर के लिए ₹ 412.90 करोड़ के असत्यापित/अस्पष्टीकृत बाहरी विदेशी प्रेषण की पूरी राशि के बजाय केवल 10 प्रतिशत पर विचार करना और ₹ 87.23 करोड़ के अस्पष्ट आवक प्रेषण पर विचार न करना, मनमाना और पारदर्शिता का अभाव दर्शाता था, इसलिए विभाग द्वारा पुनः जांच की आवश्यकता थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि संवीक्षा कर निर्धारण में, कर निर्धारण अधिकारी (एओ) से निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही मूल्यांकन करना और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापस की जाने वाली सही राशि का निर्धारण करना अपेक्षित है।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स ए4 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144/147 के तहत पुनर्मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय ₹ 297.92 करोड़ जोड़ने के बाद कर योग्य आय पर पहुंचने के दौरान ₹ 20.43 करोड़ की अतिरिक्त आय पर विचार नहीं किया और ₹ 297.92 करोड़ की आय और ₹ 96.66 करोड़ की कर मांग का निर्धारण किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस के जवाब में निर्धारिती द्वारा आय की अपनी विवरणी दाखिल नहीं करने के लिए अधिनियम की धारा 243ए(3) के तहत ब्याज नहीं लगाया और अधिनियम की धारा 234बी(3) के तहत ब्याज भी कम

लगाया गया था। इन भूलों के परिणामस्वरूप ₹ 70.32 करोड़ का कर कम लगाया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और नवंबर 2022 में अधिनियम की धारा 154/144/147 के तहत सुधार आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि संवीक्षा कर निर्धारण में, कर निर्धारण अधिकारी (एओ) से निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही मूल्यांकन करना और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे वापस की जाने वाली सही राशि का निर्धारण करना अपेक्षित है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 147 में कहा गया है कि यदि कर के लिए प्रभार्य कोई आय, एक निर्धारिती के मामले में, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन से बच गई है, तो निर्धारण अधिकारी धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन, ऐसी आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है या ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए हानि या मूल्यहास रियायत या किसी अन्य रियायत या कटौती की पुनर्गणना कर सकता है।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-2, कोलकाता
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम5 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के तहत ₹ 85 लाख की आय के पुनर्मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए ₹ 17.88 करोड़ की आय का संज्ञान नहीं लिया, जिसका पहले मार्च 2015 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.09 करोड़ के कर प्रभाव से ₹ 17.88 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ। विभाग ने जनवरी 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ की गलत गणना/वर्गीकरण

हमने चार राज्यों में ₹ 11.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूंजीगत अभिलाभों की गलत गणना/वर्गीकरण से संबंधित पांच मामले देखे। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 111ए में यह प्रावधान है कि इक्विटी उन्मुख फंडों के माध्यम से अर्जित 'अल्पकालिक पूंजीगत लाभ' (एसटीसीजी) के मामले में, आयकर की राशि की गणना 15 प्रतिशत की दर से की जाती है। धारा 111ए को छोड़कर शेयरों और अचल संपत्तियों पर एसटीसीजी पर लगने वाले आयकर पर मानक दर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) में यह प्रावधान है कि संवीक्षा कर निर्धारण में, कर निर्धारण अधिकारी (एओ) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करे और ऐसे कर निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा उसे वापस की जाने योग्य सही राशि का निर्धारण करे।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त-6, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एन1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में ₹ 6.42 करोड़ की आय पर धारा 144/147 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती की कर योग्य आय में ₹ 6.42 करोड़ का अल्पावधि पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) जोड़ा। हालांकि, निर्धारिती की अंतिम मांग को उठाते समय, निर्धारण अधिकारी ने एसटीसीजी से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की लागू मानक दर के बजाय 15 प्रतिशत की दर से कर लगाया था। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 234ए के तहत अक्टूबर 2011 से दिसंबर 2018 तक 87 महीने के बजाय 85 महीने का ब्याज लिया क्योंकि करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा था। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 234सी के तहत ₹ 5.01 लाख का ब्याज लिया था, जबकि निर्धारिती ने आय की रिटर्न दाखिल नहीं की थी। नॉन-फाइलर होने के नाते, निर्धारिती धारा 234सी के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 2.96 करोड़ का कर कम लगाया गया था। विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 154/144/147 के तहत आदेश पारित करके त्रुटियों को ठीक किया। हालांकि, धारा 234सी के तहत ₹ 10.76 लाख का ब्याज फिर से सुधार आदेश में गलत तरीके से लगाया गया था, जो निर्धारिती पर लागू करने योग्य नहीं था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार, "पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के तहत प्रभाय आय की गणना पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपार्जित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण की लागत और उसमें किसी भी सुधार की लागत को घटाकर की जाएगी।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, कोझिकोड
निर्धारिती का नाम : मेसर्स वी2 प्राइवेट लेमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 16.62 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत नुकसान पर धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, निर्धारिती को शेयरों के अधिग्रहण की अनुक्रमित लागत की गणना के लिए आधार वर्ष 1993-94 के रूप में लेने की अनुमति दी। तथापि, शेयरों का अधिग्रहण वित्तीय वर्ष 2007-08 में हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 10.45 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि का अधिक निर्धारण हुआ और उसे आगे ले जाया गया जिसमें ₹ 2.15 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और अप्रैल 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4.5 आर्म्स लेंथ कीमत का गलत अनुमान

हमने चार राज्यों में ₹ 31.73 करोड़ के कर प्रभाव वाले आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) के गलत अनुमान से संबंधित 11 मामले देखे। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 92सीए में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति, निर्धारिती होने के नाते, किसी भी पिछले वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में प्रवेश किया है, और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वह प्रधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को धारा 92 सी के तहत उक्त अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत की गणना का उल्लेख कर सकता है। इसके अलावा, धारा 92सी प्रदान करता है कि एक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ कीमत (एएलपी) किसी भी तरीके से निर्धारित की जाएगी, जो सबसे उपयुक्त तरीका है, लेनदेन की प्रकृति या लेनदेन के वर्ग या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों या ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों के संबंध में जो बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त-7, दिल्ली
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जे2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

टीपीओ ने अक्टूबर 2019 में अधिनियम की धारा 92सीए(3) के तहत हस्तांतरण मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए ₹ 39.68 करोड़ के ऊपर समायोजन का प्रस्ताव दिया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि टीपीओ ने विनिमत रासायनिक उत्पादों और कच्चे माल के निर्यात के लिए एएलपी की गणना करते समय प्राप्त परिचालन राजस्व को ₹ 2656.17 करोड़ के स्थान पर ₹ 2717.91 करोड़ के रूप में लिया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 14.68 करोड़ के टीपी समायोजन की गलत गणना हुई, जिसमें ₹ 7.47 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। टीपीओ ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को ठीक किया। टीपीओ द्वारा पारित सुधार आदेश का प्रभाव भी जून 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) बंगलुरु
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एल1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

टीपीओ ने अक्टूबर 2017 में अधिनियम की धारा 92सी के तहत हस्तांतरण मूल्य समायोजन का निर्धारण करते हुए और बाद में फरवरी 2018 में संशोधन आदेश में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में शामिल लागत को ₹ 273.25 करोड़ के बजाय केवल ₹ 137.35 करोड़ माना। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की परिचालन लागत के 29.34 प्रतिशत के बजाय 14.75 प्रतिशत के रूप में लेनदेन के अनुपात की गलत गणना हुई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ₹ 14.02 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य समायोजन की छोटी गणना हुई, जिसमें ₹ 4.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। टीपीओ ने त्रुटि स्वीकार की और नवंबर 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की। हालांकि, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा टीपीओ के सुधार आदेश को प्रभावी करने के आदेश की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4.6 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण

हमने एक राज्य में ₹ 6.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण से संबंधित एक मामले को देखा जो नीचे प्रस्तुत है:

अधिनियम की धारा 68 में यह प्रावधान है कि यदि निर्धारिती, निर्धारिती की बहियों में जमा की गई किसी राशि की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो इस प्रकार जमा की गई राशि को निर्धारिती की आय के रूप में आयकर में प्रभारित किया जा सकता है।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त लुधियाना
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम6 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2011-12 एवं 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत मूल्यांकन के बाद निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय आईटीएनएस में ₹ 2.04 करोड़ की वास्तविक देय मांग के बजाय ₹ 1.31 करोड़ की कर मांग दर्शाई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप कर की गणना ₹ 0.72 करोड़ कम हो गई। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए, निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 0.57 करोड़ के मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 7.12 करोड़ के कुल अस्पष्टीकृत क्रेडिट के आठ प्रतिशत को जोड़ दिया, इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 2.18 करोड़ के सभी अस्पष्टीकृत क्रेडिट को निर्धारण वर्ष 2011-12 के मूल्यांकन के दौरान धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत आय माना गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.26 करोड़ के कर प्रभाव से ₹ 6.55 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ। इस प्रकार, दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कुल कर प्रभाव ₹ 6.98 करोड़ हो गया। विभाग ने जनवरी 2021 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को ठीक किया (जनवरी 2021) और निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए, विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 263 के तहत नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.4.7 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक

हमने तीन राज्यों में ₹ 26.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक से संबंधित चार मामलों को देखा। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 195(1) के अंतर्गत, किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को, उसमें विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई ब्याज या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य कोई अन्य राशि (शीर्ष "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य आय प्रभार्य न होने के कारण) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी आय को आदाता के खाते में जमा करते समय या उसके नकद भुगतान के समय या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके द्वारा, जो भी पहले हो, उस पर लागू दरों पर आयकर की कटौती करें। धारा 40 (ए) (आई) के तहत, यदि किसी अनिवासी को रॉयल्टी के भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाता है, तो उसे धारा 30 से 38 के तहत व्यवसाय व्यय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, चेन्नई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स डी1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 108.98 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए माल दुलाई शुल्क के लिए ₹ 61.49 करोड़ के व्यय की अनुमति दी, हालांकि, निर्धारिती ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी। इसी प्रकार के व्यय को अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती लागू करने वाले निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) के निर्देशों के अनुसार रॉयल्टी के रूप में माना गया था। चूंकि निर्धारिती ने स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी, इसलिए उसे धारा 40(ए)(आई) के तहत अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था जैसा कि निर्धारण वर्ष 2013-14 में किया गया था। इसे अस्वीकार करने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 61.49 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन हुआ जिसमें ₹ 20.90 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत त्रुटि को ठीक किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 40 ए (आईए) में प्रावधान है कि कोई ब्याज, कमीशन या ब्रोकरेज, किराया, रॉयल्टी, व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क या निवासी को देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क या निवासी होने के नाते ठेकेदार या उप-ठेकेदार को देय राशि, किसी भी काम को करने के लिए (किसी भी काम को करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित), जिस पर अध्याय XVII-बी के तहत स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसा कर कटौती नहीं किया गया है या कटौती के बाद, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान नहीं किया गया है, कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-6, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स जे1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 0.47 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, विपणन और बिक्री संवर्धन के लिए ₹ 20.61 करोड़ के व्यय की अनुमति दी, जिसमें ब्रोकरेज/कमीशन के लिए ₹ 19.81 करोड़ का व्यय शामिल था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 19.81 करोड़ के पूर्वोक्त व्यय पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। अतः उपर्युक्त ब्रोकरेज/कमीशन व्यय के 30 प्रतिशत को कर निर्धारण में अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 5.94 करोड़ के बजाय केवल ₹ 1.98 करोड़ की अनुमति नहीं दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 3.96 करोड़ की आय का कम मूल्यांकन किया गया जिसमें ₹ 1.31 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन (मार्च 2022) को स्वीकार किया और जनवरी 2022 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

3.5 कर/ब्याज का अधिभार

3.5.1 आय का अधिक मूल्यांकन, कर/ब्याज का अधिक प्रभार न केवल आकलन करते समय निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित परिश्रम की कमी/देय कर की गणना करते समय आईटीडी प्रणालियों की कमजोरियों को इंगित करता है, बल्कि संभावित रूप से वास्तविक करदाता के लिए परिहार्य कठिनाई का कारण बन सकता है। हमने देखा कि एओ ने असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक,

महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में ₹ 862.09 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार से जुड़े 37 मामलों में आय का अधिक मूल्यांकन किया। ऐसे आठ मामले नीचे दिए गए हैं। ऐसे आठ मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करें और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करें।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-1, कोलकाता

निर्धारिती का नाम : मेसर्स पी1 लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 344.27 करोड़ के मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 181.80 करोड़ (बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित समापन स्टॉक मूल्य की अंतर राशि) की राशि को अस्वीकार कर दिया और अस्पष्टीकृत इन्वेंट्री के कारण धारा 69 सी के तहत निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतिम स्टॉक मूल्य की राशि में अंतर केवल ₹ 27.75 करोड़ था। इस त्रुटि के कारण आय का निर्धारण बढ़कर ₹ 154.06 करोड़ हो गया, जिस पर ₹ 158.28 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा। विभाग ने अगस्त 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपरोक्त त्रुटि को सुधारते हुए देखा कि ₹ 154.06 करोड़ के बजाय, ₹ 181.80 करोड़ की पूरी अंतर राशि का मूल्यांकन के दौरान गलत तरीके से अधिक मूल्यांकन किया गया था क्योंकि बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते में दिखाए गए समापन स्टॉक में ऐसा कोई अंतर नहीं था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, कोलकाता

निर्धारिती का नाम : मेसर्स बी1 प्राइवेट लिमिटेड

निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 40.08 करोड़ की आय पर निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए गणना पत्र में गलत तरीके से आय को ₹ 160.31 करोड़ के

रूप में दर्शाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय का ₹ 120.24 करोड़ का अधिक मूल्यांकन किया गया, जिसका कर प्रभाव ₹ 123.53 करोड़ था। *विभाग ने सितंबर 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश जारी करके त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-6, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स सी3 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने मई 2021 में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1,399.55 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए, आयकर गणना शीट (आईटीएनएस) में गलत तरीके से आय को ₹ 459.20 करोड़ के रूप में दर्शाया। इसके अलावा, चालू वर्ष की ₹ 943.85 करोड़ की हानि को ₹ 1,399.55 करोड़ की आकलित आय में समायोजित करने के बाद, आईटीएनएस में अपनाई गई ₹ 459.20 करोड़ की तुलना में कर योग्य आय ₹ 455.70 करोड़ आंकी गई। यह भी देखा गया कि एमएटी के अंतर्गत घोषित की गई ₹ 334.03 करोड़ की बही हानि को आईटीएनएस में ₹ 1,060.25 करोड़ के बही लाभ के रूप में गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था और ₹ 455.70 करोड़ की आय पर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत उद्ग्रहणीय के स्थान पर ₹ 1,060.25 करोड़ के बही लाभ पर कर लगाया गया था। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 96.86 करोड़ का कर और ब्याज अधिक लगाया गया। *विभाग ने कहा (अप्रैल 2024) कि अक्टूबर 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।*

मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-5, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एम1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 148.82 करोड़ के नुकसान के समायोजन की अनुमति के बाद ₹ 'शून्य' पर आय का निर्धारण करके जांच

मूल्यांकन समाप्त किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने आईटीबीए के माध्यम से सृजित गणना पत्र से लेकर कर निर्धारण आदेश तक यह पाया कि देय कर की गणना करते समय आकलित आय को शून्य के स्थान पर ₹ 149.59 करोड़ दर्शाया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 64.46 करोड़ की गलत मांग और ₹ 3.29 करोड़ के प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी गई। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और मई 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

धारा 234ए में विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के कारण ब्याज लगाने का प्रावधान है।

मामला V आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-2, हैदराबाद
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एच1 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2016-2017

निर्धारण अधिकारी ने जून 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 910.53 करोड़ की आय पर निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए आयकर विवरणी दाखिल न करने पर धारा 234ए के तहत ₹ 64.29 करोड़ का ब्याज लगाया। हालांकि, करदाता ने नियत तारीख के भीतर आय का रिटर्न दाखिल किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के अंतर्गत ₹ 64.29 करोड़ का अधिक ब्याज लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि को ठीक किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करें और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि का निर्धारण करें।

मामला VI आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-6, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स आइ3 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने जून 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 0.72 करोड़ की आय और अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 69.66 करोड़ के बुक प्रॉफिट पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, बुक प्रॉफिट पर कर की गणना ₹ 14.86 करोड़ के बजाय ₹ 72.70 करोड़ के रूप में गलत तरीके से की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 57.84 करोड़ का कर अधिक उद्ग्रहण करना पड़ा। *विभाग ने अप्रैल 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया, उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VII आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-4, मुंबई
निर्धारिती का नाम : मेसर्स एस2 लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत मूल्यांकन के बाद निर्धारिती की कर देयता की गणना करते हुए गलत तरीके से आय को ₹ 126.78 करोड़ के बजाय ₹ 226.18 करोड़ के रूप में दर्शाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय का ₹ 99.40 करोड़ अधिक मूल्यांकन किया गया और ब्याज सहित ₹ 51.69 करोड़ कर लगाया गया। *विभाग ने जनवरी 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VIII आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, वलसाड
निर्धारिती का नाम : मेसर्स ई1 प्राइवेट लिमिटेड
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण के बाद निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते हुए ₹ 34.07 करोड़ की आय पर आयकर लागू किया और 30 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 50 प्रतिशत की दर से आयकर लागू किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 6.18 करोड़ का अधिक कर लगाया गया। *विभाग*

ने जुलाई 2022 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

सिफारिशें

- (i) कर और अधिभार की गलत दरों, ब्याज लगाने में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आईटीडी में आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों को इंगित करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- (ii) जब विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार शुरू करने के लिए कार्रवाई करता है, तब यह उल्लेख किया जा सकता है कि ये केवल कुछ निदर्शी मामले हैं जिनकी जांच की गई है। गैर-संवीक्षा कर निर्धारण सहित सभी मूल्यांकनों के सभी मामलों में, चूक या कमीशन की ऐसी त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल वर्ष के दौरान पूरे किए गए अपने निर्धारण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक फुलप्रूफ आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।
- (iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या 'त्रुटियों' के मामले चूक या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्टतया इंगित गलतियों की जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय IV: आयकर

4.1 परिचय

4.1.1 इस अध्याय में 172 उच्च मूल्य वाले गैर-कॉर्पोरेट मामलों (इस रिपोर्ट का पैरा 2.3 देखें) पर चर्चा की गई है, जिसमें 188 निर्धारण और ₹ 601.67 करोड़⁷⁴ का कुल कर प्रभाव शामिल है, जिन्हें मार्च 2023 से जनवरी 2024 के दौरान 10 बैचों और 1 अप्रैल 2024 को आठ ड्राफ्ट पैरा वाले एक अतिरिक्त बैच के माध्यम से मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। इन 172 मामलों में से मंत्रालय ने अप्रैल 2024 तक छह मामलों का जवाब दिया है। मंत्रालय ने ₹ 7.09 करोड़ के कर प्रभाव वाले छह मामलों को स्वीकार किया और आयकर विभाग ने ₹ 445.36 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले 60 मामलों को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, 172 मामलों में से आईटीडी ने ₹ 426.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 151 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है, ₹ 22.70 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की है और आईटीडी ने ₹ 3.49 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है। ₹ 149.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले शेष 8 मामलों में, आईटीडी ने अप्रैल 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की है/शुरू नहीं की है।

4.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था
- चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज आदि का अधिभार।

बाद के पैराग्राफ उपर्युक्त त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण के मामलों की पहचान मुद्दों के महत्व और शामिल कर प्रभाव के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों की

⁷⁴ ₹ 73.51 करोड़ का अधिभार शामिल है

व्यापक कवरेज के लिए, पूरे आईटीडी क्षेत्रिय कार्यालय के मामलों पर विचार किया गया है।

4.2 निर्धारण की गुणवत्ता

4.2.1 कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मूल्यांकन में त्रुटियां कीं। गलत मूल्यांकन के ये मामले आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में निरंतर कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई तालिका 4.1 त्रुटियों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जो मूल्यांकन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।

तालिका 4.1: मूल्यांकन की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			
उप-श्रेणियाँ	मामलें	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	14	102.66	दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग।	9	5.92	दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
ग. ब्याज लगाने में त्रुटियां	78	157.70	असम, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	1	0.29	पश्चिम बंगाल
ड. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय मूल्यांकन में त्रुटियां	1	2.07	दिल्ली
कुल	103	268.64	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमने छह राज्यों में ₹ 102.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां देखीं। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, संवीक्षा कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करे और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय अथवा निर्धारिती को प्रतिदेय सही राशि का निर्धारण करे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं कि कराधेय आय और कर की गणना में गलतियां नहीं होनी चाहिए।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-4, मुंबई
निर्धारिती का नाम : वीवीबी
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने अगस्त 2018 में अधिनियम की धारा 144 के तहत ₹ 367.21 करोड़ की आय पर कर देयता की गणना करते हुए ₹ 367.21 करोड़ की आकलित आय के बजाय ₹ 247.22 करोड़ की कर देनदारी की गलती से गणना कर दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 76.98 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 (दिसंबर 2021) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), भोपाल
निर्धारिती : ओयू
स्थिति : व्यक्तियों का संघ (एओपी)
निर्धारण वर्ष : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153 ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत ₹ 22.44 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, जिसे फरवरी 2020 में धारा 154 के तहत संशोधित किया गया था, मूल्यांकन आय में जोड़ने के बजाय, व्यय से अधिक आय के कारण मूल्यांकन आय से ₹ 4.58 करोड़ की राशि कम कर दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.21 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग*

ने नवंबर 2023 में धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.2.3 कर और अधिभार आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के अंतर्गत किए गए परिवर्धन से संबंधित अनेक मामलों पर ध्यान दिया, जिन पर अधिनियम की धारा 115बीबीई के उपबंध लागू होते हैं। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की कर देनदारी की गणना करते समय विभिन्न शुल्कों में इन अतिरिक्त दरों पर कर और अधिभार की गलत दर लागू की। हमने पांच राज्यों में ₹ 5.92 करोड़ के कर प्रभाव वाले 9 मामलों को देखा। ऐसे तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी और 69डी के प्रावधानों के अनुसार, बहियों में जमा कोई भी नकद, अस्पष्टीकृत निवेश जो खाते की बहियों में दर्ज नहीं है, धन, बुलियन, आभूषण, जो खाते की बहियों में दर्ज नहीं है, निवेश की राशि आदि जो खाता बहियों में पूरी तरह से प्रकट नहीं की गई है, अस्पष्टीकृत व्यय और हुंडी पर उधार ली गई या चुकाई गई राशि के बजाय बैंक पर आहरित खाता आदाता चेक के माध्यम से कौन सा निर्धारिती प्रकृति और उसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, उसे निर्धारिती की आय के लिए समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, (1961) की धारा 115बीबीई के उपबंध यह निर्धारित करते हैं कि जहां निर्धारिती की कुल आय में धारा 68, 69, 69ए, 69बी, 69सी अथवा धारा 69डी में निर्दिष्ट कोई आय शामिल है, वहां देय आयकर की राशि की गणना ऐसी आय पर साठ प्रतिशत की दर से की जाएगी। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2016, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू है, ऐसे आयकर पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने के लिए निर्धारित करता है।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद
निर्धारिती : टीकेसी
स्थिति : एओपी
निर्धारण वर्ष : 2018-19

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 169.33 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए निर्धारिती के लिए लागू 15 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.53 करोड़ का कर कम लगाया गया।

विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (मार्च 2022) के तहत गलती को सुधार दिया। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त-12, कोलकाता
	निर्धारिती	:	बीएस
	स्थिति	:	व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	:	2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 1.01 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, धारा 68 और 69सी के तहत ₹ 80.58 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया। हालांकि, कर की गणना 60 प्रतिशत के बजाय व्यक्तियों के लिए लागू स्लैब दरों पर की गई थी, और 25 प्रतिशत की दर से लगाए जाने वाले अधिभार को बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 61.72 लाख का कर कम लगाया गया। विभाग ने मई 2023 में धारा 154 के तहत गलती को सुधार दिया। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त-2, जयपुर
	निर्धारिती	:	एवाई1
	स्थिति	:	व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	:	2011-12

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2018 में ₹ 90.30 लाख की आय पर अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, व्यक्तियों के लिए सामान्य स्लैब दरों को लागू करने के बजाय धारा 111 ए के तहत 15 प्रतिशत की दर से ₹ 75.68 लाख की भूमि की बिक्री से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर कर लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 33.12 लाख का कर कम लगाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को ठीक किया

(जनवरी 2022)/ इसके अलावा, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.2.4 ब्याज लगाने में त्रुटियां

हमने 12 राज्यों में ₹ 157.70 करोड़ के कर प्रभाव वाले 78 मामलों में ब्याज लगाने में त्रुटियां देखीं। हम अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में ऐसी त्रुटियों को लगातार उजागर करते रहे हैं। इसप्रकार, यह एक आवर्तक और लगातार होने वाली त्रुटि है। ऐसे छह मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूकों के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण, धारा 234बी में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण और धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अलावा, धारा 234ए और 234बी के नीचे स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं कि जहां, एक निर्धारण वर्ष के संबंध में, धारा 147 के तहत पहली बार एक मूल्यांकन किया जाता है, तो किए गए मूल्यांकन को इन वर्गों के प्रयोजनों के लिए एक नियमित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, इंदौर
निर्धारिती : मेसर्स जीएसएस
स्थिति : व्यक्तियों का संघ (एओपी)
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 93.18 करोड़ की आय पर धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय धारा 148 के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए जारी नोटिस का अनुपालन न करने के लिए धारा 234ए(3) के तहत ₹ 4.31 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इसके अलावा, धारा 234बी के तहत ब्याज ₹ 26.75 करोड़ के बजाय ₹ 20.44 करोड़ लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 10.62 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत फरवरी 2022 में सुधार आदेश पारित किया, लेकिन धारा 234ए(3) के तहत

₹ 4.31 करोड़ का ब्याज न लगाने का मुद्दा शामिल नहीं था। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-20, दिल्ली
निर्धारिती : एजी
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹63.46 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते समय, ₹ 1.80 लाख आयकर विवरणी में घोषित आय पर विचार नहीं किया और धारा 234ए और 234बी के तहत ब्याज क्रमशः ₹ 1.76 करोड़ और ₹ 4.71 करोड़ कम लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.48 करोड़ का कर कम लगाया गया। *विभाग ने इन सभी मुद्दों को कवर करने के लिए अप्रैल 2022 में एक सुधार आदेश पारित किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, हैदराबाद
निर्धारिती : एवाई2
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 25.31 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, व्यक्तियों के लिए लागू स्लैब दरों का उपयोग करने के बजाय 30 प्रतिशत की दर से कर की गणना की, और धारा 234ए के तहत 88 महीनों के लिए ₹ 6.87 करोड़ के बजाय 8 महीने के लिए ₹ 62.57 लाख पर ब्याज लगाया। इसके अलावा, धारा 234बी के तहत ब्याज ₹ 6.40 लाख कम लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ का शुद्ध कम कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (मार्च 2021)। हालांकि, सुधार आदेश में*

धारा 234बी के तहत कर की दर और ब्याज की राशि को संशोधित नहीं किया गया था। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।
मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

**मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय-2),
चेन्नई**
निर्धारिती : एसएसएस
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में ₹ 31.39 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 153सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए धारा 234बी के तहत 57 महीने की अवधि के लिए ₹ 6.07 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.07 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को ठीक किया (अक्टूबर 2020)।* इसके अलावा, मांग के संग्रहण की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला V आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, कानपुर (केंद्रीय)
निर्धारिती : एमकेजी
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय क्रमशः निर्धारण वर्ष 2012-13, 2014-15 और 2015-16 के लिए ₹ 3.57 करोड़, ₹ 10.32 करोड़, और ₹ 10.56 करोड़ की आय पर धारा 234ए के तहत कुल ₹ 71.94 लाख के उद्ग्रहणीय के बजाय ₹ 8.16 लाख तक का ब्याज लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.78 लाख का कम ब्याज लगाया गया। इसके अतिरिक्त, 234बी के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1.02 करोड़ की राशि का ब्याज नहीं लगाया गया था और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 1.99 करोड़ कम लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप

₹ 3.65 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलतियों को ठीक किया (नवंबर, 2021)। इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VI आयकर आयुक्त प्रभार	: प्र. आयकर आयुक्त-1, गुवाहाटी
निर्धारिती	: एमएस
स्थिति	: व्यक्ति
निर्धारण वर्ष	: 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत ₹ 5.05 करोड़ की आय पर मूल्यांकन को अंतिम रूप देते हुए, ₹ 1.55 करोड़ के बजाय ₹ 1.67 करोड़ कर लगाया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने नौ महीने के लिए धारा 234ए के तहत ₹ 13.92 लाख का ब्याज नहीं लगाया, यानी धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से मूल्यांकन पूरा होने की तारीख तक, और धारा 234बी के तहत 93 महीने के लिए ₹ 1.32 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ का कर अल्प उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और धारा 154 के तहत त्रुटि को सुधारा (मार्च 2021)। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

4.2.5 अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हमने एक राज्य में ₹ 28.50 लाख के कर प्रभाव वाले प्रतिदाय पर अतिरिक्त प्रतिदाय/ब्याज से संबंधित एक मामले को देखा। मामला नीचे दर्शाया गया है:

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, निर्धारण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही मूल्यांकन करें और देय कर या प्रतिदाय की सही राशि, जैसा भी मामला हो, का निर्धारण करें।

मामला ।	आयकर आयुक्त प्रभार	:	आयकर आयुक्त (छूट), कोलकाता
	निर्धारिती	:	मैसर्स एएमएम
	स्थिति	:	ट्रस्ट
	निर्धारण वर्ष	:	2017-18

निर्धारण अधिकारी ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 'शून्य' आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 25.85 लाख की प्रतिदाय पर निर्धारिती की कर देयता की गणना की, हालांकि निर्धारण आदेश में निर्धारिती को ₹ 25.85 लाख के कर ऋण की अनुमति नहीं थी। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत ब्याज सहित ₹ 28.50 लाख का अधिक प्रतिदाय हुआ। *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती को सुधारा (फरवरी 2022)। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.2.6 अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय मूल्यांकन में त्रुटियां

हमने एक राज्य में ₹ 2.07 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय मूल्यांकन में त्रुटि देखी। मामला नीचे दर्शाया गया है:

धारा 153 की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि जहां धारा 250 के अधीन किसी आदेश का प्रभावी निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण या अंशतः किया जाना है, अन्यथा नए सिरे से कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा दिया जाना है, ऐसा प्रभाव उस महीने की समाप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर दिया जाएगा जिसमें धारा 250 के अधीन आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसा भी मामला हो। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से भूल-चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है। धारा 234ए में आय विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण, धारा 234बी में अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण और धारा 234सी में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान है।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त (सेंट्रल)-3, दिल्ली
निर्धारिती	:	जीकेजी
स्थिति	:	व्यक्ति
निर्धारण वर्ष	:	2008-09

निर्धारण अधिकारी ने फरवरी 2018 में अधिनियम की धारा 250 के तहत अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए धारा 234ए और 234सी के तहत ब्याज नहीं लगाया। इस चूक के परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.07 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने अगस्त 2021 में धारा 154 के तहत गलती को सुधार लिया।* हालाँकि, सुधार आदेश में, कुछ विसंगतियाँ देखी गईं जैसे ₹ 15.64 करोड़ के स्व-मूल्यांकन कर की अधिक अनुमति और इसके परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ₹ 1.16 करोड़ के ब्याज की कम उगाही, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था

4.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की गणना करने और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतों/छूट/कटौती की अनुमति देता है। हमने पाया कि कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारियों ने अपात्र लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के अनियमित रूप से लाभ दिए थे।

नीचे दी गई **तालिका 4.2** उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: प्रबंधन के अंतर्गत कर रियायतों/छूट/कटौती की त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ			
उप-श्रेणियाँ	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	2	0.91	गुजरात, तमिलनाडु
ख. एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	10	11.48	दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
ग. व्यावसायिक व्यय के गलत अनुमति	8	13.40	बिहार, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु
घ. मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	4	38.93	असम, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना
कुल	24	64.72	

4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

यह पाया गया कि दो राज्यों में ₹ 91.02 लाख के कर से प्रभावित दो मामलों में व्यक्तियों को अनियमित कटौती की अनुमति दी गई है। दोनों मामलों का नीचे वर्णन किया गया है:

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, संवीक्षा कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करे और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय अथवा निर्धारिती को प्रतिदेय सही राशि का निर्धारण करे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 57 के अनुसार, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत देय आय की गणना ऐसी आय बनाने या अर्जित करने के उद्देश्य से पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए किसी भी अन्य व्यय (पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति के न होने के कारण) की कटौती के बाद की जाएगी।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), अहमदाबाद
निर्धारिती : एनएमटी
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने, ₹ 1.48 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 57 के तहत दावा किए गए ₹ 87.68 लाख (ब्याज धारक निधि पर ₹ 1.75 करोड़ के कुल ब्याज व्यय का 50 प्रतिशत) के ब्याज व्यय को अस्वीकार कर दिया। लेखापरीक्षा में

पाया गया कि चूंकि निर्धारिती ब्याज धारक निधि और ब्याज आय के बीच संबंध साबित करने में विफल रहा, इसलिए इसके 50 प्रतिशत के बजाय ₹ 1.75 करोड़ के पूरे ब्याज व्यय को अस्वीकार करना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप आय का ₹ 87.68 लाख कम निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 43.93 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने फरवरी 2022 में अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II	आयकर आयुक्त प्रभार	: प्र. आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कर), चेन्नई
	निर्धारिती	: जीएस
	स्थिति	: व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	: 2016-17

एओ ने, ₹ 1.65 करोड़ की आय पर दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 90/91 के तहत दावा की गई ₹ 47.09 लाख की राहत को अस्वीकार कर दिया। हालांकि, गणना शीट में देय कर की गणना करते समय, उपरोक्त राहत को गलती से निर्धारिती की कर योग्य आय से कम कर दिया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 47.09 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने जुलाई 2022 में धारा 154 के तहत चूक में सुधार किया।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.3.3 एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

यहां पाया गया कि चार राज्यों में ₹ 11.48 करोड़ के कर प्रभावित वाले 10 मामलों में एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को अनियमित छूट/कटौती/राहत दी गई। ऐसे तीन मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 2(15) में यह प्रावधान है कि "धर्मार्थ उद्देश्य" में सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की उन्नति शामिल नहीं होगी यदि ऐसी उन्नति में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रवृत्ति में कोई गतिविधि शामिल है, या किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की कोई गतिविधि शामिल है, उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई भी सेवा प्रदान करने की कोई भी गतिविधि, ऐसी गतिविधि से आय के उपयोग या अनुप्रयोग, या प्रतिधारण की प्रवृत्ति के बावजूद, जब तक कि (i) ऐसी गतिविधि सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु की ऐसी उन्नति के वास्तविक संचालन के दौरान नहीं की जाती है; और (ii) पिछले वर्ष के दौरान ऐसी गतिविधि या गतिविधियों से कुल प्राप्तियां, उस पिछले वर्ष की ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करने वाले ट्रस्ट या संस्था की कुल प्राप्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 11(4ए) में यह प्रावधान है कि छूट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि व्यवसाय ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक न हो या, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यवसाय के संबंध में ऐसे ट्रस्ट या संस्था द्वारा संस्था और खाते की अलग बहियां रखी जाती हैं।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-छूट, कोलकाता
निर्धारिती : मेसर्स एसएचएस ट्रस्ट
स्थिति : ट्रस्ट
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने, सितंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत 'शून्य' आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 4.15 करोड़ के पूरे शुद्ध पूंजीगत लाभ की छूट की अनुमति दी, जो कि निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान ₹ 20.11 करोड़ के प्रतिफल के लिए संपत्तियों की बिक्री से थी। अभिलेखों से पता चलता है कि प्राप्त शुद्ध प्रतिफल में से, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 14.18 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2018-19 में ₹ 5.53 करोड़ की पूंजीगत संपत्ति खरीदी थी। इस प्रकार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान एक नई पूंजीगत संपत्ति प्राप्त करने में ₹ 14.18 करोड़ का उपयोग किया और निर्धारण वर्ष 2018-19 में उपयोग की गई राशि के संबंध में, ट्रस्ट ने न तो धारा 11(1) (फॉर्म 9ए दाखिल करके) के स्पष्टीकरण के खंड 2 के तहत विकल्प का उपयोग किया और न ही धारा 11(2) के तहत राशि (फॉर्म 10 दाखिल करके) जमा या अलग रखी थी। इस चूक के कारण

आय का निर्धारण ₹ 5.93 करोड़ कम हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने मई 2022 में अधिनियम की धारा 263 के तहत पुनरीक्षण आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-छूट, कोलकाता
निर्धारिती : मेसर्स आईआईबी
स्थिति : ट्रस्ट
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने, नवंबर 2019 में शून्य आय पर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि ट्रस्ट के पास कुल ₹ 6.02 करोड़ की प्राप्ति थी जिसमें व्यवसाय/पेशे से ₹ 2.48 करोड़ की आय शामिल थी और व्यवसाय/पेशे से यह आय ट्रस्ट की कुल प्राप्ति का 20 प्रतिशत से अधिक थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने धारा 11(4ए) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी आय के लिए खातों की अलग बहियां नहीं रखी थीं, इसलिए व्यवसाय/पेशे से प्राप्त आय पर कर लगाया जाना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ की आय का कम कर निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.15 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया और अगस्त 2023 में अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की। आगे उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा सहकारी बैंक द्वारा दिए गए गलत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में, जो राशि कुल आय के साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक न हो और निर्धारित तरीके से गणना की गई ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के दस प्रतिशत से अधिक ना हो, कटौती की अनुमति दी जाएगी।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, उदयपुर
निर्धारिती : टीयूसी1 लिमिटेड
स्थिति : सहकारी समिति
निर्धारण वर्ष : 2018-19

एओ ने, ₹ 83.04 लाख की आय पर फरवरी 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण करते समय ₹ 1.93 करोड़ (₹ 1.82 करोड़ के गलत एवं संदिग्ध ऋण तथा ₹ 10.86 लाख की मानक संपत्ति) के प्रावधानों की अनुमति दी, जबकि पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार ₹ 23.45 लाख स्वीकार्य थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 83.31 लाख के कर की कम वसूली वाले ₹ 1.69 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों का अतिरिक्त अनुमति दिया गया। *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (अप्रैल 2022) के तहत चूक का सुधार किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.3.4 व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति

छः राज्यों में ₹ 13.40 करोड़ के कर प्रभावित वाले आठ मामलों में व्यावसायिक व्यय का गलत छूट पाया गया। ऐसे छः मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रवृत्ति का व्यय न होना और निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रवृत्ति का न होना), व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी

मामला I आयकर आयुक्त : प्र. आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ
प्रभार
निर्धारिती : मेसर्स केडीए
स्थिति : स्थानीय प्राधिकरण
निर्धारण वर्ष : 2015-16

एओ ने, ₹ 82 करोड़ की आय पर दिसंबर 2017 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 2(15) के साथ पठित धारा 13(8) के प्रावधानों को लागू करते समय ₹ 4.31 करोड़ पुनः जोड़ दिए तथा धारा 11 के तहत छूट के दावे से इनकार कर दिया

क्योंकि निर्धारिती भूमि और संपत्तियों में व्यापार की वाणिज्यिक गतिविधियों में लगा हुआ था। एओ ने, ₹ 57.80 करोड़ के व्यय की अनुमति देने के बाद 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित अवसंरचना निधि और एफएआर निधि में ₹ 62.11 करोड़ की कुल प्राप्तियों के मुकाबले निर्धारण आदेश में ₹ 4.31 करोड़ पुनः जोड़ दिए। चूंकि ये प्राप्तियां किसी पृथक परियोजना से संबंधित नहीं थीं एवं अवसंरचना संबंधी व्यय सहित सभी राजस्व व्ययों का आय और व्यय खाते में पहले ही दावा किया जा चुका है, अतः ₹ 57.80 करोड़ के तथा व्यय की अनुमति देकर कर योग्य आय को कम करना उचित नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 26.13 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार कर लिया एवं नवंबर 2021 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार :	प्र. आयकर आयुक्त, मदुरै
निर्धारिती :	टीटीडी लिमिटेड
स्थिति :	ट्रस्ट
निर्धारण वर्ष :	2017-18

एओ ने, ₹ 1.03 करोड़ के नुकसान पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के तहत ₹ 9.50 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, हालांकि निर्धारिती ने खातों की बही में गलत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.50 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 3.24 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया एवं अधिनियम की धारा 263 (मार्च 2023) के तहत पुनरीक्षण आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती : सीईयू
स्थिति : एजेपी
निर्धारण वर्ष : 2018-19

एओ ने, ₹ 563.44 करोड़ के नुकसान पर जून 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, पूर्व अवधि के व्यय के लिए ₹ 8.83 करोड़ के खर्च की अनुमति दी, जिसे अस्वीकार करने एवं कुल आय में पुनः जोड़ने की आवश्यकता थी क्योंकि निर्धारिती ने लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली को नियोजित किया था, जिसमें पिछले वर्ष से संबंधित व्यय कटौती योग्य नहीं था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 8.83 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 3.06 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 263 (मार्च 2024) के तहत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा सहकारी बैंक द्वारा दिए गए खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में कटौती की अनुमति दी जाएगी, ऐसी राशि जो कुल आय के साढ़े आठ प्रतिशत से अधिक न हो तथा ऐसी राशि जो विहित तरीके से परिकलित की गई कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत से अधिक न हो। इसके अलावा, ग्रामीण शाखा का अर्थ है एक ऐसी शाखा जो ऐसे स्थान पर स्थित है जिसकी आबादी पिछली पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार 10 हजार से अधिक नहीं है।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, कोच्चि
निर्धारिती : मेसर्स टीयूसी2 लिमिटेड
स्थिति : एओपी
निर्धारण वर्ष : 2018-19

एओ ने, ₹ 3.96 करोड़ की आयकर विवरणी में घोषित हानि को स्वीकार करते हुए जनवरी 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम

रूप देते समय, धारा 36(1)(viiए) के तहत सात शाखाओं के संबंध में कुल औसत ग्राम्य अग्रिमों पर 10 प्रतिशत के रूप में ₹ 8.73 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। चूंकि, सात शाखाओं के संबंधित राजस्व गांवों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक थी, इसलिए धारा 36(1)(viiए) के प्रावधान लागू नहीं थे तथा कुल आय में ₹ 8.73 करोड़ की राशि को पुनः जोड़ना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ का संभावित कर के अलावा ₹ 1.90 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 263 (मार्च 2023) के तहत पुनरीक्षण आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

अधिनियम की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रवृत्ति का व्यय न होना एवं निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रवृत्ति का न होना), व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय, "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी

मामला V आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-17, मुंबई
निर्धारिती : टीएमएस लिमिटेड
स्थिति : एओपी
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने ₹ 4.14 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 4 करोड़ के निर्माण निधि के प्रावधान की अनुमति दी। चूंकि, यह केवल एक प्रावधान था न कि वास्तविक व्यय, इसलिए इसे आय में पुनः जोड़ा जाना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप आय का मूल्यांकन ₹ 4 करोड़ कम हुआ, जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.84 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने मई 2023 में धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VI	आयकर आयुक्त प्रभार	: प्र. आयकर आयुक्त-1, पटना
	निर्धारिती	: मैसर्स एडीसी
	स्थिति	: एओपी
	निर्धारण वर्ष	: 2017-18

एओ ने ₹ 6.31 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ग्रेच्युटी, आयकर एवं आरबीआई जुर्माना प्रावधान के लिए क्रमशः ₹ 8.59 लाख, ₹ 0.51 लाख और ₹ 14.01 लाख के व्यय की अनुमति दी, जो स्वीकार्य व्यय की प्रवृत्ति के नहीं थे तथा उन्हें कुल आय में वापस जोड़ा जाना आवश्यक था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.11 लाख की आय का कम कर निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 10.92 लाख के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (मार्च 2022) के तहत गलती पर सुधार किया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.3.5 मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं

चार राज्यों में ₹ 38.93 करोड़ के कर प्रभावित वाले चार मामलों में मूल्यहास/व्यावसायिक हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं पाई गईं। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम की धारा 72 व्यावसायिक हानियों को आगे बढ़ाने और क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है। इसके अलावा, धारा 143(3) में कर निर्धारण अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह दावों को आयकर विवरणी के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ संवीक्षा कर निर्धारण में विस्तार से सत्यापित करे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 43(1) के अनुसार, निर्धारिती को संपत्ति की लागत, के अनुपात से कम किया जाना अपेक्षित है, यदि कोई हो, जैसा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सब्सिडी, अनुदान अथवा प्रतिपूत के रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूरा किया गया है।

मामला I आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1,
विशाखापत्तनम
निर्धारिती : मेसर्स वीपी ट्रस्ट
स्थिति : स्थानीय प्राधिकरण
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने, ₹ 169.83 करोड़ की आय पर जून 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित ₹ 48.57 करोड़ के आगे लाई गई हानि की अनुमति दी, इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारण वर्ष 2016-17 में ₹ 237.78 करोड़ की आय पर पूरा निर्धारण किया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 48.57 करोड़ की हानि का अधिक समायोजन हो गया जिसमें ब्याज सहित ₹ 22.34 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया एवं अधिनियम की धारा 154 (सितंबर 2021) के तहत गलती में सुधार किया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, भुवनेश्वर
निर्धारिती : सीईयू
स्थिति : एजेपी
निर्धारण वर्ष : 2018-19

एओ ने ₹ 563.44 करोड़ की हानि पर जून 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, वर्ष के दौरान प्राप्त उपभोक्ता योगदान से निर्मित ₹ 254.25 करोड़ की संपत्ति पर ₹ 38.14 करोड़ के मूल्यहास के गलत दावे की अनुमति दी। मूल्यहास के गलत दावे को अस्वीकार करने की चूक के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में हानि का ₹ 38.14 करोड़ से अधिक का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 13.20 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और धारा 263 (मार्च 2024) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की।* आगे के उत्तर की प्रतीक्षा है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.4 चूक के कारण निर्धारण से बची आय

4.4.1 अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या अर्जित या प्राप्त या अर्जित समझी जाने वाली सभी आय शामिल होगी। पाया गया कि एओ ने, कुल आय का निर्धारण नहीं किया या उसे कम करके आंका, जिसे कर के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। नीचे दी गई तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से बच गई है।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से बची आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियाँ	संख्या	प्रभावित कर (₹ करोड़ में)	राज्य
क. एएमटी सहित विशेष प्रावधानों के तहत	2	2.96	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, असम
ख. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	10	7.91	दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ग. आय की गलत गणना	10	175.22	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	1	8.71	ओडिशा
कुल	23	194.80	

4.4.2 एएमटी सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत

दो राज्यों में ₹ 2.96 करोड़ के कर प्रभावित वाले दो मामलों में एएमटी प्रावधान में अनियमितताएं पाई गईं। ऐसा ही एक मामला नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेडी सभी निर्धारितियों द्वारा बही लाभ के 18.5 प्रतिशत पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का भुगतान करने का प्रावधान करती है, भले ही सामान्य प्रावधान के तहत उनकी कर देयता अधिनियम के अनुसार विभिन्न कटौतियों का लाभ उठाने के कारण निर्धारित सीमा से कम हो। अधिनियम की धारा 115जेडी(5) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 115जेडी के तहत किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए कर क्रेडिट उसे किसी भी निर्धारण वर्ष में दिया जाएगा जिसमें नियमित आयकर एएमटी से अधिक है, कर क्रेडिट को एएमटी पर नियमित आयकर की अधिकता की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी और कर के लिए ऋण के शेष को, यदि कोई हो, आगे बढ़ा दिया जाएगा।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त-1, गुवाहाटी
निर्धारिती	:	मेसर्स केसी
स्थिति	:	फ़र्म
निर्धारण वर्ष	:	2015-16

एओ ने, ₹ 2.08 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 153डी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, क्षतिपूर्ति के लिए उपलब्ध ₹ 27.14 लाख के बजाय ₹ 48.35 लाख के एएमटी क्रेडिट की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 21.21 लाख के एएमटी क्रेडिट की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति हुई, जिसमें उसी राशि के कम कर का उद्ग्रहण शामिल था। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं अधिनियम की धारा 154 (नवंबर 2021) के तहत गलती में सुधार किया। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.4.3 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण एवं गणना

पांच राज्यों में ₹ 7.91 करोड़ के कर प्रभावित वाले दस मामलों में पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना पाई गई। ऐसे दो मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के प्रावधान के अनुसार, कर निर्धारण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करे और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा उसे वापस की जाने वाली राशि का निरूपण करे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50सी के अनुसार, यदि हस्तांतरण के दस्तावेज में उल्लिखित मूल्य, स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्यांकन से कम है, तो स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकारियों के ऐसे मूल्यांकन को भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजीगत लाभ की गणना के प्रयोजनार्थ विक्रय प्रतिफल माना जाएगा।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त 1, भोपाल
निर्धारिती	:	एआरके
स्थिति	:	व्यक्ति
निर्धारण वर्ष	:	2012-13

एओ ने ₹ 4.29 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹ 8.11 करोड़ और ₹ 48.00 लाख में बेची गई अचल संपत्तियों में दो सह-मालिकों (अर्थात् प्रत्येक 50 प्रतिशत) में से प्रत्येक के बराबर हिस्से पर विचार किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने संबंधित बिक्री कार्यों से यह पाया कि उपर्युक्त संपत्तियों में निर्धारिती का वास्तविक हिस्सा क्रमशः 87.57 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत था तथा तदनुसार कर निर्धारिती को एओ द्वारा विचार किए गए ₹ 4.06 करोड़ एवं ₹ 24.00 लाख के बजाय क्रमशः ₹ 7.10 करोड़ और ₹ 24.00 लाख का बिक्री प्रतिफल प्राप्त हुआ। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.73 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने फरवरी 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त 3, अहमदाबाद
निर्धारिती : एचसीपी
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2012-13

एओ ने ₹ 92.12 लाख की आय पर नवंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। लेखापरीक्षा में पाया कि भूमि की बिक्री पर एलटीसीजी की गणना करते समय, भूमि का बिक्री प्रतिफल ₹ 25 लाख अर्थात् भूमि की वास्तविक बिक्री मूल्य के रूप में अपनाया गया था, जबकि स्टॉप ड्यूटी प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त धारा 50सी के प्रावधान के अनुसार ₹ 3.31 करोड़ का निर्धारण किया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप एलटीसीजी का ₹ 3.06 करोड़ कम निर्धारण किया गया तथा परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने मार्च 2022 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 263 के तहत संशोधन आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.4.4 आय की गलत गणना

पाया गया कि छः राज्यों में 10 मामलों में आय की गलत गणना की गई है, जिसमें ₹ 175.22 करोड़ का प्रभावित कर शामिल है। ऐसे चार मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 184(5) में यह प्रावधान है कि, जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में, किसी फर्म की ओर से धारा 144 में उल्लिखित कोई विफलता होती है, वहां फर्म का कर निर्धारण इस प्रकार से किया जाएगा कि ऐसी फर्म द्वारा अपने किसी भागीदार को दिए गए ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के भुगतान के रूप में कोई कटौती "व्यवसाय या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करने में नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक धारा 28 के खंड (v) के अंतर्गत आयकर हेतु प्रभार्य नहीं होगा।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : आयकर आयुक्त (छूट), मुंबई
निर्धारिती : आईआईआई
स्थिति : एजेपी
निर्धारण वर्ष : 2016-17

एओ ने दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 563.44 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, फॉर्म 10 को देरी से दाखिल करने के लिए निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 11(2) के तहत संचय के लाभ को अस्वीकार कर दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2015-16 की अवधि में 15 प्रतिशत से अधिक ₹ 621.14 करोड़ की बड़ी राशि संचित की थी। ₹ 621.14 करोड़ के संचयन में से निर्धारिती, मध्यवर्ती अवधि में केवल ₹ 18.03 करोड़ का ही उपयोग कर सका एवं उसके पास ₹ 603.11 करोड़ का अव्ययित अधिशेष संचयित था। ₹ 603.11 करोड़ के अव्ययित अधिशेष संचयित में से ₹ 406.00 करोड़ का उपयोग निर्धारित पांच वर्षों के भीतर नहीं किया गया था, जैसा कि निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 10बीबी में दर्शाया गया है। अतः ₹ 406.00 करोड़ की इस राशि पर कर निर्धारण वर्ष 2016-17 तक लगाया जाना अपेक्षित था। इस पर कर लगाने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 140.51 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और

बताया (मार्च 2021) कि निर्धारण वर्ष 2014-15 (₹ 97.40 करोड़), निर्धारण वर्ष 2015-16 (₹ 154.62 करोड़) और निर्धारण वर्ष 2016-17 (₹ 105.00 करोड़) के लिए पूर्ण किए गए पुनर्निर्धारण (मार्च 2022) में कुल मिलाकर ₹ 357.03 करोड़ की वृद्धि की गई। शेष ₹ 53.18 करोड़ (₹ 410.21 करोड़ में से ₹ 357.03 करोड़ घटाकर) के संचय के संबंध में, विभाग ने कहा कि यह संचय निर्धारण वर्ष 2014-15 से पहले की अवधि से संबंधित है, जब निर्धारिती अधिनियम की धारा 10(23सी)(vi) के तहत पंजीकृत था और धारा 10(23सी) के तहत छूट वापस लेने के लिए मार्च 2013 में मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआइटी)-1 मुंबई को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए कर निर्धारण स्थगित रखा गया था, क्योंकि प्रस्ताव अभी भी सीसीआइटी-1 मुंबई के पास लंबित है। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है। इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

धारा 10(20) के प्रावधान के अनुसार, अभिव्यक्ति 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत से है; या संविधान के अनुच्छेद 243पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट नगरपालिका से है; या नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड से है, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार है या सरकार द्वारा सौंपा गया है; या छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में परिभाषित छावनी बोर्ड से है।

मामला II	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त-1, सूरत
	निर्धारिती	:	एसएनए
	स्थिति	:	स्थानीय प्राधिकरण
	निर्धारण वर्ष	:	2017-18

एओ ने दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत ₹ 13.08 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 10(20) के तहत निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 13.08 करोड़ की छूट को, यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि निर्धारिती अधिनियम की धारा 10(20) में निहित 'स्थानीय प्राधिकरण' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। हालाँकि, एओ ने, सावधि जमा पर ब्याज के रूप में निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 4.22 करोड़ को इसमें शामिल नहीं किया।

इस ब्याज आय का न तो लाभ और हानि खाते के माध्यम से और न ही कुल आय विवरण में 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के तहत खुलासा किया गया था। इसे तुलन पत्र में सीधे तौर पर 'आरक्षित एवं अधिशेष' शीर्षक के अंतर्गत पूंजी निधि के रूप में दर्शाया गया था। ₹ 4.22 करोड़ के ब्याज को कर योग्य आय मानने की चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.06 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने फरवरी 2022 में अधिनियम की धारा 263 के तहत पुनर्निर्धारण के माध्यम से उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा, मांग की वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-12, कोलकाता
निर्धारिती : मैसर्स आईसीए
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने दिसंबर 2019 में ₹ 26.32 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय भागीदारों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और भागीदारों से ऋण पर ब्याज के लिए ₹ 3.75 करोड़ के व्यय की अनुमति दी। चूंकि निर्धारिती अगस्त और नवंबर 2019 में जारी विभाग के नोटिसों और यहां तक कि दिसंबर 2019 में कारण बताओ नोटिस का पालन करने में विफल रहा था, इसलिए उपरोक्त व्ययों को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने फरवरी 2024 में अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की।* इसके अलावा मांग के संग्रह की स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला IV आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त-1, इंदौर
निर्धारिती : मैसर्स एसआर
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने ₹ 0.79 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, व्यय के दो मदों

(₹ 72.00 लाख भागीदारों को पारिश्रमिक और ₹ 45.27 लाख भागीदारों को ब्याज) की दोहरी कटौती की अनुमति दी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.17 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 60.40 लाख के कम कर का उद्ग्रहण शामिल है। *विभाग ने मई 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा, वसूली मांग की स्थिति का इंतजार प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।* मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.4.5 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक

एक मामले में टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक पाई गई, जिसमें एक राज्य में ₹ 8.71 करोड़ का कर प्रभावित था। मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

आयकर अधिनियम 1961 के तहत, जांच निर्धारण में निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना होता है और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय या निर्धारिती को वापस की जाने वाली वास्तविक राशि निर्धारित करनी होती है। इसके अलावा, बोर्ड ने समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं कि कर योग्य आय और कर की गणना में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार : प्र. आयकर आयुक्त, संबलपुर
निर्धारिती : टीबीडी लिमिटेड
स्थिति : एओपी
निर्धारण वर्ष : 2017-18

एओ ने ₹ 22.05 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप दिया, जिस आय का जून 2020 में धारा 154 के तहत ₹ 10 करोड़ की आय पर सुधार किया गया, उसीको जनवरी 2021 में धारा 154 के तहत उसी आय पर एवं निर्धारिती को ₹ 1.95 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट की अनुमति देने के बाद अतिरिक्त सुधार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने केवल ₹ 1.25 करोड़ की राशि ही आय के रूप में प्रस्तुत की थी, न कि ₹ 19.50 करोड़ की सम्पूर्ण प्राप्तियों (अर्थात् कमीशन से ₹ 19.46 करोड़ और तकनीकी सेवा से ₹ 3.73 लाख) की, जिसके लिए ₹ 1.95 करोड़ का टीडीएस अनुमत था, ₹ 18.25 करोड़ की अंतर राशि को आय में जोड़ा जाना अपेक्षित था। ₹ 18.25 करोड़ वापस जोड़ने में

चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 8.71 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (जनवरी 2024)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 आय का अधिक मूल्यांकन, कर/ब्याज का अधिक प्रभार न केवल आकलन करते समय निर्धारण अधिकारी की ओर से उचित परिश्रम की कमी/देय कर की गणना करते समय आईटीडी प्रणालियों की कमजोरियों को इंगित करता है, बल्कि संभावित रूप से वास्तविक करदाता के लिए परिहार्य कठिनाई का कारण बन सकता है। छः राज्यों अर्थात् दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ₹ 73.51 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार से जुड़े 22 मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया गया। ऐसे सात मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना है एवं कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी होगी, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112(1) में अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर बीस प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रावधान है।

मामला । आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा
निर्धारिती	:	एपीएच
स्थिति	:	एओपी
निर्धारण वर्ष	:	2014-15

एओ ने, ₹ 151.58 करोड़ की आय पर जून 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 234ए और धारा 234बी के तहत क्रमशः ₹ 19.59 करोड़ तथा ₹ 31.64 करोड़ की उद्ग्रहण योग्य राशि के बजाय गलती से ₹ 21.60 करोड़ एवं ₹ 48.48 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण किया। जिसके परिणामस्वरूप धारा 234ए और धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 18.85 करोड़ के अधिक ब्याज का उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 (सितंबर 2021) के तहत गलती में सुधार किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला II	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त-17, मुंबई
	निर्धारिती	:	एएलएस
	स्थिति	:	एओपी
	निर्धारण वर्ष	:	2003-04

एओ ने, ₹ 31.02 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 147 के साथ धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलती से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर 20 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.40 करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मार्च 2022) और जून 2022 में धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला III	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्रधान आयकर आयुक्त-I, हैदराबाद
	निर्धारिती	:	एनके
	स्थिति	:	व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	:	2017-18

एओ ने, ₹ 2.31 करोड़ की आय पर दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर देयता की गणना के लिए ₹ 2.31 करोड़ की सही राशि की बजाय गलती से ₹ 9.25 करोड़ की मूल्यांकित आय को अपनाया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.68 करोड़ के कर का अधिक उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया (मार्च 2021)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला IV	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त (केंद्रीय), विशाखापत्तनम
	निर्धारिती	:	एमवी
	स्थिति	:	व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	:	2015-16

एओ ने ₹ 8.34 करोड़ की आय पर जून 2021 में अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 234ए के तहत ₹ 64.52 लाख की उद्ग्रहण योग्य राशि के बजाय ₹ 6.74 करोड़ पर गलत तरीके से ब्याज उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.10 करोड़ के ब्याज अधिक उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया (जनवरी 2022)।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला V	आयकर आयुक्त प्रभार	:	आयकर आयुक्त (छूट)-1, दिल्ली
	निर्धारिती	:	बीएफआई
	स्थिति	:	एजेपी
	निर्धारण वर्ष	:	2018-19

एओ ने, ₹ 1.61 करोड़ की आय के आंकलन द्वारा जून 2021 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। तथापि, आईटीएनएस में देय कर की गणना करते समय, एओ ने, गलती से ₹ 1.61 करोड़ के बजाय ₹ 10.01 करोड़ पर मूल्यांकित आय को अपनाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.27 करोड़ के कर अधिक उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और फरवरी 2022 और मई 2023 में अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करके गलती में सुधार किया।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VI	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त, ग्वालियर
	निर्धारिती	:	एनएसजी
	स्थिति	:	व्यक्ति
	निर्धारण वर्ष	:	2017-18

एओ ने ₹ 31.09 लाख की आय के आंकलन द्वारा दिसंबर 2019 में अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144 के तहत निर्धारण को अंतिम रूप दिया। तथापि, देय कर की गणना करते समय, निर्धारित आय को ₹ 31.09 लाख की वास्तविक मूल्यांकित आय की बजाय ₹ 1.24 करोड़ अपनाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 93.26 लाख की आय का अधिक निर्धारण किया गया एवं

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.17 करोड़ के अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण शामिल है। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (सितंबर 2021) के तहत गलती में सुधार किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

मामला VII	आयकर आयुक्त प्रभार	:	प्र. आयकर आयुक्त पणजी
	निर्धारिती	:	टीएसयू लिमिटेड
	स्थिति	:	सहकारी समिति
	निर्धारण वर्ष	:	2016-17

एओ ने ₹ 1.21 करोड़ की आय पर दिसंबर 2018 में अधिनियम की धारा 143(3) के तहत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 3.50 लाख की वास्तविक रिटर्न आय के बजाय ₹ 72.10 लाख की रिटर्न आय को अपनाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 34.26 लाख के अधिक कर का उद्ग्रहण किया गया। विभाग ने अधिनियम की धारा 154 (अक्टूबर 2021) के तहत गलती में सुधार किया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2024)।

सिफारिशें

- (i) कर और अधिभार की गलत दरों का आवेदन, ब्याज लगाने में त्रुटियाँ, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- (ii) जबकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में सुधार शुरू करने के लिए कार्रवाई की है, यह कहा जा सकता है कि ये केवल कुछ उदाहरणात्मक मामले हैं, जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई है। सभी तरह के निर्धारणों में, जिसमें गैर-जांच निर्धारण भी शामिल है, ऐसी चूक या चूक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीबीडीटी को न केवल वर्ष के दौरान किए गए अपने निर्धारणों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की

पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतया सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

- (iii) सीबीडीटी इस बात की जांच करे कि क्या पाई गई "त्रुटियों" के मामले चूक की त्रुटियां हैं या भूल की त्रुटियां हैं और यदि ये भूल की त्रुटियां हैं, तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार, जहां लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्ट गलतियों को इंगित किया गया है, जिम्मेदारी तय करने सहित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

नई दिल्ली

दिनांक: 16 नवंबर 2024



(मोनिका वर्मा)

महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 18 नवंबर 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 (संदर्भ- अनुच्छेद 1.13.2)

पहचानविहीन निर्धारण योजना सदस्य (प्रशासन और पहचानविहीन योजना) की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारण कार्यवाहियों की कार्यात्मक संरचना को बदल दिया गया है। पहचानविहीन योजना की शुरुआत के कारण, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएएफएसी) की अध्यक्षता में दिल्ली में एक राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र (एनएएफएसी) की स्थापना की गई है। आगे, देश में 20 स्थानों पर क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र (आरईएसी) स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक आरईएसी का नेतृत्व मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) द्वारा किया जाता है। कार्यभार के आधार पर, पहचानविहीन निर्धारण को पूरा करने के लिए प्रत्येक आरईएसी में निम्नलिखित इकाइयां भी स्थापित की गई हैं:

- i. क्षेत्रीय ई-पहचानविहीन निर्धारण केंद्र (निर्धारण इकाइयां) [आरईएफएसी (ए.यू.);
- ii. क्षेत्रीय ई-पहचानविहीन निर्धारण केंद्र (सत्यापन इकाइयां) [आरईएफएसी (वी.यू.);
- iii. क्षेत्रीय ई-पहचानविहीन निर्धारण केंद्र (समीक्षा इकाइयां) [आरईएफएसी (आर.यू.); और
- iv. कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्षेत्रीय ई-पहचानविहीन निर्धारण केंद्र (तकनीकी इकाइयां) [आरईएफएसी (टीयू)]

इनमें से प्रत्येक इकाई का नेतृत्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी) (ए.यू.)/ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी)(वी.यू.)/ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी)(आर.यू.)/ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएसी)(टी.यू.) द्वारा किया जाता है।

पहचानविहीन निर्धारण योजना 2019 के उद्देश्यों के लिए, विभिन्न इकाइयों की स्थापना⁷⁵ [पहचानविहीन निर्धारण (प्रथम संशोधन) योजना, 2021 के रूप में पुनः संशोधित] और उनके कार्य, यहां दिए गए हैं:

⁷⁵ जैसा कि प्रिंसिपल पहचानविहीन निर्धारण योजना में अधिसूचित है, अधिसूचना संख्या 61/2019 /एफ.सं.370149/ 154/2019-टीपीएल दिनांकित 12 सितंबर 2019

(i) राष्ट्रीय पहचानविहीन करनिर्धारण केंद्र⁷⁶ (एनएफएसी)


एनएफएसी की स्थापना केंद्रीकृत तरीके से ई-निर्धारण कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। यह संबंधित निर्धारितियों को नोटिस देता है और इस योजना के तहत ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चुने गए मामलों को एक स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्रों में से किसी एक में विशिष्ट निर्धारण इकाइयों को सौंपता है। उसके बाद, संबंधित निर्धारण इकाइयों से मसौदा निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने की आशा है। निर्धारण पूरा होने के बाद, यह मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए स्थानांतरित करता है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक हो।

(ii) क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र (आरईएसी)

आरईएसी से संबंधित प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के कैंडर नियंत्रण क्षेत्रों में ई-निर्धारण कार्यवाही के निर्धारण की सुविधा की अपेक्षा है। उन्हें इस योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। आरईएसी से, उसके अंतर्गत सृजित विभिन्न इकाइयों की सहायता से, निर्धारण करने और एनएफएसी को मूल्यांकनों को अंतिम रूप देने में पहचानविहीन तरीके से सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

⁷⁶ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना संख्या 27/2021/एफ. सं. 370142/33/2020-टीपीएल दिनांकित 31/03/2021 के तहत, "नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर" शब्द को "नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर" शब्द से प्रतिस्थापित किया।

चार्ट 1.14: एनएफएफसी और एनएफएसी का संगठन



(iii) निर्धारण इकाईयां (एयू)

निर्धारण इकाइयों से अपेक्षा की जाती है कि वे आंकलन कार्य करके ई-निर्धारण के संचालन को सुविधाजनक बनाएं, जिसमें अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व (प्रतिदाय सहित) के निर्धारण के लिए बिंदुओं या मुद्दों की पहचान करना, पहचान किए गए बिंदुओं या मुद्दों पर जानकारी या स्पष्टीकरण मांगना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सामग्री का विश्लेषण, और ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं जो निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। एक मामला सौंपे जाने पर, संबंधित निर्धारण इकाईयां एनएफएसी से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकता है: (i) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना (ii) सत्यापन इकाइयों द्वारा कुछ पूछताछ या सत्यापन का संचालन; और (iii) तकनीकी इकाइयों से तकनीकी सहायता लेना। संबंधित सामग्री को ध्यान में रखने के बाद, जैसा कि अभिलेखों पर उपलब्ध है, निर्धारण इकाईयां लिखित रूप में, एक मसौदा निर्धारण

आदेश, अपने सर्वोत्तम निर्णय से, या तो आय या देय राशि को स्वीकार करता है, या निर्धारिती को प्रतिदाय योग्य राशि, आयकर विवरणी के अनुसार, या ऐसी आय या राशि में बदलाव करता है, और ऐसे आदेश की एक प्रति एनएएफएसी को भेजता है।

(iv) सत्यापन इकाईयां (वीयू)

सत्यापन इकाईयों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ पूछताछ या सत्यापन करने के लिए निर्धारण इकाई (एयू) के अनुरोध पर सत्यापन कार्य करें, जिसमें जांच, प्रतिप्रमाण, लेखा बहियों की जांच, गवाहों की जांच और बयानों की रिकार्डिंग और ऐसे अन्य कार्य शामिल हैं जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(v) तकनीकी इकाईयां (टीयू)

तकनीकी इकाईयों से तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें विधि, लेखांकन, फॉरेंसिक, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्धारण, हस्तांतरण मूल्य, डेटा विश्लेषण, प्रबंधन या किसी अन्य तकनीकी मामले पर कोई सहायता या सलाह शामिल है, जो किसी विशेष मामले या मामलों के एक वर्ग में आवश्यक हो सकती है, इस योजना के तहत; और

(vi) समीक्षा इकाईयां (आरयू)

जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के अनुसार राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र (एनईएसी) द्वारा समीक्षा इकाईयों (आरयू) को मामले सौंपे जाते हैं। समीक्षा इकाईयों से मसौदा निर्धारण आदेशों की समीक्षा करने का कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें यह जांचना शामिल है कि क्या प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाए गए हैं, क्या तथ्यों और कानून के प्रासंगिक बिंदुओं को मसौदा आदेशों में विधिवत शामिल किया गया है, क्या जिन मुद्दों पर परिवर्धन या अस्वीकृति दी जानी चाहिए, उन पर मसौदा आदेशों में चर्चा की गई है, क्या लागू न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया है और मसौदा आदेशों में उन पर विचार किया गया है, प्रस्तावित संशोधनों की अंकगणितीय शुद्धता की जाँच करना, यदि कोई हो, और ऐसे अन्य कार्य जो समीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करें।

निर्धारण इकाई के बीच, समीक्षा इकाई, सत्यापन इकाई, या तकनीकी इकाइयों, या निर्धारिती, या किसी अन्य व्यक्तियों के मध्य संपूर्ण पत्राचार, सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य विवरण के संबंध में, जैसा कि इस योजना के तहत निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकता है, संपूर्ण पत्राचार एनएफएसी के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता है। एनएफएसी का संगठन चार्ट 1.14 में दिया गया है

पहचानविहीन अपील योजना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, दिसंबर 2021 में जारी अधिसूचना के माध्यम से 'पहचानविहीन अपील योजना' को अधिसूचित किया और इस योजना के उद्देश्य के लिए, इसने निम्नलिखित की स्थापना की: (i) एक राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र (एनएफएसी), केंद्रीकृत और पहचानविहीन तरीके से ई-अपील कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए; और (ii) आयुक्त (अपील) द्वारा ई-अपील कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए अपील इकाइयां। राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केंद्र (एनएफएसी) दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका नेतृत्व प्रधान सीसीआईटी (एनएफएसी) द्वारा किया जाता है। आगे, दिल्ली में आयकर आयुक्त (एनएफएसी) और देश भर में 18 स्थानों पर विभिन्न आयकर आयुक्त (एयू) भी स्थापित किए गए हैं। एनएफएसी और एनएफएसी का संगठन चार्ट 1.14 में दिया गया है।

राष्ट्रीय पहचानविहीन पेनल्टी योजना (एनएफपीएस)


एनएफपीएस को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 3/2021 दिनांक 12/01/2021 द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें दंड अधिरोपित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया था। इस योजना ने दंड कार्यवाही के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन दंड केंद्रों, क्षेत्रीय दंड केंद्रों, दंड इकाइयों और दंड समीक्षा इकाइयों की स्थापना को अनिवार्य कर दिया। राष्ट्रीय पहचानविहीन पेनल्टी सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया है और इसका नेतृत्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (एनएफपीसी) द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों पर सीएसआईटी (एनएफपीसी) हैं। दंड इकाइयों और दंड समीक्षा इकाइयों का नेतृत्व अतिरिक्त सीआईटी द्वारा किया जाता है जिसके बाद डीसीआईटी आते हैं।

न्यायिक निर्धारण कार्यालय (जेएओ)

न्यायिक निर्धारण कार्यालयों का नेतृत्व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र.सीसी आईटी) द्वारा किया जाता है। न्यायिक आपत्तियों के कार्यों में अपील अथवा विशेष मुकदमा याचिकाएं दायर करना, सुधार करना, मांगें जारी करना, राजस्व लेखापरीक्षा के पुराने बकाया पैराओं के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां आदि का निपटान शामिल है।

परिशिष्ट 1.2 (संदर्भ अनुच्छेद 1.13.1)

कर प्रशासन प्रक्रिया



1. सीपीसी-टीडीएस (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र-स्रोत पर कर संग्रहण), बैंको, कटौतीकर्ताओं, निर्धारण अधिकारियों (एओ) और कर पेशेवरों सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना का मिलान और सह-संबंधित करता है।
2. ओएलटीएस (ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली), सभी प्रकार के करदाताओं से प्रत्यक्ष कर के संग्रहण, लेखांकन और प्राप्तियों और भुगतान की रिपोर्टिंग की, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।
3. सीपीसी-आईटीआर (केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र- आय का रिटर्न), आयकर रिटर्न (आईटीआर) की बल्क प्रसंस्करण के लिए शीघ्रता से निर्धारिती को देय प्रतिदाय या कर भुगतान को निर्धारित करता है।
4. इनसाईट पोर्टल, काले धन और कर अपवंचन के प्रति डेटा माइनिंग, अनुसंधान और विश्लेषण का उपयोग करता है और सीएसएस (कम्प्यूटर सहायता प्राप्त संवीक्षा चयन) चयन के लिए इनपुट उपलब्ध कराता है।
5. प्रोटीन (Protean e-governance Technologies Limited) {पूर्व, एनएसडीएल (NSDL e-governance Infrastructure Limited)}, टिन-सुविधाओं (टिन-एफसी) और पैन केन्द्रों की उसकी चेन के माध्यम से पैन आवेदनों को स्वीकार करता है और पैन जारी करता है।
6. करदाताओं को अगामी वितरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, सीएमपी ब्रांच का सीपीसी/एओ द्वारा उत्पन्न प्रतिदाय का सुविधा संचरण।
7. आईटीबीए (आयकर व्यवसायिक अनुप्रयोग), पेपर रहित इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण को सृजित करने और आयकर विभाग की विभिन्न कार्यप्रणालियों की पहुँच हेतु सिंगल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने वाला एक व्यवसायिक अनुप्रयोग है।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.4)

निर्धारण में त्रुटियों की राज्य-वार घटना						
राज्य	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों में निर्धारण पूरा किया गया	2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत निर्धारण	वर्ष 2021-22 ⁷⁷ के दौरान उठाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां (संख्यांक 2)	त्रुटियों के साथ निर्धारण (संख्या)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों के साथ निर्धारण का प्रतिशत (स्त.5/स्त. 3x100)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	15,166	13,367	859	859	1,206.01	6.43
असम	2,511	2,147	137	127	49.27	5.92
बिहार	2,411	2,382	173	173	26.11	7.26
छत्तीसगढ़	10,521	7,867	115	105	454.43	1.33
दिल्ली	29,909	29,418	1,243	1,167	8,637.66	3.97
गोवा	898	435	12	11	14.41	2.53
गुजरात	12,294	12,061	955	793	1,677.00	6.57
हरियाणा	7,683	4,481	204	179	636.04	3.99
हिमाचल प्रदेश	544	359	51	48	16.03	13.37
जम्मू और कश्मीर	317	296	5	5	1.11	1.69
झारखंड	766	432	83	60	30.65	13.89
कर्नाटक	7,408	3,955	186	184	2,528.94	4.65
केरल	4,689	4,458	449	403	436.31	9.04
मध्य प्रदेश	25,682	18,765	781	781	494.03	4.16
महाराष्ट्र	45,736	24,769	1,555	1,332	12,428.94	5.38
ओडिशा	2,447	2,215	262	254	1,433.61	11.47
पंजाब	8,866	4,470	168	168	101.92	3.76
राजस्थान	17,102	8,103	286	275	118.23	3.39
तमिलनाडु	13,791	8,705	1,133	968	5,435.23	11.12
यूटी चंडीगढ़	3,545	2,222	149	149	913.27	6.71
उत्तराखंड	950	895	43	43	8.63	4.80
उत्तर प्रदेश	18,090	16,901	413	389	636.74	2.30
पश्चिम बंगाल	19,801	18,799	1,446	1,359	3,699.82	7.23
कुल	2,51,127	1,87,502	10,708	9,832	40,984.0	5.24

⁷⁷ इसमें अल्प निर्धारण के साथ-साथ निगमित कर, आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए निगम कर और आयकर के संबंध में कम निर्धारण का श्रेणी-वार ब्यौरा		
(₹ करोड़ में)		
उप श्रेणी	त्रुटियों की संख्या	कर प्रभाव
क. निर्धारण की गुणवत्ता	4,597	11,385.07
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,049	4,591.18
ख. कर, अधिभार आदि की दर का गलत अनुप्रयोग।	973	4,385.70
ग. विवरणियों की प्रस्तुति में विलंब, कर के भुगतान में विलंब आदि के लिए कोई ब्याज/जुर्माना नहीं लगाया जाता है।	2,455	2,088.64
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	104	179.24
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में गलती	16	140.31
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	2,331	12,110.99
क. कॉर्पोरेट को अनियमित छूट/कटौती/राहत दी गई	162	1,722.11
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को अनियमित छूट/कटौती/राहत दी गई	242	250.87
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	170	179.87
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	1,446	8,009.03
ङ. मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	309	1,946.22
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	2	2.88
ग. चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	731	3,958.83
क. मेट/एएमटी/टनभार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के अंतर्गत	43	237.66
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद जमा इत्यादि।	385	3,528.26
ग. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	173	118.13
घ. आर्म्स लेंथ की कीमत का गलत अनुमान	14	7.80
ङ. जीवनसाथी, नाबालिग बच्चे आदि की क्लब आय के लिए चूक।	0	0.00
च. गृह संपत्ति से आय की गलत गणना	19	14.65
छ. वेतन आय की गलत गणना	8	2.11
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	89	50.21
घ. अन्य	2,404	9,692.01
कुल	10,063	37,146.89

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए मसौदा पैराओं के संबंध में टिप्पणियों का श्रेणीवार ब्यौरा		
उप श्रेणी	मामलें	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
अ. निर्धारण की गुणवत्ता	221	658.82
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	42	194.18
ख. कर, अधिभार आदि की दर का गलत अनुप्रयोग।	28	49.29
ग. विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलंब, कर के भुगतान में विलंब आदि के लिए ब्याज न लगाना/कम लगाना/जुर्माना लगाना	141	399.21
घ. अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज	6	7.18
ड. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारण में गलती	4	8.96
ब. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	142	2,149.52
क. ट्रस्टों/फर्म/सोसायटी को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	10	11.48
ख. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	2	0.91
ग. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	48	639.54
घ. मूल्यहास/व्यावसायिक हानियों/पूजीगत नुकसान की अनुमति देने में अनियमितताएं	57	1,173.38
ड. डीटीए राहत की गलत अनुमति	25	324.21
स. चूक के कारण निर्धारण से बच रही आय	82	1,984.85
क. मेट/एएमटी/टनभार कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत,	18	110.72
ख. पूजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	15	19.15
ग. आय की गलत गणना	10	175.22
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	5	34.85
ड. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद ऋण	1	6.98
च. आर्म्स लेंथ की कीमत का गलत अनुमान	11	31.73
छ. सामान्य प्रावधानों के तहत आय का आकलन नहीं किया गया/कम निर्धारण किया गया	22	1,606.20
द. अन्य	59	935.60
कर/ब्याज का अधिभार	59	935.60
कुल	504	5,728.79

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ अनुच्छेद 2.8.2)

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण का विवरण					
राज्य	वित्त वर्ष 2021-22 में मांगी गये अभिलेख	वित्त वर्ष 2021-22 में नहीं प्रस्तुत किए गए अभिलेख	वित्त वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत	वित्त वर्ष 2019-20 में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	15,166	1,799	11.86	3.03	5.35
असम	2,511	364	14.50	7.94	5.96
बिहार	2,411	29	1.20	4.72	2.33
छत्तीसगढ़	8,036	158	1.97	0	0.66
दिल्ली	32,565	2,300	7.06	6.2	6.66
गोवा	450	0	0.00	0	0.13
गुजरात	12,339	233	1.89	1.53	7.28
हरियाणा	4,481	233	5.20	0.74	1.41
हिमाचल प्रदेश	359	3	0.84	1.18	8.37
जम्मू और कश्मीर	296	21	7.09	0	0
झारखंड	438	5	1.14	8.27	0.85
कर्नाटक	4,439	225	5.07	4.11	3.12
केरल	4,689	231	4.93	5.14	6.21
मध्य प्रदेश	19,658	893	4.54	4.12	2.91
महाराष्ट्र	27,965	2,645	9.46	18.33	3.79
ओडिशा	2,447	232	9.48	9.32	8.65
पंजाब	4,470	306	6.85	1.1	1.58
राजस्थान	8,489	162	1.91	0.65	1.01
तमिलनाडु	10,236	1,531	14.96	17.88	26.44
केंद्र शासित प्रदेश					
चंडीगढ़	2,222	10	0.45	1.49	4.12
उत्तराखंड	938	55	5.86	1.35	0.52
उत्तर प्रदेश	17,591	680	3.87	4.47	1.73
पश्चिम बंगाल	21,345	1,381	6.47	7.57	6.91
कुल	2,03,541	13,496	6.63	6.61	6.92

संक्षिप्त रूप	
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एआई	निर्धारित आय
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एएलपी	आर्म्स लेंथ प्राइस
एओ	कर निर्धारण अधिकारी
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एएसटी	निर्धारण सूचना प्रणाली
एवाई/नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीएसएस	कंप्यूटर समर्थित संवीक्षा चयन
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	मुख्य आयकर आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीसी-आईटीआर	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - आयकर रिटर्न
सीपीसी-टीडीएस	केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र - स्रोत पर कर कटौती
सीटी	निगम कर
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (सिस्टम)	आयकर महानिदेशक (सिस्टम)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीटी	प्रत्यक्ष कर
एफवाई/वि.व.	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यापार आवेदन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर/रिटर्न	आयकर रिटर्न
जेसीआईटी	आयकर संयुक्त आयुक्त
एलटीसीजी	दीर्घ अवधि पूंजी प्राप्ति
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक
प्र. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर

संक्षिप्त रूप	
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली
एनएसडीएल	नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
ओएलटीएस	ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
प्र. डीजीआईटी	आयकर प्रधान महानिदेशक
रूल्स	आयकर नियम, 1962
एसटीटी	प्रतिभूति लेनदेन कर
टीसीएस	स्रोत पर एकत्र किया गया कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण
टीपीओ	स्थानांतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in